Wednesday, 06 April, 1966

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

JMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]
Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

[खंड 53 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. LIII contains Nos. 31 to 40]

Preservation Unit
18-6-92
Fumigated
On 30.12.83
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 35—बुधवार, 6 अप्रैल, 1966/16 चैत्र, 1888 (शक)

No. 35—*Wednesday, April* 6, 1966/*Chaitra* 16, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
981	उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप	Allegation against Chief Minister of Orissa . . .	6165–69
982	"इंटक" का अधिवेशन	INTUC Session . . .	6169–71
984	अमरीका में भारतीय विद्यार्थियों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान में कमी	Deficiency in English among Indian Students in U.S.A. .	6172–73
985	हिन्दी में पत्रव्यवहार	Correspondence in Hindi . .	6173–76
987	श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड	Wage Board for Working Journalists	6176–79
988	औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उचित मूल्य वाली दुकानें	Fair Price Shops in Industrial Establishments . . .	6179–81
989	फिल्म उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Film Industry .	6182–83

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
16	लिग्नाइट कारपोरेशन के सिविल इंजीनियर	Civil Engineers of Neyveli Lignite Corporation	6183–86

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता०प्र०संख्या S. Q. Nos.			
983	ठेका श्रमिक प्रणाली	Contract Labour . . .	6186
986	देवनागरी लिपि में प्रतीक	Symbols in Devanagari Script .	6186–87
990	पाकिस्तानी अंसारों द्वारा मारे गए भारतीय	Indians killed by Pak. Ansars	6187
991	केरल में हिन्दी का प्रचार	Propagation of Hindi in Kerala	6187
992	फर्टिलाइजर्ज एण्ड कैमिकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड में मजदूरों की छंटनी	Retrenchment of Labourers in F.A.C.T.	6188

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that question was actually asked on the floor of the House by that Member.

1—51 Lok Sabha/66

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
993	उद्योगों में स्वचालित मशीने लगाना	Automation in Industry	6188
994	कनिष्ठ (जुनियर) कृषि विद्यालय	Junior Agricultural Schools .	6188-89
995	आसाम के पहाड़ी जिलों में अलगाव (पृथक होने) की भावना	Secessionist Tendencies in Assam Hill Districts . . .	6189
996	मिजो लोगों के लिये हथियार	Arms for Mizos	6189
997	सीमा सुरक्षा दल का मुख्यालय संगठन	Border Security Force Headquarters Organisation . .	6190
998	गुजरात में पेट्रोरासायनिक उद्योग समूह	Petro-Chemical Complex in Gujarat	6190
999	तेल समवायों में नौकरी की सुरक्षा	Job Security in the Oil Companies	6191
1000	मजदूरों की दिहाड़ी	Daily Wages of Labourers . .	6191-92
1001	सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों से हथियारों का वापस लिया जाना	Withdrawal of Arms from People of Border Areas . . .	6192
1002	मद्रास उर्वरक परियोजना	Madras Fertilizer Project . .	6192
1004	ईंधन तेल का आयात और उत्पादन	Import and Production of Fuel Oil	6193
1005	कारखाने में नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण	Implant Training . . .	6193-94
1006	केरल में भाषायी अध्यापक	Language Teachers in Kerala .	6194
1007	स्वर्गीय श्री विनायक दामोदर सावरकर का स्मारक	Memorial to Late Shri Vinayak Damodar Savarkar . .	6195
1008	मंत्रिमंडल में परिवर्तन के कारण होने वाला व्यय	Expenditure due to changes in Cabinet	6195
1010	सीमावर्ती क्षेत्रों के सरपंचों का पाकिस्तान के साथ मिल जाना	Defection of Sarpanches in Border Areas	6195-96
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
3269	शोरनुर लाईन इक्विपमेंट फैक्टरी	Shornoor Line Equipment Factory	6196
3270	त्रिचुर में दुकान सहायक (शाप असिस्टेंट)	Shop Assistants in Trichur . .	6197
3271	क्षेत्रिय कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Field Workers .	6197
3272	केरल के कालेजों में शुल्क	Tuition fee in Colleges in Kerala	6198
3273	त्रावणकोर रबड़ तथा चाय कम्पनी	Travancore Rubber and Tea Company	6198-99
3274	कृषक वर्ग सम्बन्धी निर्वाह व्यय सूचकांक	Cost of Living Index for Agriculturists	6199
3275	केरल में हाई स्कूलों के लिए पाठ्य-पुस्तकें	Text-Books for High Schools in Kerala	6199

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3276	पोलिटेक्निक के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	Training of Ploytechnic Instructors	6200
3277	अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टुर्नामेंट	International Hockey Tournament	6200
3278	शिक्षकों का सरकारी स्कूलों से दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में स्थानान्तरण	Transfer of Teachers from Government Schools to D.M.C. Schools	6201
3279	दिल्ली में शिक्षकों का अपनी नौकरी में स्थायी किया जाना	Confirmation of Delhi Teachers in Service	6201
3280	चमड़ा उद्योग के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Workers in Leather Industries . .	6202
3281	यातायात नियंत्रण के लिये स्वयंसेवक	Volunteers for Traffic Control	6202
3282	उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामले	Cases Pending in High Courts .	6203
3284	शेख अब्दुला पर व्यय	Expenditure on Sheikh Abdullah	6203
3285	जनसंख्या के आंकड़े	Census Figures	6204
3286	अश्लील साहित्य प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र	Newspapers Publishing Obscene Literature . .	6204
3287	ज्योतिष का भविष्य कथन	Astrological Predictions .	6204–05
3288	उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मामले	Cases against Officials in U.P. . .	6205
3289	शिलांग में भूचाल	Earth Tremor in Shilong .	6205
3290	उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पीडित	Political Sufferers in U.P. . .	6205–06
3291	उत्तर प्रदेश में पुरातत्वीय खुदाई	Archaeological Excavation in U.P.	6206
3292	बोनस अधिनियम, 1965 का विदेशी विमान समवायों के कर्मचारीयों पर लागू किया जाना	Application of Bonus Act, 1965 for Employees of Foreign Airlines	6206
3293	अणु शक्ति संस्थान, ट्राम्बे	Atomic Energy Establishment, Trombay	6207
3294	पंजाब में डाक व तार प्रशिक्षण केन्द्र	P. & T. Training Centre in Punjab	6207–08
3295	पंजाब में बन्दुक बनाने का कारखाना	Gun Factory in Punjab .	6208
3296	पंजाब में डाक सेवायें	Postal Services in Punjab . .	6208
3297	मंत्रियों द्वारा विदेशों के दौरे	Ministers' Visits to Foreign Countries	6208–09
3298	पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन	Migration from East Pakistan .	6209
3299	रूसी विश्वविद्यालयों द्वारा दिये जाने वाले इंजीनियरी डिप्लोमें	Engineering Diplomas by USSR Universities . . .	6209–10
3300	बिहार विश्वविद्यालय	Bihar University .	6210

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3301	मोटरगाड़ी परिवहन कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Motor Transport Workers	6210
3302	दिल्ली में एक टक्सी ड्राइवर द्वारा एक यात्री को लूटा जाना	Robbing of a Passenger by a Taxi Driver in Delhi . . .	6211
3303	आन्ध्र प्रदेश में बेरोजगार तकनीकी व्यक्ति	Unemployment Technical Persons in Andhra Pradesh .	6211
3304	राजस्थान में किराये की इमारतों में डाक घर	Post Offices in Rajasthan in Rented Buildings . . .	6211
3305	मैसूर में डाक सेवायें	Postal Services in Mysore . .	6212
3306	कास्टिक सोडे का मूल्य	Price of Caustic Soda . .	6212–13
3307	उड़ीसा में योग्यता छात्रवृत्तियां	Merit Scholarships in Orissa .	6213
3308	उड़ीसा-स्थित तकनीकी संस्थाओं के लिए छात्रवृत्तियां	Scholarships for Technical Institutes, Orissa	6213
3309	दिल्ली में तांबे के तार की चोरी	Theft of Copper Wire in Delhi .	6213–14
3310	दिल्ली में मैथीलेटिड स्पिरिट की कमी	Shortage of Methylated Spirit in Delhi	6214
3311	पंजाब में सार्वजनिक टेलीफोन	Public Call Offices in Punjab .	6214
3312	टेलीप्रिन्टरों की दर	Rates of Teleprinters . .	6215
3313	जवानों के लिये पुस्तकालय	Library for Jawans . . .	6215
3314	दिल्ली में दुकानों के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for shop workers in Delhi	6215
3315	केरल में बिजली की कटौती	Power cut in Kerala . .	6215–16
3316	केरल में पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistani Nationals in Kerala	6216
3317	अन्दमान द्वीपसमूह में विभिन्न फर्मों के कार्यों का निष्पादन	Jobs executed for various firms in Andamans . . .	6216
3318	प्लास्टिक के शीशे	Plastic Lens	6216–17
3319	बड़ोच जिले में तेल और गैस	Oil and Gas in Broach District .	6217
3320	रेयन उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Rayon Industry .	6217
3321	फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड को हुआ घाटा	Loss incurred by Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd. .	6217–18
3322	बरौनी तेल शोधक कारखाने में आग लगने की घटना	Fire in Barauni Oil Refinery .	6218
3323	स्कूलों के बच्चों के लिए दूध	Milk for School-children . .	6218–19
3324	नागाओं द्वारा पुलिस के एक काफिले पर आक्रमण	Attack on a Police Convoy by Nagas	6219

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3325	दिल्ली में साक्षरता	Literacy in Delhi . .	6219-20
3326	शेख अब्दुल्ला की रिहाई	Release of Sheikh Abdullah	6220
3327	शेख अब्दुल्ला	Sheikh Abdullah	6220-21
3328	तार द्वारा भेजे जाने वाले संदेश	Telegraphic Messages	6221
3329	औरंगाबाद में पैठण नामक स्थान पर प्राचीन कला-अवशेष का पाया जाना	Antique found at Paithan in Aurangabad . . .	6221
3330	पश्चिम बंगाल में आन्दोलन	West Bengal Agitation . .	6221-22
3331	सीमा पर बाढ लगाना	Fencing on Border . . .	6222
3332	बिहार के शहरों में धर्म परिवतन के कार्य	Conversion Activities in Bihar Towns	6222
3333	जिला उत्पादन शुल्क (एक्साइज) अधिकारी के विरुद्ध जांच	Inquiry against District Excise Officer	6223
3334	बाल साहित्य का विकास	Promotion of Children's Literature	6223
3335	गैर-सरकारी तेल समवायों द्वारा छंटनी	Retrenchment by Private Oil Companies	6224
3336	मिजो विद्रोह के दौरान बन्दी बनाये गये व्यक्ति	Prisoners taken during Mizo Revolt	6224
3337	सीमावर्ती क्षेत्रों में उद्योग	Industries in Border Areas . . .	6224-25
3338	दण्डकारण्य क्षेत्र में शिक्षा	Education in Dandakaranya Region	6225
3339	दण्डकारण्य की बेची जा सकने वाली फालतू उपज की बिक्री	Sale of Marketable Surplus in Dandakaranya .	6225-26
3340	चीन को चावल का तस्कर व्यापार	Rice Smuggling to China	6226
3342	नजरबन्द लोगों को परिवार भत्ता दिया जाना	Grant of Family Allowances to Detenus	6226
3343	खाद्य संबंधी आन्दोलन को दबाने के लिये सेना का प्रयोग किया जाना	Military Aid used against Food Agitators	6227
3344	उर्वरक कारखाना, दुर्गापुर	Fertiliser Plant, Durgapur	6227
3345	शरणार्थियों को भूमि का आवंटन	Aolltment of Land to Refugees .	6227
3346	श्रीगंगानगर में खुदाई का कार्य	Excavation in Shri Ganganagar .	6228
3347	हिन्दी में तारें	Hindi Telegrams	6228-29
3348	महिला सम्पर्क एजेंट	Women Contact Agents	6229
3349	लायो कोयला खान में आग	Fire in Laeyo Colliery	6229-30
3350	भ्रष्टाचार निरोधक कार्य का पुर्नविलोकन	Review of Anti-corruption Work	6230

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3351	केरल में काजू कर्मचारियों की मजूरी	Wages of Cashew Workers in Kerala	6230
3352	विश्वविद्यालयों के उपकुलपति	University Vice-Chancellors .	6230-31
3353	प्राकृतिक गैस का उपयोग	Utilisation of Natural Gas . .	6231
3354	केरल में न्यायपालिका सेवा में वरीयता के बारे में अपीलें	Appeals regarding Seniority in Judicial Service in Kerala .	6231-32
3355	सब-डिवीजनल अधिकारी, लुंगलेह	Sub-Divisional Officer, Lungleh .	6232
3356	पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये ऋण	House Building Loans to Migrants from East Pakistan . .	6232
3357	रा० ब० रामरूप विद्या मंदिर	R. B. Ram Roop Vidya Mandir .	6232-33
3358	शिविर से प्रव्रजकों का भेजा जाना	Shifting of Migrants from Camps	6233
3359	भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग का शताब्दी समारोह	Centenary Celebrations of Archaeological Survey of India .	6233
3360	मिट्टी के तेल का वितरण	Distribution of Kerosene . .	6234
3361	प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की योजना	Scheme for Self-reliance in Technology	6234
3362	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुन्दर लाल अस्पताल को सहायता	Assistance to Sir Sunder Lal Hospital of Banaras Hindu University	6235
3363	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से सांस्कृतिक शिष्टमंडल	Cultural Delegation from German Democratic Republic . .	6235
3364	महानदी डेल्टा क्षेत्र में तेल का सर्वेक्षण	Oil Survey in Mahanandi Delta .	6235-36
3365	उड़ीसा सरकार की पुलिस मकान निर्माण योजना	Orissa Government Police Housing Scheme	6236
3366	उड़ीसा में विज्ञान मन्दीर	Vigyan Mandirs in Orissa . .	6236
3367	उड़ीसा में पुरातत्वीय सर्वेक्षण	Archaeological Survey in Orissa .	6236-37
3368	उड़ीसा में बेरोजगार इंजीनियर	Unemployed Engineers in Orissa	6237
3369	कालटैक्स (इण्डियन) लिमिटेड में इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर	Electronic Computors in Caltex (India) Ltd. . . .	6237
3370	दिल्ली में प्राइवेट स्कूल	Private Schools in Delhi . .	6237-38
3371	केरल विश्वविद्यालय में रूसी भाषा अनुभाग	Russian Language Section in Kerala University . . .	6238
3372	केरल में विश्वविद्यालय में चार वर्षीय इंजीनियरी पाठ्यक्रम को मान्यता	Recognition of Four-Year Engineering Course in Kerala University	6238

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3373	कल्लारकुट्टी क्षेत्र में बसाये गए लोगों की बेदखली	Eviction of Settlers in Kallarkutty	6239
3374	शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण की सुविधायें	Teachers Training Facilities .	6239
3375	लड़कियों की शिक्षा	Girls' Education . .	6239-40
3376	दिल्ली के स्कूलों में भविष्य निधि की सुविधायें	Provident Fund Facilities in Delhi Schools	6240
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	6240-41
	लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
	सैतालीसवां प्रतिवेदन	Forty seventh Report	6241
	अनुदानों की मांगें—	Demands for Grants—	
	निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय—	Ministry of Works, Housing and Urban Development—	
	श्री सुब्बरामन	Shri Subbaraman . .	6241-43
	श्री गुलशन	Shri Gulshan .	6243
	श्री भगवती	Shri Bhagwati . .	6244-47
	श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa .	6247
	श्री दे० शि० पाटिल	Shri D. S. Patil . . .	6248
	श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	6248
	श्री मा० ल० जाधव	Shri M. L. Jadhav . .	6248-49
	श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta .	6249-50
	श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki . . .	6250
	श्री अ० व० राघवन	Shri A. V. Raghavan . .	6250-51
	श्री चुनी लाल	Shri Chuni Lal . . .	6251-53
	श्री मेहर चन्द खन्ना	Shri Mehr Chand Khanna .	6253-57
	पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय—	Ministry of Petroleum and Chemicals—	
	श्री के० दे० मालवीय	Shri K. D. Malaviya .	6258-59
	श्री प० ह० भील	Shri P. H. Bheel .	6259-60
	श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha.	6262-63
	श्री मोहन स्वरूप	Shri Mohan Swarup . .	6263

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 6 अप्रैल, 1966/16 चैत्र, 1888 (शक)
Wednesday, April 6, 1966/Chaitra 16, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध आरोप

+
*981. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा कुछ अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के बारे में की गई जांच के परिणामों के फलस्वरूप सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) क्या इन व्यक्तियों पर न्यायालय में मुकदमा चलाने के लिये कोई सुझाव दिया गया है और यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) आरोपों के बारे में की गई जांच के परिणामस्वरूप मालूम हुई अनियमितताओं तथा गबन का मोटा मोटा ब्यौरा क्या है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) उड़ीसा के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों के संबंध में जो कार्यवाही की गई थी उसका स्पष्टीकरण स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा 22 फरवरी, 1965 को लोकसभा में दिये गये एक व्यक्तव्य में किया जा चुका है।

(ख) और (ग) : संसद् सदस्यों की सभी मांगों के बारे में उत्तर 15 और 16 मार्च, 1965 को अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दे दिया गया था। इस संबंध में भूतपूर्व विधि मंत्री तथा स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा 16 मार्च, 1965 को दिये गये भाषणों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कराया जाता है।

लोक सभा में 23-2-66 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 175 के उत्तर की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। आगे कोई भी कार्यवाही करने के बारे में तभी विचार किया जा सकता है जब उड़ीसा की लोक लेखा समिति इस मामले पर विचार कर चुके। लोक लेखा समिति की सिफारिशें अभी तक उड़ीसा सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विवरण को पढ़ें। विवरण में कहा गया है :

"संसद सदस्यों की सभी मांगों का उत्तर 15 और 16 मार्च, 1965 को अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दे दिया गया था।"

क्या हमसे यह आशा की जाती है कि हम ऐसे वक्तव्य सुनें ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको पढ़ लिया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : वह कहते हैं कि हम अमुक तारीख की कार्यवाही को देख सकते हैं। क्या इतने थोड़े से समय में हमारे लिये उस कार्यवाही को लेकर पढ़ना संभव है ?

श्री हरि विष्णु कामत : यह विवरण एक घंटा पहले दिया जाना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने विरण पढ लिया है। कुछ और जानकारी दी जानी चाहिये थी। दूसरा पहलू भी है। जानकारी यहां सदस्यों को दी गई है और इसलिये, सदस्यों से आशा की जाती है कि वे इसको जानते है।

Shri M. L. Dwivedi : What are the rules for instituting an enquiry against a Minister or the Chief Minister; whether any preliminary investigation is made prior to inquiry being held or the inquiry is held straightway ?

Shri Hathi : Different procedures are followed in different cases, but an enquiry is held only when there is a *prima facie* case.

Shri M. L. Dwivedi : The Statement does not reveal whether Government has decided to take this case in a court of law.

Shri Hathi : The Prime Minister had given a statement in this regard on the 16th March, 1965 which runs as follows :

"The resignation has already been tendered and now the allegations of misappropriation and improprieties are being enquired into thoroughly by the Accountant General and Auditor General. After receiving their Report

it will be decided whether legal action should be taken or not on the basis of that Report. Only on receipt of the Report of the Public Accounts Committee, further action can be taken.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर नहीं दिया गया है। विवरण में गबन और अनियमितताओं का कोई उल्लेख नहीं है।

श्री हाथी : विवरण में यह दिया गया है। अभी जो मैंने पढ़ा था वह 16 मार्च, 1965 को स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये भाषण से लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह वांछनीय नहीं होगा कि इसका सारांश दे दिया जाये? यद्यपि सदस्यों से यह अपेक्षित है कि यहां पर जो भी कुछ सभा-पटल पर रखा जाये या सभा में कहा जाये वे उसकी जानकरी रखें, फिर भी केवल यह कह देना, कि पिछली बार उत्तर दे दिया गया था, काफी नहीं है।

श्री हाथी : भविष्य में हम इसी प्रक्रिया का पालन करेंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्न में गबन का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। मैं नहीं समझता कि जो उत्तर दिया गया है उसमें यह भी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको देखूंगा कि इसका उत्तर आ गया है या नहीं।

श्री भागवत झा आजाद : विवरणों को देखने से पता चलता है कि लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के पश्चात ही कोई कार्यवाही की जा सकती है। प्रतिवेदन शीघ्र दिया जाये। क्या इसके लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे है, ताकि जो अफवाहें फैल रही हैं उनको रोका जा सके?

श्री हाथी : उड़ीसा की लोक लेखा समिति ने अभी प्रतिवेदन पर विचार नहीं किया है, और मैं समझता हूं कि वे वित्तीय वर्ष के बाद विचार करेगी।

श्री रंगा : चुनावों के पश्चात्।

श्री हाथी : इससे हमारा कोई संबंध नहीं है।

श्री स० चं० सामन्त : उड़ीसा की लोक लेखा समिति ने इस पर अब तक विचार क्यों नहीं किया है? क्या उस समिति के स्थान पर दूसरी लोक लेखा समिति नियुक्त की जा रही है?

श्री हाथी : मुझे इसका पता नहीं है। जैसा कि मैं समझता हूं, मुख्य मंत्री ने लोक लेखा समिति के सभापति से शीघ्र प्रतिवेदन देने के लिये कहा था, परन्तु कुछ मदभेद था या कुछ विलम्ब हो गया था, और जैसा कि सभापति ने कहा है, उन्हें अभी अन्य प्रतिवेदनों पर विचार करना है और इस पर कुछ समय के बाद ही विचार किया जा सकेगा। मैं तो यही स्थिति समझ पाया हूं।

श्री रंगा : कुछ समय पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये मत को ध्यान में रखते हुए मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में उत्तरदायित्व-पूर्ण पद धारण करने की अनुमति देना अवांछनीय है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विलम्ब का लाभ उठाते हुए, जिसे लोक लेखा समिति द्वारा किया गया बताया जाता हैं, क्या सत्ताधारी दल तथा मंत्रालय उन्हें इस राज्य का मुख्य मंत्री पुनः बनाने में सहायता दे रहे हैं यद्यपि केन्द्रीय जांच विभाग तथा शिक्षा मंत्री ने उक्त मत व्यक्त किया था और विभिन्न

संसद्‌ सदस्यों के इस मत पर कि ऐसे व्यक्ति को उत्तरदायित्वपूर्ण सार्वजनिक पद पर रखना और विशेषतया उन्हें अपनी कार्यकारिणी समिति का सदस्य रखना अवांछनीय है, स्वर्गीय प्रधान मंत्री को ध्यान देना चाहिये था।

श्री हाथी : जहां तक जांच पर तथा मंत्री मंडल की उपसमिति के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने का संबंध है, स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने 22 फरवरी, 1965 को एक वक्तव्य दिया था जो कि इस प्रकार है :

"समिति ने श्री बी० पटनायक, श्री बिरेन मित्रा और संबंधित मंत्रियों से प्राप्त टिप्पणियों की ध्यानपूर्वक जांच की थी। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपलब्ध दस्तावेजों की जांच से यह प्रतीत नहीं होता कि श्री पटनायक और श्री मित्रा ने उन सौदों से, व्यक्तिगत रूप से कोई आर्थिक लाभ उठाया था, जिनसे वे संबंधित थे। तथापि समिति ने यह अनुभव किया कि कई सौदों में निश्चित रूप से अनौचित्य था जिसके लिये श्री पटनायक और श्री मित्रा को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये . . . ."

फिर जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने त्यागपत्र दे दिये थे। मुख्य मंत्री तथा श्री पटनायक ने अन्य सार्वजनिक निकायों से भी त्यागपत्र दे दिये थे।

श्री रंगा : क्यों ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय मंत्री मंडल की उपसमिति के प्रतिवेदन से पढ़ रहे हैं ? इस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रख दिया जाना चाहिये, क्योंकि उन्होंने इससे उद्धरण दिया है।

श्री हाथी : मैं, 22 फरवरी, 1965 को भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को पढ़ रहा हूं।

श्री रंगा : उनको त्यागपत्र देने के लिये बाध्य किया गया था क्योंकि उनके विरुद्ध लोकमत बन गया था।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के केवल कुछ ही पहलुओं से लोक लेखा समिति का संबंध है, जिन पहलुओं के बारे में कि महालेखापरिक्षक ने जांच की थी। क्या यह सच नहीं है कि हाल ही में, दिसंबर में, कलकत्ता में एक मकान में तलाशी के बाद, जिस मकान को श्री पटनायक के एक संबंधी का मकान बताया जाता है, जब अधिकारियों ने एक पक्की दीवार को तोड़ा तो उन्हें एक तिजोरी (लॉकर) मिला जिसमें लगभग 45 लाख रुपये के मूल्य की हुन्डियां थीं, जिन्हें काला धन बताया जाता है और श्री पटनायक को लिखे गये पत्र थे और उनको जब्त कर लिया गया था; और यदि हां, तो इनको जब्त करने के बाद श्री पटनायक को भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत निरुद्ध क्यों नहीं किया गया अथवा उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री हाथी : समिति की जांच के बाद अथवा बाद में ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : हाल में।

श्री हाथी : मुझे इसके लिये समय चाहिये।

श्री नाथ पाई : श्री ति० त० कृष्णमाचारी द्वारा त्यागपत्र दिये जाने का कारण यह था कि वह इस बात से सहमत नहीं थे कि उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश करे। चूंकि उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध जांच के लिये भिन्न

प्रक्रिया अपनाई गई थी, उस मामले में मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने जांच की थी। अतः क्या हम जान सकते हैं कि क्या अब सरकार ने सन्थानम समिति की इस महत्वपूर्ण सिफारिश को मान लिया है, कि राज्य के मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा तथा केन्द्रीय सरकार के मंत्रीमंडलीय स्तर के मंत्री के विरुद्ध आरोपों की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाये ? अथवा क्या सम्बन्धित व्यक्ति के अनुसार प्रक्रिया बदली जायेगी ?

श्री हाथी : सन्थानम समिति की सिफारिशों के बारे में गृह-कार्य मंत्री बता चुके हैं कि ऐसे मामलों में सरकार द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि मुख्य मंत्रियों अथवा केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध जांच की जाती है, तो प्रधान मंत्री इस बात का निर्णय करेंगे कि वह शिकायतों की जांच स्वयं करें या किसी की सहायता लें।

श्री रंगा : जो कुछ हुआ है उसके परिणामस्वरूप यह प्रक्रिया बदनाम हो गई है।

श्री हाथी : इस मामले में प्रधान मंत्री महोदय ने यह कार्य मंत्रिमंडल की उपसमिति को सौंप दिया था। उसकी सलाह पर ही यह कार्यवाही की गई थी।

श्री नाथ पाई : मेरे प्रश्न का उत्तर यह नहीं है। मैं भी सन्थानम समिति का सदस्य था। समिति ने अपनी सिफारिश में स्पष्ट कहा है कि मंत्रीमंडलीय स्तर के मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा तथा राज्यों के मंत्रियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाये। यह प्रक्रिया भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय के विरुद्ध लगे आरोपों के मामले में श्री शास्त्री जी ने अपनाई थी। क्या यह प्रक्रिया सभी मामलों में समान अपनाई जायेगी या सम्बन्धित व्यक्ति के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जायेगा ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य का कहना ठीक है। मैंने कहा है कि हमने सन्थानम समिति की इस सिफारिश को नहीं माना है। जो सिफारिशें हमने मानी हैं उनके बारे में गृह-कार्य मंत्री बता चुके हैं।

श्री वासुदेवन नायर : मैं बिना कोई आक्षेप लगाये यह जाना चाहता हूं कि चूंकि लोक लेखा समिति के अधिकांश सदस्य सत्तारूढ़ दल के होते हैं, अतः सरकार ने इस मामले को उसे सौंपना क्यों उचित समझा ? जन साधारण लोक लेखा समिति के निर्णय से किस प्रकार सन्तुष्ट होगा ? इसके लिये निष्पक्ष न्यायिक जांच क्यों नहीं करवाई गई ?

श्री हाथी : लोक लेखा समिति को कोई कार्य सौंपने का प्रश्न नहीं है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लेखा परीक्षण प्रतिवेदन को विधान मंडल के सभा-पटल पर रखा जाता है और उस पर लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जाता है। इसे सभा-पटल पर रखा गया था और अब इस पर लोक लेखा समिति विचार करेगी। हमें समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिये। यदि समिति के सामने कोई बात आयेगी तो उस पर सरकार आगे कार्यवाही करेगी।

+ **"इंटक" का अधिवेशन**

*982. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भिलाई में हुए "इंटक" के सोलहवें वार्षिक अधिवेशन की कार्यवाही की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अधिवेशन में कौन कौन से ऐसे मुख्य संकल्प पारित किये गये थे जिनका सम्बन्ध उनके मंत्रालय से है; और

(ग) उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार ने अधिवेशन में पारित संकल्पों को देख लिया है।

(ख) बम्बई की हड़ताल, कर्मचारी निर्वाह निधि योजना, छंटनी, जबरी छुट्टियों तथा काम-बंदियों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के साथ महंगाई भत्ता जोड़ने और खेतिहर मजदूरों की दशा सम्बन्धी संकल्पों का इस मंत्रालय से विशिष्ट सम्बन्ध है।

(ग) संकल्पों में निहित उद्देश्यों से सरकार की पूरी सहानुभूति है। वास्तव में इन संकल्पों के अन्तर्गत आने वाले अनेक मामलों के बारे में सरकार द्वारा पहले ही आवश्यक कार्यवाही की चुकी है, जिसका विस्तृत ब्यौरा सभा-पटल पर रखा दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5989/66।]**

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपका ध्यान विवरण की ओर दिलाता हूं। विवरण की पहली मद यह है कि बम्बई हड़ताल का तिरस्कार किया गया, जो कि गलत है।

श्री जोकीम आल्वा : हमें अवसर नहीं दिया जाता है, जब कि अन्य लोगों को कई अवसर मिलते हैं।

श्री रंगा : माननीय सदस्य का नाम प्रश्न पूछने वालों की सूची में नहीं। पहले प्रश्न पूछने वालों को पूछने दीजिये। बाद में अन्य सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या प्रश्नों का निर्णय दलवार किया जाता है ? आप सदस्यों को व्यक्तिगत आधार पर प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं। इसमें दल का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : किस नियम के अन्तर्गत अनुमति दी जाती है ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : अध्यक्ष-पीठ की अनुमति से।

अध्यक्ष महोदय : यह शिकायत करना अनुचित है कि मैं पक्षपात करता हुं।

श्री भागवत झा आजाद : हमने शिकायत नहीं की। हम केवल यह चाहते हैं कि हमें भी अवसर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : श्री अल्वा ने इस बारे में शिकायत की है।

श्री रंगा : पहला प्रश्न कांग्रेस के सदस्यों ने पूछा था और उस पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के दिये गये उत्तर में कोई संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई फिर भी माननीय सदस्य संतुष्ट हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि हमें भी प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य कियत नियम के अन्तर्गत अनुपूरक पूछ रहे हैं ?

श्री जोकीम आल्वा : हम कई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं किन्तु हमें अवसर ही नहीं मिलता है।

श्री वासुदेवन नायर : श्री आल्वा शिकायत तो कर रहे हैं, किन्तु उन्होंने कभी किसी प्रश्न की सूचना नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : मैं मूल प्रश्न पूछने वाले सदस्यों को प्राथमिकता देता हूं।

श्री प्र० चं० बरुआ : चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिये उद्योगों का यंत्रीकरण तथा आधुनिकीकरण आवश्यक बन गया है, अतः क्या मैं जान सकता हूं कि जहां पर यंत्रीकरण करने से बेरोजगारी फैलने का खतरा है वहां सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री शाहनवाज खां : मशीनों के प्रयोग के कुछ मामलों के बारे में विशेष रूप से कुछ तेल समवायों में हमें पता है। हमने इस सम्बन्ध में पूछताछ की थी और हमें आश्वासन दिया गया है कि इससे किसी प्रकार की छंटनी नहीं की जायेगी।

श्री प्र० चं० बरुआ : इन्टक ने मांग की है कि जिन उद्योगों के बन्द होने की संभावना है उन पर निगरानी रखी जाये। क्या सरकार इस बात के लिये तैयार है कि यदि मजूरी कम देने से उद्योग बन्द होने से बच सकते हैं तो वह प्रबन्धकों तथा मजदूरों को इसके लिये सहमत कराये?

श्री शाहनवाज खां : उद्योग बन्द होने के भिन्न कारण हो सकते हैं। प्रत्येक मामले पर उसके गुण और दोष के अनुसार विचार करना पड़ता है। उद्योग बन्द होने के सभी कारणों पर विचार करना पड़ता है।

Shri M. L. Dwivedi : It has been stated in Part 9 of the Statement that the seminar was held in August, 1965 to consider the problems of agricultural labour. I want to know since when steps are being taken and what replies have been received from the state Government ?

Shri Shahnawaz Khan : It is a State subject and a question of employment of crores of people. All the State Governments have been informed of the resolutions and the views expressed in the seminar. Every State Government has been advised to fix minimum wages and to see that the agricultural labour should at least get minimum wages.

Shri Bhagwat Jha Azad : Employees provident fund scheme has been applied to 103 industries. May I know how many industries are there which come within the perview of its definition to which the scheme has not so far been made applicable?

श्री शाहनवाज खां : कर्मचारी भविष्य निधि योजना आरंभ में 1952 में छः उद्योगों पर लागू की गई थी और अब बढ़ाकर उसे 103 उद्योगों पर लागू किया गया है। अब उद्योगों के वित्तीय तथा अन्य पहलुओं को ध्यान में रख कर इस अधिनियम को और अधिक उद्योगों पर लागू करने का प्रस्ताव है। हम इस योजना के क्षेत्र का विस्तार करने का बराबर प्रयत्न कर रहे हैं। उद्योगों द्वारा कुछ निश्चित संख्या में कर्मचारी रखने पर हम यह योजना लागू करते हैं।

श्री स० चं० सामन्त : विवरण में बताया गया है कि अगस्त, 1965 के सम्मेलन की सिफारिशों के बारे में केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित मंत्रालयों को सूचित किया गया है। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री शाहनवाज खां : केन्द्रीय यंत्रीकृत फार्म आदि केन्द्रीय सरकार के कुछ उपक्रम है और मुझे विश्वास है कि वे इसे अपनायेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

अमरीका में भारतीय विद्यार्थियों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान में कमी

+

*984. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री काजरोलकर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में, विशेष रूप से अमरीका में शिक्षा पा रहे भारतीय विद्यार्थियों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान में कमी के बारे में उन्हें कोई शिकायत मिली है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें अमरीका में अपने सम्बन्धित विषय का अध्ययन आरम्भ करने से पहले लगभग एक वर्ष तक अंग्रेजी भाषा पढ़नी पड़ती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या विदेशों में अध्ययन के लिये जाने के इच्छुक भारतीय विद्यार्थियों की इस कठिनाई को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : अमरीका में हमारे दूतावास द्वारा सरकार को यह बताया गया है कि अमरीका जाने वाले हमारे कुछ विद्यार्थी, अंग्रेजी में अपर्याप्त योग्यता के कारण, अपने पाठ्यक्रमों को समझ न पाने के कारण घाटे में रहते हैं। अमरीका के विश्व-विद्यालय प्रायः अंग्रेजी के कमजोर विद्यार्थियों को अपने नियमित पाठ्यक्रम में शामिल होने से पहले अंग्रजी भाषा में एक पाठ्यक्रम देने पर जोर देते हैं, जो कभी कभी कई महीनों से समाप्त होता है। यह कठिनाई विशेषतः गुजरात से आने वाले विद्यार्थी महसूस करते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस तथ्य की ओर गुजरात सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। वह सरकार अमरीका जाने वाले विद्यार्थियों के लिये एक विशिष्ट निर्धारण पाठ्यक्रम शुरू करने की सम्भावना पर विचार कर रही है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या सरकार उनके पहले के अंग्रेजी के परीक्षाफल पर निर्भर करती है या भेजने से पहले उनकी अंग्रेजी की मौखिक परीक्षा ली जाती है ?

श्री मु० क० चागला : स्थिति इस प्रकार है कि जिन विद्यार्थियों को सरकार भेजती है वे चयन समिति द्वारा छांटे जाते हैं। विदेशी मुद्रा मिल जाने पर बहुत से विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप स जाते है। उन विद्यार्थियों के मामले मे चयन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या अब उनक अंग्रेजी के ज्ञान की परीक्षा करने के लिये कोई व्यवस्था की जायेगी ?

श्री मु० क० चागला : मुझे बताया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात सरकार का विचार न केवल अंग्रेजी के अपितु अन्य यूरोपीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिये एक भाषा संस्था स्थापित करने का है। चौथी पंचवर्षीय योजना में अध्यापकों को अंग्रेजी में प्रशिक्षण देने तथा अंग्रेजी की शिक्षा में सुधार करने के लिये भी एक अन्य अंग्रेजी भाषा संस्था खोलने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि वह अंग्रेजी प्रधान पाठ्यक्रम आरंभ करेगी।

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it not really a movement against the language policy of Gujarat Government ? If not, do the Government of India impart training in English only to students going to America, who are weak in English or do they emphasise on imparting education to students going to other countries in the languages of those countries also ?

श्री मु० क० चागला : गुजरात के विद्यार्थियों को विशेष कठिनाई अनुभव होती है। अंग्रेजी के सम्बन्ध गुजरात की भाषा नीति अन्य राज्यों से भिन्न है। वहां विद्यार्थियों को माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी की शिक्षा देना आरंभ किया जाता है।

Shri M. L. Dwivedi : Do the students of other countries, whose mother tongue is not English, go to America with adequate knowledge of English or whether the Indian students only, particularly from Gujarat, have to face this difficulty?

श्री मु० क० चागला : चूंकि संयुक्त राज्य अमरीका की भाषा अंग्रेजी है और वहां पर विश्व-विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है अतः जो विद्यार्थी वहां पर शिक्षा लेना चाहते है, विश्व-विद्यालय द्वारा इस बात पर जोर देना स्वाभाविक है कि उन विद्यार्थियों को अंग्रेजी का अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिये। यह बात सभी देश के विद्यार्थियों पर लागू होती है।

श्री प्र० चं० बरुआ : चूंकि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी के प्रयोग से अंग्रेजी का ज्ञान कम होने की संभावना है, अतः क्या अंग्रेजी भाषा वाले देशों में प्रशिक्षण के लिये जाने वाले लोगों के लिये स्थायी प्रशिक्षण कक्षाओं की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री मु० क० चागला : जब हम अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषाओं अथवा हिन्दी भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमें विदेशों में अध्ययन के लिये जाने वाले विद्यार्थियों के लिये उसी प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिस प्रकार की व्यवस्था रूसी भाषा के लिये की गई है। हमने एक रूसी भाषा अध्ययन संस्था स्थापित की है ताकि विद्यार्थी रूस जाने से 10–12 महीने पहले रूसी भाषा सीख सकें। जब विद्यार्थी रूसी भाषा सीखे बिना विशेष अध्ययन के लिये रूस जाते थे, तो उन्हें कुछ कठिनाई होती थी। उन्हें अध्ययन आरंभ करने से पहले एक वर्ष तक रूसी भाषा सीखनी पड़ती थी। इस कठिनाई को दूर करने के लिये हमने यह संस्था स्थापित की है। अंग्रेजी के मामले में भी हमें ऐसी ही व्यवस्था करनी पड़ेगी।

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has just stated that the knowledge of English of students from Gujarat, who go to America, is poor as they start study of English at a much later stage. Why do the Government not adopt a uniform language policy for whole of the country?

श्री मु० क० चागला : यह संवैधानिक कठिनाई है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा राज्य के विषय हैं। अंग्रेजी किस स्तर से शुरू की जाये इस विषय में राज्य सरकारें निश्चित करती है और यह देश में भिन्न भिन्न स्तरों से शुरू की जाती है।

Correspondence in Hindi

+
*985. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri S. C. Samanta**
Shri Jagdev Singh Siddhanti : **Shri Subodh Hansda:**
Shri Hukum Chand Kachhavaiya : **Shri P. C. Borooah :**
Shri Bhagawat Jha Azad : **Shrimati Savitri Nigam:**
Shri M. L. Dwivedi : **Shri Bibhuti Mishra :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made in having progressive use of Hindi in correspondence with Hindi-speaking States;

(b) whether Hindi-speaking States have expressed some difficulties in this regard;

2—51 L. S./66

(c) if so, the steps taken to remove those difficulties; and

(d) the names of those State Governments who have decided to use Hindi in their mutual official correspondence?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The percentage of Hindi communications received from the Hindi-speaking States and replied to in Hindi increased from 54 in the half year ending 31st December, 1964 to 78 in the half year ending 30th June, 1965.

(b) The Chief Ministers' Conference held in December, 1964 had decided that there should be a convention that if the original communication was in Hindi, an authorised English translation should accompany it. Except U. P. the other three Hindi-speaking States have issued instructions accordingly.

(c) This decision was taken by the Chief Ministers keeping in view the fact that a large number of Central Government employees do not possess adequate knowledge of Hindi. Arrangements exist in Central Government offices for disposal of letters received in Hindi without a translation in English accompanying them.

(d) U. P., Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat.

Shri Prakash Vir Shastri : What is the percentage of the letters which are being exchanged in Hindi by Central Government with its offices situated in Hindi-speaking States, and if they are not exchanged in Hindi what is the difficulty in the way?

Shri Vidya Charan Shukla : Information regarding this is not available with me at present. I will reply to this in case a separate notice is given.

Shri Prakash Vir Shastri : The hon. Minister Stated in his reply that a large number of letters are exchanged with Hindi-speaking States in Hindi I want to know the reasons for which the decision in this respect has not been implemented fully and what are the particular difficulties in this connection?

Shri Vidya Charan Shukla : The particular difficulty in this respect is that officers and employees have not got sufficient knowledge of Hindi. The Hindi speaking Government employees have knowledge of this language but non-Hindi-speaking employees have not yet got knowledge of this language to the desirable extent although it has been the policy of Government to give them various facilities to learn Hindi and those facilites have been given. But as the hon. Member is aware, there are a number of reasons due to which the progress in this respect have been slow and Government employees have not acquired sufficient knowledge of the language so far. These are the reasons due to which we have not been able to make headway in the use of Hindi for official purposes to the extent to which we should have done.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will you please elucidate the number of reasons which obstructed our progress in this respect so that in future progress could be made in the light of them ?

Shri Vidya Charan Shukla : The greatest hindrance have been the controversy about official language in the country. Due to that reasons there have been riots in the country and this matter has been elaborately discussed

in this House a number of times. We are aware of all these factors but we are proceeding in accordance with our basic policy and that way we are trying to move forward.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Lakhs of people have learnt Hindi which is not being put to any use. Lakhs of people remain unemployed. Is it not a fact ? Is it also not a fact that all the reports of various Ministries are published in English and frequently they are not published in Hindi ? I want to know what are reasons for the same and what are the difficulties in the way.

Shri Vidya Charan Shukla : All the reports of Ministries are published in Hindi as well. Possibly there may be some difficulties but we try to overcome them and the reports are published in Hindi and they are given to the hon. Members.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Lakhs of people have learnt Hindi but their knowledge is not being put to any use. What is the reason for that ?

Shri Vidya Charan Shukla : This is not correct.

Shri Bhagwat Jha Azad : Is it a fact that the Governments of Hindi-speaking States do not write letters to the Centre in Hindi due to the fact that no arrangements exist in Central Ministries to get them translated into English consequent to which action on their letters are delayed and hence they are constrained to give English version along with Hindi version of their letters? If it is not a fact, have the Central Government made such arrangements by which action on letters written in Hindi could be taken as expeditiously as in the case of letters written in English and will the arrangements be made to reply to such letters in Hindi only ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already said that arrangements for translating the Hindi letters received from State Governments already exist in Central Government offices. It is true that same delay is there in taking action on the letters received in Hindi. But arrangements for translation do exist and action is taken on such letters.

One of the reasons for the slow progress in this matter is that State Governments are asked to submit an authorised version along with their Hindi letters. Difficulty frequently arises due to this and we are considering over this matter.

Shri M. L. Dwivedi : According to Constitution "English may continue to be used in addition to Hindi". I want to know whether the decision taken in the Chief Ministers' Conference that Hindi-speaking States should submit the English version along with their Hindi letters would be accepted ignoring the constitution and the Language Act?

Shri Vidya Charan Shukla : This is a matter of policy, a question of principle, which cannot be discussed here at present.

Shri M. L. Dwivedi : If the opinion of Chief Ministers goes against the Act, why is it accepted?

श्री स० चं० सामन्त : हिन्दी भाषी राज्यों को शीघ्र ही हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने में क्या कठिनाई है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हिन्दी भाषी राज्य केन्द्र को हिन्दी में पत्र लिख रहे हैं और हम उन में से अधिक से अधिक पत्रों का उत्तर हिन्दी में दे रहे हैं। जो कठिनाइयां हमारे अथवा राज्यों के मार्ग में हैं हम उन्हें दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : चूंकि पिछले 200 वर्ष से हमारे देश में अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है और इस के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करने में स्वभावतः कुछ समय लगेगा। क्या जल्दी में हिन्दी का प्रयोग आरम्भ करने से हमारी कुशलता पर असर नही पड़ेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम इन सभी पहलुओं की ओर ध्यान देते हैं।

Shrimati Savitri Nigam : It has been stated that Hindi-speaking States have been asked to submit both English as well as Hindi versions of their letters. Why have the translators not been appointed in each Ministry here? If they have been appointed what is their number and also what encouragement has been given to those officers who have passed Hindi examinations after putting in hard labour?

Shri Vidya Charan Shukla : This decision was taken in the Chief Ministers Conference. Translators have been appointed in each Ministry and Hindi letters are translated into English and action is taken on them. Incentives have also been given to the officers who have learnt Hindi. In case the hon. Member wants to know the nature of those incentives, I can explain.

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that the number of Hindi knowing persons in Central Ministries as also in the Ministries of Hindi speaking States is hardly ten per cent.? Are the Government contemplating to increase the number of Hindi knowing persons in Central Ministries as well as in the Secretariats of the Hindi-speaking States?

Shri Vidya Charan Shukla : I have no information regarding the ratio of the Hindi knowing persons in Government offices. But we are working in accordance with the policy of the Government in this respect and we are trying to make headway.

श्रमजीवी पत्रकारों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड

+

*987. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री महेश दत्त मिश्र :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री वाडिवा :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमजीवी पत्रकारों तथा उनके अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों सम्बन्धी मजूरी बोर्ड ने अपना प्रतिवदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो विलम्ब के क्या कारण है?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : (क) और (ख) : दोनो मजूरी बोर्डों ने अंतरिम सहायता की मंजूरी के लिये सिफारिशें की ह । ये सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है और उनकी कार्यान्विति का कार्य जारी है । इन दोनों मजूरी बोर्डों की अंतिम रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) बोर्ड महत्वपूर्ण मामलों को निपटाते हैं और उन्हें विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोणों को ध्यान में रखना पड़ता है । फिर भी वे यथा शीघ्र काम कर रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सही है कि मजूरी बोर्डों द्वारा श्रमजीवी पत्रकारों और गैर-श्रमजीवी पत्रकारों के लिए जो अन्तरिम सहायता की सिफारिश की गई थी उसे कई नियोजकों और समाचारपत्रों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया है ? कितने लोगों के मामले में इसे कार्यान्वित किया गया है और कितनों के मामले में नहीं किया गया है और कार्यान्वित न करने का क्या कारण है ?

श्री शाहनवाज खां : समूचे तौर पर इसे कार्यान्वित करने की प्रगति सन्तोषजनक है । आंध्र प्रदेश को कुल 15 संस्थापनाओं में जिन में 204 व्यक्ति काम करत हैं, श्रमजीवी पत्रकारों के मामले में इसे कार्यान्वित किया गया है । इस प्रकार वहां इस का शत प्रतिशत कार्यान्वयन हुआ है । बिहार में 174 में से 160 लोगों के मामले में इसे कार्यान्वित किया गया है । अधिकांश राज्यों में इस को प्रगति अच्छो है । कुछ राज्यों में इस की प्रगति सन्तोषजनक नही है । वहां भी इसे कार्यान्वित कराने की हम कोशिश कर रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : कितनी संस्थापनाओं ने इसे कार्यान्वित किया है और कितनों नें नहीं किया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस का विवरण बाद में सभा-पटल पर रखा दिया जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम के अन्तर्गत गैर श्रमजीवी पत्रकार नही आते इस कारण मजूरी बोर्ड की सिफारिश के अनुसार सेवा की शर्तों के कार्यान्वयन में अवश्य कुछ कठिनाई उत्पन्न होगी । इसलिए यदि योजकों द्वारा इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जाता तो क्या गैर-श्रमजीवी पत्रकारों को शामिल करने के लिये सरकार कोई विधान पेश करेगी ?

श्री शाहनवाज खां : अंतिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है । उस के प्राप्त होने पर ही विधान पेश करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

श्री प्र० चं० बरुआ : प्रथम मजूरी बोर्ड के एवार्ड के बाद चूंकि जीवन-निर्वाह व्यय बढ़ चुका है, मैं जानना चाहता हूं कि श्रमजीवी पत्रकारों के मामले में यह कहां तक निष्प्रभाव किया गया है ?

श्री शाहनवाज खां : मजूरी बोर्ड सिफारिशें करने से पूर्व उस प्रश्न पर विचार करेंगे ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इन दो मजूरी बोर्डों ने अपना काम पूरा कर लिया है और कब तक उनके प्रतिवेदन प्राप्त होने की आशा है ?

श्री शाहनवाज खां : हम ने उन से कहा है कि वे अपना काम जल्द से जल्द पूरा करें । सामान्यतः मजूरी बोर्ड 2 या $2\frac{1}{2}$ वर्ष का समय लेते हैं । इतना समय लगता ही है चूंकि उन्हें प्रश्नावलो आदि जारी करनी पड़ती है । उन्हें साक्ष्य भी रिकार्ड करना पड़ता है ।

श्री भागवत झा आजाद : इस दृष्टि से कि बोर्ड को अपना कार्य पूरा करने में इतना समय लगेगा क्या बढ़ हुए जीवन-निर्वाह व्यय को देखते हुए मजूरी में अन्तरिम या तदर्थ वृद्धि कर दी जायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : वह पहले ही कर दी गई है।

श्री दाजी : क्या प्रथम मजूरी बोर्ड के एवार्ड को कई समाचारपत्रों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया है यद्यपि चार वर्ष से अधिक समय बीत चूका है, यदि हां, तो सरकार उन के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने में क्यों हिचकिचा रही है। क्या सरकार को यह भय है कि वे समाचार पत्र उन के विरुद्ध प्रचार करेंगे ?

श्री शाहनवाज खां : जी नहीं। ऐसा भय नहीं है।

श्री दाजी : तो उन के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की जाती उन्हें ऐसा करने के लिये कहने मात्र का क्या प्रश्न है ?

श्री शाहनवाज खां : इस का कारण यह है कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करना सांविधिक दायित्व नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Small newspapers do not come under the purview of Wage Board. What is the reaction of the Governments of U. P. and Madhya Pradesh regarding the implementation of the recommendations of the Board there ?

Shri Shah Nawaz Khan : All the newspapers come under its purview, whether small or large. In Madhya Pradesh this has been implemented in respect of 109 out of 132 persons and the progress has been satisfactory.

श्री श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार को ज्ञात है कि बहुत से महत्वपूर्ण समाचारपत्रों ने पिछले दो या तीन वर्ष से श्रमजीवी पत्रकारों को इस कारण वेतन वृद्धि देनी समाप्त कर दी है कि मजूरी बोर्ड नियुक्त कर दिया गया है, यदि हां, तो क्या इन्हें अन्तरिम सहायता देने का इरादा है ?

श्री शाहनवाज खां : मैं बता चुका हूं कि मजूरी बोर्ड ने श्रमजीवी पत्रकारों को 15 रुपये से 25 रुपये प्रति मास अन्तरिम सहायता देने की सिफारिश की है और अधिकांश मामलों में इस कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्रीमती सावित्री निगम : सरकार सभी समाचारपत्रों को कुछ न कुछ कोटा कागज का देती है और विज्ञापन भी देती है। क्या सरकार ने विशेषकर उन समाचारपत्रों को कोटा और विज्ञापन देना बन्द करने के लिये कोई कार्यवाही की है जिन्होंने बार बार सिफारिश करने पर भी मजूरी बोर्ड की सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया ?

श्री शाहनवाज खां : इस सुझाव के लिए मैं माननीय सदस्य का कृतज्ञ हूं। पहले हम नम्रतापूर्वक उन्हें मनाने कर प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु यदि इस में सफलता न मिली......... **(अन्तर्बाधा)** ।

श्रीमती सावित्री निगम : वह उन भेड़ियों को नम्रता से मना रहे हैं, जो पत्रकारों का खून चूसना चाहते हैं।

श्री दाजी : चार वर्ष बीत चुके है और अभी सरकार उन्हें मनायेगी। समाचारपत्रों द्वारा सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया है। आप कब तक उन्हें मनाते रहेंगे ?

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मंत्री ने कहा कि मजूरी बोर्डों को सांविधिक मान्यता प्राप्त नहीं है परन्तु ये बोर्ड श्रमिकों और नियोजकों का प्रतिनिधित्व करते है और एक तटस्थ

सभापति भी उन में होता है। यदि इन की सिफारिशों को लागू करना अनिवार्य नहीं है तो ऐसे मामलें न्यायाधिकरणों को क्यों नही सौंपे दिये जाते जिन के पंचाट दोनों पक्षों के लिए बाध्य हों ?

श्री शाहनवाज खां : सामान्यतया इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इन त्रिपक्षीय निकायों ने कुछ दायित्व अपने उपर लिए हैं परन्तु ये नैतिक दायित्व हैं जो उन्होंने स्वीकार किये हैं। यदि उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता तो न्यायनिर्णयन और मध्यस्थता की सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या आप बतायेंगे कि शब्द "शीघ्रकारी" का अर्थ कुछ मास है या दो से चार वर्ष ? क्या यह मजाक नहीं है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं नहीं समझ सका कि माननीय सदस्य चार वर्ष कैसे कह रहे हैं। उपमंत्री तो वर्तमान मजूरी बोर्ड के अन्तरिम पंचाट के कार्यान्वियन के बारे में उत्तर दे रहे हैं।

श्री दाजी : चार वर्ष से पंचाट को कार्यान्वित नहीं किया गया है।

श्री जगजीवन राम : यदि माननीय सदस्य अलग प्रश्न पूछें, तो मैं विस्तार पूर्वक उत्तर दूंगा।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उचित मूल्य वाली दुकानें

+

***988. श्री क० ना० तिवारी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभात कार :
श्री वासुदेवन नायर:
श्री श्रीनारायण दास :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री रामपुरे :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने कारखानों में उचित मूल्य वाले उपभोक्ता भंडार खोलने के लिये बाध्य करने के सम्बन्ध में कानून बनाने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने प्रतिशत कारखानों में इस समय उचित मूल्य वाली दुकानें है;

(ग) क्या इस योजना की प्रगति में बाधक होने वाली कठिनाइयों का विस्तृत मूल्यांकन करने के लिये सरकार का विचार सभी राज्यों के नियोजकों और कर्मचारियों की क्षेत्रीय बैठकें आयोजित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उस की मोटी रूपरेखा क्या है ?

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) कानून बनाने के प्रश्न पर 30-4-1966 के बाद विचार किया जायगा। क्योंकि प्रबन्धकों से उस तारिख तक ऐसी इकाईयों में जिन में 300 या अधिक श्रमिक काम करते हैं और जहां पर अभी तक ऐसे

भंडार/दुकानें नहीं खोली गई है, उपभोक्ता सहकारी भंडार/उचित मूल्य की दुकाने खोलने के लिये कहा गया है।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के लगभग 84 प्रतिशत प्रतिष्ठानें और गैर-सरकारी तथा राज्य क्षेत्रों के 61 प्रतिशत प्रतिष्ठान उपभोक्ता सहकारी भंडारों/उचित मूल्य की दुकानों की परिधि में आ गये हैं। इनमें असम और पश्चिम बंगाल के बागान शामिल नहीं हैं, जिन में स्थापित प्रथा के अनुसार श्रमिकों को सस्ता राशन दिये जाने की पद्धति है।

(ग) जनवरी और फरवरी, 1966 में चार क्षेत्रीय बैठकें हुई।

(घ) पहली बैठक दिल्ली में 16-17 जनवरी, 1966 को हुई, जिस में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा दिल्ली के राज्यों ने भाग लिया। दूसरी बैठक बम्बई में 1-2 फरवरी, 1966 में हुई जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा दमन तथा दीव के राज्यों ने भाग लिया। तीसरी बैठक 19-20 फरवरी, 1966 को मद्रास में हुई, जिसमें मद्रास, आंध्र प्रदेश, मैसूर, केरल और पाडचेरी के राज्यों ने भाग लिया। चौथी बैठक 23-24 फरवरी, 1966 को कलकत्ता में हुई जिसमें पश्चिमी बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा और मनीपुर तथा त्रिपुरा के राज्यों ने भाग लिया।

इन बैठकों का परिणाम बहुत उत्साह-वर्धक रहा, क्योंकि मजदूरों और मालिकों के प्रतिनिधियों ने योजना को कारगर ढंग से लागू करने के लिये तत्परता दिखाई है।

Shri K. N. Tiwari : May I know the reasons for not opening fair price shops in all the units in the public and private Sectors so far ? What are the difficulties in the way ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Shahnawaz Khan) : We have some difficulties relating to accommodation. In big cities, like Bombay and Calcutta, accommodation is not at all available for opening shops; there is shortage of shops. Besides, these shops could not be started at those places where rivalry existed between the local unions.

Shri K. N. Tiwary : May I know the nature of talks held and decisions taken at the Zonal meetings ?

Shri Shahnawaz Khan : It was felt that these stores should be opened as early as possible.

श्री प्र० चं० बरुग्रा : क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उचित मूल्य की दुकाने खोलने के बारे में आदेश दे दिये हैं और, यदि हां, तो ऐसी कितनी दुकाने अब तक खोली जा चुकी है ?

श्री शाहनवाज खां : अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र में इस सम्बन्ध में काफी अच्छी प्रगति हुई है, सरकारी क्षेत्र में उनकी संख्या 86 प्रतिशत से भी अधिक है।

Shri M. L. Dwivedi : May I know the reasons as to why consumers stores could not be set up so far even in those public sector and private sector undertakings which are located in the centrally administered territories/areas and which are within the exclusive jurisdiction of the Centre, and how much assistance is provided to these stores by the Central Government ? Why do Government not compel the employers to set up such stores rather than putting a false blame on the workers ?

Shri Shahnawaz Khan : As I said the progress in the public sector was much better. 86 percent establishments have already been covered by these stores and I hope that the remaining establishments will also be covered very soon. The Private sectors are also being asked to set-up such stores as early as possible. In case they fail to comply with, the Government would not hesitate to introduce legislation, if necessary, after the 30th April, 1966. The Progress in the Centrally administered areas is also good.

Shri Bhagwat Jha Azad : Sir, the reply given to a supplementary asked by Shri K. N. Tiwari was not a satisfactory one. It was an evasive reply. I, therefore, repeat the same supplementary. May I know the results yielded by the Zonal meetings and the important decisions taken thereat ?

Shri Shahnawaz Khan : These meetings yielded encouraging results as both the workers and the employers indicated their readiness to make the scheme a success. In the cases where difficulties relating to shortage of ration and accommodation were apprehended, the State Governments were asked to remove those difficulties so that these fair price shops could be started as early as possible. I once again repeat that we are making our best efforts to see that these stores are opened very soon.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ औद्योगिक संस्थानों ने कुछ सहायता के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से अनुरोध किया है और यदि हां, तो वे किस रूप में सहायता चाहते हैं ?

श्री शाहनवाज खां : केन्द्रीय सरकार से कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया है किन्तु नियोजनों के कुछ प्रतिनिधियों ने योजना की क्रियान्विति पर होने वाले खर्च को वहन करने के बारे में कठिनाई व्यक्त की है।

श्री वासुदेवन नायर : प्रश्न फिर शीघ्र क्रियान्विति का उठता है क्योंकि यह निर्णय 1963 में लिया गया था, प्रतिशतता के अतिरिक्त, सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में, अलग अलग कुल कितने कर्मचारियों के लिये ये दुकाने/स्टोर खोले जाने वाले थे और और उनमें से कितने कर्मचारियों के लिये अब तक ये दुकाने/स्टोर खोले जा चुके हैं ?

श्री शाहनवाज खां : इस समय इस सम्बन्ध में जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। यदि सदस्य महोदय चाहें तो उन्हें यह जानकारी दी जा सकती है।

श्री वासुदेवन नायर : जी हां, मैं चाहता हूं।

श्री शाहनवाज खां : मैं बता चुका हूं कि सरकारी क्षेत्र में 86 प्रतिशत में ऐसी स्टोर खोले जा चुके हैं। व्यक्तियों संबंधी संख्या इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री लिंग रेड्डी : क्या यह सच है कि बहुत से उचित मूल्य की दुकानों को पर्याप्त खाद्यान्न नहीं दिये जाते और यदि हां, तो पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों की सप्लाई करने के लिये सरकार क्या कदम उठायेगी ?

श्री शाहनवाज खां : इन उचित मूल्य की दुकानों को राशन की सप्लाई करने के प्रश्न पर क्षेत्रीय बैठकों में भी विचार विमर्श किया गया था। राज्य अधिकारी इस बातसे सहमत हुये है कि, जहां कहीं उपभोक्ता सहकारी भंडार इसे चलाने के लिये तैयार हों, वे उस उपभोक्ता सहकारी भण्डार को एक राशन का दुकान देंगे।

फिल्म उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

+

*989. श्री दी० चं० शर्मा : श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र : श्री फिरोडिया :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड बनाने के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के हेतु कोई अध्यायन दल नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन दल ने अब तक कितना काम किया है;

(ग) इस की सिफारिशें क्या है; और

(घ) अध्ययन परिष्करण करने वाली प्रयोगशालाओं, वितरण व्यापार तथा सिनेमाओं में कितने कर्मचारी काम करते हैं।

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सांख्यिकीय सूचना एकत्र की जा रही है। गैर-सरकारी प्रकाशन में रोजगार के निम्नलिखित आंकड़े दिए गए है :

स्टुडियो, प्रोसेसिंग लेबारेटरीज़ एण्ड प्रोडक्शन	20,000
डिस्ट्रिब्यूशन	10,000
प्रदर्शनी (सिनेमा)	82,000
जोड़	1,12,000

श्री दी० चं० शर्मा : इस अध्ययन दल के सदस्य कौन-कौन हैं और यह अध्ययन दल कब नियुक्त किया गया था ?

श्री शाहनवाज खां : (1) डा० बी० आर० सेठ, उप सचिव, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय।

(2) श्री डी० जी० काळे, श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश, सरकार।

(3) श्री डी० आर० खन्ना।

(4) श्री एस० एन० रे।

(5) श्री कमल रत्नम्।

श्री दी० चं० शर्मा : उपमंत्री महोदय द्वारा पढ़ गय नामों से मै समझता हु कि ये सभी सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं। नियोजकों तथा कर्मचारियों और लोक सभा का कोई प्रतिनिधि इस अध्ययन दल में क्यों नहीं लिया गया ?

श्री शाहनवाज खां : यह एक अध्ययन दल है जो काम-काज प्रणाली के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर विचार करेगा। उसका प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने पर उसका अध्ययन किया जायेगा और तत्पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो उन्हें भी सम्बद्ध किया जायेगा।

श्री राम सहाय पाण्डेय : इस दल को अपना प्रतिवेदन देने में कितना समय लगेगा?

श्री शाह नवाज खां : उन्होंने काफी प्रगति की है और आशा है कि आगामी चार अथवा पांच महिनों में प्रतिवेदन तैयार हो जायेगा।

लिग्नाइट कारपोरेशन के सिविल इंजीनियर

अ० सू० प्र० संख्या 16. श्री कन्डपन : क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के सिविल इंजीनियरों ने 31 मार्च, 1966 से अपनी प्रस्तावित छांटनी के विरुद्ध सरकार से अपील की है ;

(ख) क्या इस अपील पर विचार किया गया है ; और

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों में इन्हें काम पर रखने की कोई गुंजाइश है?

खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सै० अ० मेहदी) : (क) और (ख) : हां, महोदय।

(ग) सरकार उनको सरकारी क्षेत्र निकायों अथवा सरकारी विभागों में लगाने का पूरा प्रयत्न कर रही है। इसके फलस्वरूप अतिरिक्त सिविल इंजीनियरों में से 42 को नौकरी दी जा चुकी है। इस के अतिरिक्त 47 सिविल इंजीनियरों को जिनमें वह 35 भी शामिल है जिन्हें छंटनी के लिये नोटिस दे दिये गये थे, नौकरी देने के प्रस्ताव दिए जा चुके हैं।

श्री कन्डपन : अभी कितने सिविल इंजीनियर खपने बाकी हैं और क्या उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में खपाने की कोई गुंजाइश है?

श्री सै० अ० मेहदी : लगभग 25 से 30 तक बाकी हैं और ऐसी आशा है कि उन्हें भी सेवा-प्रस्ताव तुरन्त ही मिल जायेंगे।

श्री कन्डपन : उनके द्वारा की गई अपील में उन्होंने यह कहा है कि उन्हें छटनी के नोटिस दिये जाने के बाद भी, अन्य सरकारी उपक्रमों में ऐसे भी मामल हुये हैं जहा उन्होंने नई भर्ती की आवश्यकता बताई है; क्या यह बात सच है और यदि हां, तो क्या सरकार के लिये यह उचित नहीं है कि वह सिविल इंजीनियरों का एक निकाय बनाये जिसमें वह इन फालतु इंजिनीयरों को खपा सके?

श्री सै० अ० मेहदी : नेवेली परियोजना से फालतू हुये इंजीनियरों को लेने के लिये सभी विभिन्न सरकारी उपक्रमों से कहा गया है। सरकारी उपक्रम सम्बन्धी कार्यालय (ब्यूरो) से भी इस मामले पर विचार करने के लिये कहा गया है। माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव पर भी विचार किया जायेगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : नेवेली परियोजना में कुल कितने इंजीनियर फालतू हो जायेंगे और अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जिनके लिये वैकल्पिक नियुक्ति उपलब्ध नहीं हुई है, क्या उन्हें ऐसी वैकल्पिक नियुक्ति उपलब्ध होने तक वहीं काम करने दिया जायेगा?

खान और धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : मैं नहीं जानता कि क्या यह सभा बेकार लोगों के लिये सरकारी क्षेत्र में एक ऐसे आर्थिक निगम की आशा करेगी जिससे केवल उस क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था को ही नहीं अपितु आम लोगों के मनोबल को भी गहरा धक्का न पहुचे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरे प्रश्न का उत्तर नही दिया गया है। उनकी कुल संख्या कितनी है ?

श्री सु० कु० डे : कुल लगाकर 248 सिविल इंजीनियर फालतू हो जायेंगे।

Shri Yashpal Singh : May I know whether Government have paid due attention to this fact that there is a great dearth of highly trained technical hands in India and Governments behaviour towards them has been rude; they are recruited as and when their services are required, but they are thrown out of the job or served with notices of retrenchment when their services are no longer required by the Government. May I know whether arrangements are being made for their permanent absorption ?

श्री सु० कु० डे : प्रत्येक परियोजना में निर्माण चरण होता है, और निर्माण चरण के समाप्त होते ही तुरन्त उत्पादन चरण आरम्भ हो जाता है, निर्माण चरण समाप्त होने के पश्चात् फालतू हो जाने वाले सिविल इंजीनियरों के सम्बन्ध में हमेशा ही दिक्कत बनी रहती है, विकासशील अर्थ व्यवस्था में उन्हें हमेशा खपाया जा सकता है, किन्तु पिछले एक वर्ष के अवधि में जैसा की सभा को भली भान्ति मालुम है कि निर्माण कार्यों की गति में अत्याधिक शिथिलता के फलस्वरूप हम मजबूर हो गये हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि इनमें से कई इंजिनियरों को 31 मार्च, 1966 को नौकरी से हटा दिया गया था और उन्हें वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया गया है ? क्या वरिष्ठता तथा अन्य प्रयोजनों के हेतु उनकी सेवा को लगातार सेवा के रूप में माना जायेगा ?

श्री सु० कु० डे : मेरी धारणा है ऐसा किया जाना चाहिये।

Shri Kashi Ram Gupta : 248 engineers have been served with notices of retrenchment. May I know the length of their service and whether it was a prescribed condition that their services could be terminated any time ?

श्री सु० कु० डे : 248 इंजिनियरों को बिना विचारे नोटिस देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्यों कि केवल 85 इंजिनियरों को अब तक नोटिस दिये गये हैं–उनमें से काफी इंजिनियर पहले ही खपा लिये जा चुके है अथवा उन्हें वैकल्पिक नौकरी के प्रस्ताव दिये गये हैं। शेष इंजिनियर काम पर हैं और उनके लिये अभी कम से कम एक वर्ष तक के लिये काम हैं।

Shri Kashi Ram Gupta : Sir, my question has not been answered, what is the length of their service ?

श्री सु० कु० डे : उनमें से सर्वाधिक वरिष्ठ इंजिनियर तो लगभग 8—10 वर्ष से और सर्वाधिक कनिष्ठ इंजिनियर लगभग $2\frac{1}{2}$ वर्ष से काम कर रहे हैं। ओवरसियरों तथा डिप्लोमा होल्डरों के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की स्थिति हैं।

श्री प्रिय गुप्त : चूंकि इनमें से अधिकांश निर्माण-कार्य, भारत सरकार के अधीन अलग अलग मंत्रालयों के अधीन किये जाते हैं और कुछ मामलों के बारे में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया हुआ हैं, एसी स्थिति में क्या सरकार एक सम्मिलित निकाय नहीं बना सकती और परियोजनाओं को इस ढंग में योजनाबद्ध नहीं कर सकती जिससे किसी एक स्थान पर फालतू घोषित किये

गये व्यक्तियों को बिना नौकरी से हटाये और उन्हें खपाने के लिये इधर-उधर दौड़-धूप किये बिना ठीक समय में उन्हें नौकरी पर रखा जा सके ? इस मामले पर सरकार का क्या विचार है ?

श्री सु० कु० डे : सरकार का विचार भी ठीक ऐसा ही है। वास्तव में अभी हाल ही में सभी प्रबन्धक निदेशकों तथा खान और धातु मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रधानों (चेयरमेन) के साथ हमारी एक वार्ता हुई जिसमें सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी ब्यूरो के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। निर्णय यही लिया गया है। किन्तु यदि कुछ अप्रत्याशित कारणों के फलस्वरुप योजनाओं में गड़बड़ हो जाती है, तो फिर कोई भी चीज क्रियान्वित नहीं हो पायगी।

श्री वासुदेवन नायर : क्या मंत्री जी को पता है कि शिक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिकों तथा उच्च रुप से अर्हता प्राप्त तकनीकी कर्मचारियों की एक निकाय की योजना है जिसके अन्तर्गत लोगों को, उनकी अर्हताओं को दृष्टि में रखते हुए बिना काम के भी वेतन दिया जाता है? क्या अर्हता प्राप्त इंजीनियरों के लिये ऐसी ही एक निकाय बनाने के बारे में वह सोच रहे हैं जिससे कि उन्हें बेरोजगार न होना पड़े ?

श्री सु० कु० डे : मैं तो केवल यही नम्र निवेदन कर सकता हूं कि ऐसा करना मेरे क्षेत्राधिकार के बाहर की बात है,

श्री हरि विष्ण कामत : क्या माननीय मंत्री महोदय को मैं यह स्मरण करा सकता हूं कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरूजी कहा करते थे कि भारत ने अब प्रायोगिक तथा आणविक युग में प्रवेश कर लिया है और सरकार अथवा योजना आयोग या दोनों ही, सभी प्रशिक्षित वैज्ञानिक तकनीकी कर्मचारियों तथा इंजीनियरों का एक रजिस्टर रखेंगे ताकि प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सेवाएं किसी भी प्रकार बर्बाद न हो जाये अथवा ऐसे व्यक्ति कहीं देश से बाहर न चले जाये। क्या उस रजिस्टर को रखा जा रहा है ताकि ये तकनीकी कर्मचारी बेरोजगार न रहे।

श्री सु० कु० डे : यह रजिस्टर रखा जा रहा है।

श्री हरि विष्णु कामत : तब यह बेरोजगारी कैसे है ? मैंने पूछा था 'ताकि कोई बेरोजगारी न रहें'।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने रजिस्टरके बारे में पूछा था जिसका उत्तर मिल गया है।

श्री भागवत झा आजाद : सरकार तथा मंत्री महोदय के लिये देश में उपलब्ध प्रतिभा का उपयोग तथा समन्वय करना क्यों संभव नहीं हो सका—जिससे कि 248 में से 80 इंजीनियरों को, जिन्हें नोटिस दिये गये हैं, किन्हीं अन्य स्थानों में निर्माण-कार्य में अविलम्ब खपाया जा सकता था ? समन्वय व्यवस्था क्यों नहीं है ?

श्री सु० कु० डे : मुझे दुःख है कि माननीय सदस्य ने स्पष्टतः उस उत्तर को नहीं समझा है जो आज सुबह दिया गया है, ठीक वही किया जा रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री जी मेरा प्रश्न नहीं समझते हैं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिये।

श्री दाजी : मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में किसी भी उद्योग में निर्माण चरण कभी न कभी जरूर ही समाप्त होता है। उसी तर्क के आधार पर, विकासशील अर्थव्यवस्था में, दूसरे उद्योग में निर्माण चरण भी साथ-साथ आरम्भ होना जरूरी है। इसलिये

उन्हें खपाने से पहले यदि कोई विलम्ब है, तो क्या उन्हें इस रजिस्टर में रखने तथा वतने देते रहने के बारे में कोई प्रस्ताव है ताकि राष्ट्र अनुभवी इंजीनियरों की तकनीकी सेवाओं को खो न बैठे ?

श्री सु० कु० डे : अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री ने दो चरणों तथा निर्माण चरण तथा उत्पादन चरण के सम्बन्ध में बताया है। जहां तक निर्माण चरण का सम्बन्ध है, क्या उनका मंत्रालय इस बात का हिसाब रखता है कि कितने व्यक्ति फालतू हो जायेंगे और कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जायेगा और कितने व्यक्तियों को अन्य परियोजनाओं में खपाया जा सकेगा ?

श्री सु० कु० डे : मंत्रालय अपने विशेषतः तकनीकी कर्मचारियों का काफी ध्यान रख रहा है और हम इस बात के लिये यथा संभव प्रयत्नशील रहेंगे कि उन लोगों को अन्य उपक्रमों म नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिले जिन्हें फालतू घोषित किये जाने की संभावना है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ठेका-श्रमिक प्रणाली

*983. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठेका-श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने तथा/अथवा उस को नियमित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में ठेकेदारों के पास कर्मचारियों के रूप में इस समय कितने श्रमिक काम कर रहे हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ठेका श्रमिकों को नियमित करने और उन्हें समाप्त करने के लिए समुचित विधान बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ख) उपलब्ध सूचना सभा की मेज पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5990/66।]**

देवनागरी लिपि में प्रतीक

*986. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम जैसी प्रादेशिक भाषाओं के विशेष प्रतीकों को व्यक्त करने के लिये देवनागरी लिपि में उपयुक्त प्रतीकों के प्रयोग के बारे में सरकार को राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया है।

विवरण

भारत सरकार ने सन 1960 में एक भाषा-विद समिति का निर्माण इस उद्देश्य से किया कि वह अन्य भारतीय भाषाओं की विशिष्ट ध्वनियों को, जिन के लिए देवनागरी लिपि में चिन्ह नहीं हैं, अतिरिक्त संकेत चिन्हों के सम्बन्ध में सुझाव दे। समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट गत वर्ष प्रस्तुत कर दी थी जिसको राज्य सरकारों, शैक्षणिक और साहित्यिक संस्थाओं, प्रमुख भाषाविदों तथा विद्वानों को टिप्पणी और सुझाव देने के लिए भेज दिया गया था। इसके उत्तर में आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तरी पूर्वी सीमान्त प्रदेश की सरकारों ने अपने सुझाव और टिप्पणियां भेजी हैं। इन पर तथा अन्य शैक्षणिक एवं साहित्यक संस्थाओं, प्रमुख भाषाविदों तथा विद्वानों से प्राप्त सुझावों पर समिति ने 23-3-66 को विचार किया। समिति ने अब अपनी अन्तिम सिफारिश दे दी हैं जिनको सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो जाने पर जन साधारण की सूचना तथा उपयोग के लिए प्रकाशित कर दिया जाएगा।

Indians killed by Pak. Ansars

*990. **Shri Kinder Lal :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistani armed Ansars raided the border village Kavarpara in District Goalpara on the night of the 30th December, 1965 in which some civilians were killed and some others injured ;

(b) if so, the number of those killed and injured ; and

(c) Government's reaction thereto ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidyacharan Shukla) : (a) & (b). On 1st January, 1966 at about 0100 hours Armed Pakistanis committed dacoity at village Kakripara (Beparipara) under Mankacharthana and *not at village Kavarpara*. Two persons were killed and six others injured.

(c) The Government of India have lodged a protest with the Pakistani High Commission in regard to this incident.

केरल में हिन्दी का प्रचार

*991. **श्री बागड़ी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में हिन्दी का प्रचार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : केरल राज्य में विशेषरूप से हिन्दी के प्रचार का कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ की गयी हिन्दी के प्रचार की योजनाएं सभी अहिन्दी भाषी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें केरल भी शामिल है।

Retrenchment of Labourers in F.A.C.T.

*992. **Dr. Ram Manohar Lohia :** Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several hundred labourers have been removed from service from Government factory, Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd., Kerala, on the plea of non-availability of electricity for running the factory ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) and (b). As a result of a drastic power cut, 266 employees were laid off in November 1965 and 211 casual workers retrenched. Since then some of the employees laid off have been recalled and at present the number laid off is only 114.

उद्योगों में स्वचालित मशीनें लगाना

*993. **डा० रानेन सेन : श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री प्रभात कार : श्री नारायन दास :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों, वाणिज्य तथा प्रशासन में इलेक्ट्रानिक मशीनों का लगाया जाना सामान्य होता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मशीनों के लगाये जाने से कर्मचारियों के रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) इलेक्ट्रानिक मशीनों के लगाए जाने के कुछ मामलों की रिपोर्ट मिली है ।

(ख) और (ग) : सरकार यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि मशीनों के लगाए जाने से कोई छंटनी न हो । अभी तक सरकार के ध्यान में छंटनी के कोई मामले नहीं आए हैं ।

कनिष्ठ (जूनियर) कृषि विद्यालय

*994. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम सहाय पाण्डेय : श्री फिरोडिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा में विविधता लाने के लिए एक उपाय के रूप में कनिष्ठ (जूनियर) कृषि विद्यालय स्थापित करने की एक नई योजना चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरों पर विचार किया जा रहा है।

Secessionist Tendencies in Assam Hill Districts

*995. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the question of putting an end to secessionist tendencies in Assam Hill Districts is under the consideration of Government ;

(b) if so, the conclusion arrived at in this regard ;

(c) the reaction of Assam Government thereto ; and

(d) the programme chalked out to put an end to secessionist tendencies ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and The Minister of Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) to (d). It is not clear what the member has in mind. If the reference is to Mizo Hills District, the Home Minister has already made a statement on the 25th March 1966 to which I have nothing to add. There are no secessionist tendencies in other Hill Districts of Assam. There have, however, been demands for increased autonomy and for special schemes for economic development; the Pataskar Commission have gone into this aspect and have made certain recommendations in their Report to the Government which are under examination. The Government of Assam has throughout been responsive to the needs and grievances of the people of Hills Districts and have initiated several measures to create a sense of contentment and economic and social progress in all sections of the State's population. These measures will be continued and expanded.

Arms For Mizos

*996. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bagri :
Shri Madhu Limaye :
Shri Hem Barua :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Yashpal Singh :
Shri P. C. Borooah :
Shri R. Barua :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Mizos got arms from Pakistan ;

(b) if so, whether Government have looked into this matter ;

(c) whether it is also a fact that some of the arms bore Chinese marks ; and

(d) if so, the details of the arms seized and the type thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). There are some reports that the Mizo armed bands have received supply of arms and ammunition from Pakistan, and they are being investigated.

(c) Arms and ammunition so far captured do not bear markings of any foreign country.

(d) Does not arise.

3—51 L. S./66

सीमा सुरक्षा दल का मुख्यालय संगठन

*997. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह-कार्य मंत्री 3 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा दल का मुख्यालय संगठन स्थापित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) दल के क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय कमानों के कर्त्तव्य तथा कृत्य क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, यह स्थापना की प्रक्रिया से गुज़र रहा है ।

(ख) सीमा सुरक्षा संगठन का नई दिल्ली में एक मुख्यालय है । क्षेत्रीय नियंत्रण तथा कमांड के लिये पाकिस्तान के साथ की सीमा के पश्चिमी, उत्तरी तथा पूर्वी भागों के लिये तीन क्षेत्र है जिनमें से प्रत्येक एक क्षेत्र समादेष्टा (सेक्टर कमांडर) के अधीन है जिसका पद पुलिस के महानिरीक्षक का होता है । प्रत्येक क्षेत्र को उप-क्षेत्रों में बांटा गया है, जो उप-क्षेत्र समादेष्टाओं के अधीन होते हैं । इन उप समादेष्टाओं का पद उप महानिरीक्षक पुलिस का होता है ।

(ग) दल के क्षेत्र तथा उपक्षेत्र समादेष्टाओं के कर्तव्यों में सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा तथा वहां के निवासियों में सुरक्षा की भावना जाग्रत करना और तस्करी, सीमा के आर-पार होने वाले अपराधों और भारतीय क्षेत्र से अवैध अवाजाही रोकना है ।

गुजरात में पेट्रो-रासायनिक उद्योग समूह

*998. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री फिरोडिया :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी कान्सार्शियम ने, जो गुजरात में पैट्रो-रासायनिक उद्योग समूह स्थापित करने में हमारी सरकार को सहयोग देने के लिये सहमत हो गया था, इस बीच अपने मूल करार में कुछ नई शर्तें जोड़ दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन का विवरण क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) से (ग) : गुजरात शोधनशाला के सामीप्य पेट्रो-रासायनिक उद्योग समूह की स्थापना में तीन अमरीकी कम्पनियों, जिन्होंने हमारे साथ सहयोग देने की पेशकश की है, के साथ अभी बातचीत चल रही है । इस समय में इस का ब्यौरा बताना जन-हित में नहीं है ।

तेल समवायों में नौकरी की सुरक्षा

*999. श्री मोहन स्वरुप : श्री गुलशन :
डा० रानेन सेन : श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री 23 फरवरी, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 730 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी तेल उद्योग में नौकरी संरक्षण के प्रश्न पर विचार करने के लिए बनाई गई त्रिपक्षीय समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या है तथा उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मालिकों के प्रतिनिधियों के असहमति टिप्पन के साथ रिपोर्ट पर समिति के सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिए। रिपोर्ट को सरकार के पास भेजने से पहले असहमति टिप्पण पर समिति के अध्यक्ष द्वारा विचार किया जा रहा है।

Daily Wages of Labourers

*1000. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed daily wages of men and women labourers at Rs. 2·50 and Rs. 2·25 respectively ;

(b) whether it is a fact that the contractors do not pay wages to the labourers accordingly ;

(c) whether one and a half lakh labourers in Delhi had gone on strike for this reason from the 10th March, 1966 ; and

(d) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes; in respect of beldars and mazdoors employed in the scheduled employments of construction and maintenance of roads and building operations and stone breaking and stone crushing in the Union Territory of Delhi.

(b) It was reported that a small number of contractors had not been paying to the workers the minimum wages as revised.

(c) There had been sporadic stoppages of work by the contractors' labour. Exact information in respect of the magnitude of the strike and total number of workers involved is not available.

(d) The Chief Labour Commissioner discussed the matter with the representatives of the Central Government Builders Association and All India Building Workers Union. As a result of these discussions, the strike was called off on 21-3-1966. To ensure that the minimum wages as fixed by Government are paid by Contractors, the Labour Enforcement Officers have been carrying out inspections and suitable action against defaulters is being taken.

सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों से हथियारों का वापस लिया जाना

*1001. **श्री बृजराज सिंह :**
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को दिये गये हथियार हाल ही में उन से वापस ले लिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ; और

(ग) क्या ऐसा करने से पहले केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : अभी हाल के संघर्ष के दौरान पुलिस को राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने में मदद देने के लिये चुने हुए व्यक्तियों को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया था । किन्तु जब संघर्ष की समाप्ति के बाद इन विशेष पुलिस अधिकारियों में से कुछ के पद समाप्त हो गए तो उनको दिये गए हथियार उनसे वापिस ले लिये गए ।

(ग) जी नहीं ।

मद्रास उर्वरक परियोजना

*1002. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री हेम बरुआ :
श्री कपूर सिंह :
श्री बडे :
श्री हिम्मत सिंहजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामपुरे :
श्री फिरोडिया :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित मद्रास उर्वरक परियोजना सम्बन्धी करार दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) मद्रास उर्वरक परियोजना से सम्बन्धित ड्राफ्ट फारमेशन एग्रीमेण्ट (Draft Formation Agreement) को अन्तिम रूप देने की समय अवधि को, जो 22 मार्च 1966 को समाप्त हो रही थी, 14 मई, 1966 तक बढ़ा दिया गया है ।

(ख) सरकार के इलावा, प्रस्तावित करार में दो अन्य पार्टियां अर्थात अमरीका की अमरीकन इण्टरनेशनल आयल कम्पनी और ईरान की नेशनल इरानियन आयल कम्पनी शामिल हैं । उनकी बात चीत अभी चल रही है और उसके पूरा होने में कुछ समय लगेगा ।

Import and Production of Fuel Oil

*1004. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri Himatsingka :
Shri Rameshwar Tantia :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) the capacity of the country to produce fuel oil such as petroleum, kerosene, diesel and crude oil as at the end of December, 1965 ;

(b) the quantity of the above kinds of oil still being imported from abroad and the names of countries from where it is imported ;

(c) the total quantity of oil imported in 1965-66 up to (i) the end of December, 1965 and (ii) up to the end of March, 1966 ; and

(d) the amount of foreign exchange spend on these imports ?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) The refinery capacity available at the end of December 1965 was about 11 million tonnes. The available capacity for production of crude oil was about 5 million tonnes.

(b) Disclosure of details regarding import of individual products is restricted under the Defence of India Rules. Approximately 3 million tonnes of refined products including lubricants have to be imported currently. These are obtained from USSR, USA, other European countries and from the Middle East.

(c) The total quantity of refined products imported during 1965-66 till December, 1965 was 2·857 million tonnes while crude oil imports were 5·212 million tonnes. The estimates of imports for the year 1965-66 are 3·19 million tonnes of refined products and 6·45 million tonnes of crude oil.

(d) The total amount of foreign exchange spent on imports during 1965-66 till December, 1965 was Rs. 60·4 crores.

कारखाने में नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण

*1005. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दे० जी० नायक :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यावसायिक कार्य में प्रशिक्षण की अवधि में परिवर्तन करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार को राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद् का वह प्रस्ताव स्वीकार्य है जिसमें सिफारिश की गई है कि इंजीनियरी के कार्यों में दस्तकारों को 18 महीने का प्रशिक्षण किसी प्रशिक्षण संस्था में दिया जाये और नियुक्ति के बाद 6 महीने का प्रशिक्षण, कारखाने में दिया जाये;

(ग) क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के प्रशिक्षणार्थियों को दिये जाने वाले वजीफे की दर बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या प्रवेश के लिये उम्र कम करने का प्रस्ताव है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् ने सिफारिश की है कि प्रशिक्षण की मौजूदा अवधि, अर्थात् 18 माह का संस्थागत् प्रशिक्षण और इंजीनियरिंग व्यवसायों के लिए, जिसमें भवन निर्माण का व्यवसाय भी शामिल है, कारखानों में मिलने वाले 6 माह का प्रशिक्षण में परिवर्तन करने की जरूरत है। इन सिफारिशों सहित बहुत सी प्रशासनिक समस्याओं पर राज्य सरकारों की सलाह से विचार-विनिमय किया जा रहा है ।

(ग) दस्तकारी प्रशिक्षण योजना के अधीन मिलने वाले वजीफे की दर और वजीफा प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ाने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् की सिफारिश की जांच की जा रही है ।

(घ) दस्तकारी प्रशिक्षण योजना के अधीन प्रवेश चाहने वाले प्रशिक्षणार्थी की आयु 16 से कम करके 15 वर्ष करने हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् की सिफारिश मंजूर कर ली गई है और इसे चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया जाएगा ।

Language Teachers in Kerala

***1006. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether he has received a memorandum demanding the same scales of pay to Hindi and language teachers in Kerala as are admissible to teachers of English language;

(b) whether it is also a fact that the State Legislative Assembly was also of the same view; and

(c) if so, the reasons for not issuing the orders so far and when the final orders are expected to be issued in this regard ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

There is no difference in the scale of pay of Hindi and other Language teachers and the scale of pay of teachers in English in Kerala. All first grade teachers in High Schools are given the scale of Rs. 150–250; II grade, the scale of Rs. 80-165. All upper Primary School Assistants are given the scale of Rs. 40–120.

Representations received in the Education Ministry raised the issue of equation of certain oriental titles and other qualifications possessed by the Language teachers in the State to graduation for the purpose of promotion from II grade to I grade. On a Writ Petition filed by some teachers on this point, the High Court has decided that the State Government should consider the question of declaring any of these titles as equivalent to Graduation, under Rule 6 Chapter XXVI, Kerala Education Rules. The matter is being examined by the State Government who will issue an appropriate declaration as soon as possible.

स्वर्गीय श्री विनायक दामोदर सावरकर का स्मारक

*1007. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं कि सरकार को स्वर्गीय श्री विनायक दामोदर सावरकर का स्मारक बनाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो किससे; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) और (ख) : इस बारे में कुछ सुझाव निजी तौर पर कुछ व्यक्तियों से प्राप्त हुए हैं।

(ग) राज्यों में स्मारकों का निर्माण सामान्यतः सुझाव देने वाले संगठनों अथवा राज्य सरकारों का काम है। दिल्ली में एक मूर्ति की स्थापना तथा उनकी स्मृति में टिकट जारी करने के सुझावों का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है और उनकी जांच की जा रही है।

मंत्रिमंडल में परिवर्तनों के कारण होने वाला व्यय

*1008. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रिमंडल में हाल में किये गये परिवर्तन के परिणामस्वरूप विभिन्न मंत्रालयों ने फर्नीचर तथा अन्य सामान और कीमती नई स्टाफ कारों पर बहुत व्यय किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मंत्रालय द्वारा पृथक् पृथक् रूप से किये गये व्यय का विवरण क्या है;

(ग) इस वित्तीय कठिनाई के समय इतना अधिक व्यय किये जाने का क्या औचित्य है;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन मदों पर व्यय के लिये कोई निश्चित प्रतिबन्ध नहीं है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस कार्य के लिये एक निश्चित अनुदेश संहिता बनाने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ङ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों के सरपंचों का पाकिस्तान के साथ मिल जाना

*1010. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान संघर्ष के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों के सरपंचों द्वारा सम्पत्ति को नष्ट किये जाने, और कुंओं में विष मिलाये जाने तथा उन के पाकिस्तान से मिल जाने के बारे में राजस्थान विधान सभा में राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो की गई क्षति के लिये पाकिस्तान से क्षतिपूर्ति की कोई मांग की गई है;

(ग) क्या उन सरपंचों के, जो भारतीय नागरिक हैं, भारत वापिस लौटने के बारे में कानूनी स्थिति की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार का ध्यान मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित कराया गया है कि अन्य बातों के साथ साथ लौटती हुई पाकिस्तानी फौजों द्वारा जनसम्पत्ती की बरबादी के बारे में समाचार सही थे। क्षति का ब्यौरा राजस्थान सरकार द्वारा एकत्रित किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्य मंत्री द्वारा कुवों में विष मिलाये जाने के बारे में कोई वक्तव्य राज्य विधान सभा में नहीं दिया। किन्तु इस प्रकार की क्षति तथा मिलावट के समाचार राजस्थान सरकार को मिले हैं। उनके द्वारा विषत्रित सूचना एकत्रित की जा रही है। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा है कि हाल के संघर्ष के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में सरपंचों द्वारा यदि पाकिस्तान की सहायता की गई है, तो उन मामलों में उनकी सरकार जांच करेगी और उचित कार्यवाही करेगी।

(ख) कुल क्षति का अनुमान प्राप्त होने के बाद आगे कार्यवाही की जाएगी।

(ग) और (घ) : इस बारे में आम कानूनी स्थिति की जांच की गई है। 27 दिसम्बर, 1965 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित 25-12-1965 की अधिसूचना जी० एस० आर० 1893 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

शोरनूर लाइन इक्विपमेंट फैक्टरी

3261. **श्री ग्र० क० गोपालन** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोरनूर लाइन इक्विपमेंट फैक्टरी के 110 कर्मचारीयों को मुअत्तिल कर दिया गया था;

(ख) उन्हें कितने समय तक मुअत्तिल रखा गया तथा उसके क्या कारण थे;

(ग) फैक्टरी के प्रबन्धकों द्वारा 10 महीनों के बाद भी जांच पूरी न करवाये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या श्रम विभाग ने इस विवाद में हस्तक्षेप किया;

(ङ) इस फैक्टरी में कितने कर्मचारी हैं; और

(च) उनके विरुद्ध सामूहिक रूप से अनुशासनिक कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां।

(ख) और (च) : श्रमिकों ने 29-12-1964 को कम्पनी के निदेशक-बोर्ड को एक ज्ञापन भेजा जिसमें कम्पनी के तकनीकी निदेशक के खिलाफ भ्रष्टाचार, कुनबा-परस्ती और पक्षपात आदि के अभियोग लगाए थे। इसपर जिन श्रमिकों ने ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, उन्हें मैनेजमैंट ने 5-1-1965 को दुराचार के अभियोग में मुअत्तिल कर दिया।

(ग) मैनेजमैंट द्वारा घरेलू जांच काफ़ी अरसा पहले पूर्ण हो गई। परन्तु जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी, क्योंकि घरेलू जांच से संबंधित मामले के बारे में मुनसिफ मजिस्ट्रेट, पट्टाम्बी के न्यायालय में एक आपराधिक शिकायत अभी अनिर्णीत पड़ी है।

(घ) जी हां। यह विवाद अन्ततः 14-1-1966 को न्याय-निर्णय के लिये भेजा गया।

(ङ) 125।

त्रिचूर में दुकान सहायक (शाप असिसटेंट)

3270. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर के दुकान सहायकों ने राज्य के न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड के प्रधान को हाल ही में एक ज्ञापन पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मांगे की गई हैं ;

(ग) क्या यह सच है केरल सरकार ने 1963 में राज्य न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड को दुकान सहायकों के लिये महंगाई भत्ते की सिफारिश करने के लिये कहा था; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) त्रिचूर में हुई बोर्ड की मीटिंग के बाद, जिसमें दुकानों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की मजूरी में संशोधन के प्रश्न पर विचार किया गया, दुकान सहायकों के कुछ प्रतिनिधि राज्य के न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड के प्रधान से 21-10-1965 को एक ज्ञापन देने के लिए मिलें । चूंकि मीटींग पहले ही समाप्त हो चुकि थी, इसलिए प्रधान नें ज्ञापन स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की और उन्हें ज्ञापन केरल सरकार को भेजने की सलाह दी ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसा प्रतीत नहीं होता कि केरल सरकार ने 1963 में इस संबंध में कोई सुझाव दिया था; लेकिन 1964 में केरल सरकार ने राज्य के न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड को अनेक उद्योगों के कर्मचारियों के बारे में, जिनमें दुकानों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी भी शामिल हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के अनुसार महंगाई भत्ते की सिफ़ारिश करने के लिए कहा ।

(घ) राज्य न्यूनतम मजूरी सलाहकार बोर्ड ने इस प्रश्न पर विचार किया और अपनी सिफ़ारिशें केरल सरकार को भेज दीं । इस समय यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

क्षेत्रीय कर्मचारियों की छंटनी

3271. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों की छंटनी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उन्हें अन्य रोजगार देने की कोई योजना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) प्रशासनिक पुनर्गठन के कारण फील्डमैनों/स्प्रेइंग सुपरवाईजरों और कम्पोस्ट निरीक्षकों के 308 पद फालतू पाये गये और समाप्त कर दिये गये । परिणामस्वरूप उपर्युक्त श्रेणी के 220 अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी से अलग कर दिया गया ।

(ग) जी नहीं ।

केरल के कालेजों में शुल्क

3272. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय ने विभिन्न कालेजों में विश्वविद्यालय के शुल्क की दरों के प्रश्न पर विचार करने के लिये कोई समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो समिति की क्या उपपत्तियां हैं; और

(ग) समिति का अन्तिम प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : समिति की सिफारिशें, जो पहले ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है, संलग्न विवरण में दी गई हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-5991/66।]**

त्रावनकोर रबड़ तथा चाय कम्पनी

3273. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि त्रावनकोर रबड़ तथा चाय कम्पनी, मान्नडेलयम, केरल के लगभग 2000 कर्मचारी अपनी कुछ मांगों के लिये काफी समय से आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) क्या कम्पनी का मालिक वर्तमान करारों का उल्लंघन कर रहा है तथा कम्पनी में अब तक जो सुविधायें मिलती थीं उन्हें नहीं दे रहा है;

(ग) कर्मचारियों की मांग क्या थीं; और

(घ) सरकार ने समझौता कराने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां । एक आन्दोलन हुआ था जो कि अब समाप्त हो चुका है ।

(ख) मैनेजमेंट के विरुद्ध कुछ वर्तमान समझौतों के उल्लंघन के आरोप लगाये गये थे; इनमें से कुछ शिकायतें अब यथार्थ पाई गईं । लेकिन अब विवाद का निपटारा हो चुका है ।

(ग) मुख्य मांगें निम्नलिखित से संबंधित थीं :—

(1) 1963, 1964 और 1965 वर्ष के लिए बोनस का भुगतान ।

(2) मजदूरी में से कटौती ।

(3) ग्रेच्युटी का भुगतान ।

(4) काम में वृद्धि ।

(5) श्रमिकों का स्थायीकरण ।

(6) स्थायी श्रमिकों के निकटवर्ती रिश्तेदारों और आश्रितों को भर्ती करना ।

(7) समयोपरि मजूरी ।

(8) श्रमिकों द्वारा किये गए सुधारों के लिए मुआवजा ।

(9) बागान श्रमिक अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करना ।

(10) ठेका-श्रमिकों को समाप्त करना ।

(11) एस्टेट को दक्षतापूर्ण ढंग से चलाने के लिए अपेक्षित स्थायी श्रमिकों की संख्या निर्धारित करना ।

(12) आपराधिक मामलों में श्रमिकों की बहाली ।

(घ) केरल सरकार की औद्योगिक संबंध मशीनरी ने विवाद में हस्तक्षेप किया और 2-1-1966 को एक समझौता करा दिया। इस समझौते के बाद यूनियन ने सारी सीधी कार्यवाही समाप्त कर दी। समझौते के एक अंश के अनुसार, कुछ मांगों पर फैसला हो गया और अन्य मांगों को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10-ए के अन्तर्गत पंच-फैसले के लिए भेज दिया जायगा।

Cost of Living Index for Agriculturists

3274. **Shri D. S. Patil :**
Shri Kamble :

Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the cost of living index relating to agriculturists class has been prepared;

(b) if not, the reasons for the delay; and

(c) when it will be prepared ?

The Minister of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Jagjivan Ram) : (a) Consumer Price Index Numbers for agricultural labourers for different States on 1960-61 base are being compiled and published by the Labour Bureau every month in the Indian Labour Journal.

(b) & (c). Do not arise.

केरल में हाई स्कूलों के लिए पाठ्य पुस्तकें

3275. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी शिक्षा वर्ष के लिए केरल के हाई स्कूलों में विभिन्न स्तरों के लिए नई मलयालम अप्रतियुक्त (नान-डिटेल्ड) पाठ्य पुस्तकें लागू करने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन पुस्तकों को बदलने का विचार किया गया है; और

(ग) उनके स्थान पर कौन सी नई पुस्तकें चुनी गई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। वर्तमान नियमों के अनुसार एक बार निर्धारित अप्रतियुक्त (नान-डिटेल्ड) पाठ्य-पुस्तक लगातार तीन वर्ष तक लागु रहती है। तदनुसार, 1966-67 के लिए VIII, IX और X स्तरों हेतु वर्तमान मलयालम अप्रतियुक्त (नान-डिटेल्ड) पुस्तकों के स्थान पर नई पुस्तकें निर्धारित की जानी है।

(ख) निम्नलिखित अप्रतियुक्त (नान-डिटेल्ड) मलयालम पाठ्य-पुस्तकें जिन्होंने 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं, बदली जानी हैं :—

बदली जाने वाली पुस्तकों के नाम	स्तर
1. तेन सिंह	VIII
2. सिंधु अवलुद कथा परायुन्नु	IX
3. व्यास हृदयम	IX
4. रांदु देवातकाल	X
5. ओडायिल निन्नु	X

(ग) विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है।

पोलिटेक्निक के प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

3276. **श्री राम हरख यादव :**
श्री पन्ना लाल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पोलिटेक्निकों के प्रशिक्षकों के एक दल ने हाल में अपने दो वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करके जर्मनी (संघीय गणराज्य) में और आगे स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त किया;

(ख) यदि हां, तो भारत-जर्मनी अध्ययन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रशिक्षकों को मिलने वाले प्रशिक्षण तथा अध्ययन पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डॉ० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जर्मनी (संघीय गणराज्य) सरकार द्वारा दी गयी छात्रवृत्तियों की योजना के अन्तर्गत, पोलिटेक्निक के प्रशिक्षकों को 1963 और 1964 के दौरान स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए जर्मनी (संघीय गणराज्य) भेजा गया था ।

(ख) चार महीने के जर्मन भाषा कोर्स के पश्चात्, सिविल, एलेक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल इंजीनियरी और प्रिंटिंग व ग्राफिक कलाओं में दो वर्ष के व्यावहारिक प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम था । योजना में दोनों तरफ का किराया था और निर्वाह भत्ता, पुस्तकों, औजारों तथा अप्रत्याशित घटना व बिमारी के बोमे का भुगतान भी शामिल था, जब तक वे जर्मनी में थे ।

(ग) दो विवरण संलग्न हैं । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०-5992/66]**

अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टूर्नामेंट

3277. **श्री राम हरख यादव :**
श्री पन्ना लाल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 मई, 1966 से आरम्भ होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय हाकी टुर्नामेंट में भाग लेने वाली भारतीय हाकी टीम के खिलाड़ियों को अन्तिम रूप से चुन लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) यदि उनको चुना नहीं गया है, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सरकार ने अभी प्रस्ताव का अनुमोदन करना है । यह प्रस्ताव अभी हाल में ही प्राप्त हुआ है तथा इस पर पहले अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् अपनी आगामी बैठकों में जो कि 15 और 16 अप्रैल को होंगी, विचार करेगी ।

शिक्षकों का सरकारी स्कूलों से दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में स्थानान्तरण

3278. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1958 में बड़ी संख्या में शिक्षकों को सरकारी स्कूलों से नगर निगम के स्कूलों में स्थानान्तरित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन शिक्षकों की संख्या कितनी है और क्या उन्हें यह विकल्प दिया गया कि वे यदि चाहें तो दिल्ली नगर निगम की सेवा में रह सकते हैं अथवा स्कूलों में उपयुक्त पद रिक्त होने पर वे सरकारी सेवा में वापिस आ सकते हैं ;

(ग) उक्त शिक्षकों को जिस परिपत्र अथवा अन्य किसी आदेश द्वारा यह विकल्प दिया गया था उसका पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(घ) अब तक सरकारी सेवा में कितने शिक्षक लिये गये और क्या सरकार का विचार शेष शिक्षकों को उपयुक्त पद रिक्त होने पर सरकारी स्कूलों में वापिस लेने का है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क), (ख) और (घ) : 325 प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों का दिल्ली नगर निगम को तबादला कर दिया गया था। सभी ऐसे प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों से, जो अपने तबादले के समय हाई तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षण के योग्य थे, यह बताने के लिए कहा गया था कि क्या वे दिल्ली शिक्षा निदेशालय के अथवा निगम के अधीन कार्य करना चाहेंगे। 180 अध्यापकों ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय में आने की इच्छा प्रकट की और बाकी 145 ने निगम में ही रहने की इच्छा प्रकट की। ऐसे सभी 180 अध्यापकों को जिन्होंने प्रशासन में आना पसन्द किया, सरकारी स्कूलों में लगा दिया गया है। ऐसे अध्यापकों का तबादला, जिन्होंने निगम में रहना पसन्द किया था अन्तिम है।

(ग) यह सूचना दिल्ली प्रशासन और निगम से एकत्रित की जा रही है।

दिल्ली में शिक्षकों का अपनी नौकरी में स्थायी किया जाना

3279. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अधीन सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कुल कितने शिक्षक काम कर रहे हैं ;

(ख) ऐसे कितने शिक्षक हैं, जिनका सेवाकाल पांच वर्ष हो चुका है किन्तु उन्हें स्थायी नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसे कितने शिक्षक हैं, जिनका सेवाकाल तीन वर्ष हो चुका है परन्तु उन्हें स्थायीवित् (क्वासी परमानेंट) नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ;

(घ) कितने शिक्षक तीन महीने से तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन की नीति क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ङ) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सम्भवतः शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

चमड़ा उद्योग के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

3280. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दे० जी० नायक :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री काजरोलकर :
श्री पाराशर :
श्री धर्मलिंगम :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चमड़ा उद्योग के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कौन-कौन से सदस्य होंगे और उसके निर्देश पद क्या होंगे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : सरकारी संकल्प संख्या वे० बो०–19(2)/65, तारीख 21 मार्च, 1966 द्वारा चमड़ा और चमड़ा-सामान-उद्योग के लिए एक केंन्द्रीय मजूरी बोर्ड की स्थापना की गई है। इस संकल्प की प्रतियां 25 मार्च, 1966 को सभा की मेज पर रखी दी गई थी। मजूरी बोर्ड के गठन और विचारार्थ विषय संकल्प में दिए गए हैं।

Volunteers for Traffic Control

3281. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any letters of appreciation or complaints have been received by Government regarding the traffic control work handled by volunteers during the recent Indo-Pak conflict ;

(b) the views of Government regarding the work done by the volunteers ; and

(c) whether Government propose to formulate any scheme for imparting part-time training to the volunteers and other citizens to enable them to take over traffic control in view of the fact that such exigencies can arise in future as well ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) The work of the volunteers was praiseworthy.

(c) Training in traffic control is being imparted to Home Guards in urban areas.

उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामले

3282. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री धुलेश्वर मीना : **श्री बागड़ी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में 31 जनवरी, 1966 को एक वर्ष पुराने कितने मामले अनिर्णीत पड़े थे ; और

(ख) इन अनिर्णीत मामलों को निपटाने तथा देश में मुकदमों में फसे हुए लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) 31 जनवरी, 1966 को उच्चतम व उच्च न्यायालयों में एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े मामलों के आंकड़े एकदम उपलब्ध नहीं हैं। 1 दिसम्बर, 1965 तक की सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) उच्चतम व उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों की संख्या कम करने का प्रश्न लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है और जहां कहीं काम के परिमाण के अनुसार उचित होता है वहां अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किये जाते हैं।

Expenditure on Sheikh Abdullah

3284. **Shri Madhu Limaye :**
Shri Badshah Gupta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 721 on the 8th December, 1965 and state :

(a) the expenditure being incurred on Sheikh Abdullah per month, including house rent ;

(b) the expenditure incurred per month during the period of detention of Dr. Ram Manohar Lohia, Shri Gopalan and other Members of Parliament ; and

(c) the reasons for the disparity, if any ?

The Home Minister (Shri Nanda) : (a) The expenditure incurred on Sheikh Abdullah per month, on account of maintenance charges as reported by the State Government is about Rs. 2,500. The Government of India have not been paying any rent for the Government Rest House where he is accommodated at present.

(b) Dr. Ram Manohar Lohia was last detained for a brief period by the Government of Bihar. He was detained, and Shri Gopalan is detained in a jail. It is not possible to work out the expenditure on their detention separately. The reference to "other Members of Parliament" in the Question is not specific, but the reply given herein applies to all persons detained in a jail.

(c) Sheikh Abdullah has been interned in the premises specified in the order and not detained in a place like a jail ordinarily provided by Government for confinement of prisoners or detenus.

Census Figures

3285. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :
Shri Shinkre :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of Hindus, Sikhs, Muslims, Christians, Jains and Parsis in India as on the 31st December, 1965, separately ;

(b) the percentage of increase over the 1961 census figures in their number, separately ; and

(c) the reasons for the increase ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri P. S. Naskar) : (a) The population figures by religion as on 31st December 1965 are not available. The latest figures are as revealed by the 1961 Census. These have been published in "Census of India, Paper No. 1 of 1963, 1961 Census-Religion", copies of which are available in the Parliament Library.

(b) and (c). The questions do not arise.

News Papers Publishing Obscene Literature

3286. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :
Shri Kamble :
Shri Vishwa Nath Pardey :
Shri D. S. Patil :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 427 on the 24th November, 1965 and state :

(a) the number of newspapers and magazines against whom action has been taken for publishing obscene literature or pictures during 1965 ; and

(b) the details thereof and the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) 31.

(b) Out of 96 cases started against these papers, 29 have ended in conviction, one was discharged and the remaining cases are pending.

ज्योतिष का भविष्य-कथन

3287. **श्री सुबोध हंसदा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान के बारे में विभिन्न समाचारपत्रों में समय-समय पर ज्योतिष के भविष्य-कथन प्रकाशित होते हैं जो सारे देश में भ्रम उत्पन्न करते हैं ;

(ख) क्या राज्य सरकारों को कोई हिदायतें दी गई हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि ये प्रकाशित न किये जायें ; और

(ग) यदि हां, तो ये हिदायतें कब दी गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) सरकार ने इन भविष्यवाणियों में से कुछ देखी है किन्तु उसे यह नहीं मालूम कि वे देश में भ्रम उत्पन्न करती हैं।

(ख) और (ग) : राज्य सरकारों को ऐसी कोई हिदायतें नही दी गई हैं। राज्य सरकारें तो उन मामलों में निस्संदेह ही कार्यवाही करेंगी जिनमें कार्यवाही जरूरी समझी जायेगी और कानून सम्भव होगी।

उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मामले

3288. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पिछले छः महीनों में उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध कितने मामलों में जांच करवाई ; और

(ख) इसी अवधि में कितने मामलों में जांच पूरी हो चुकी है तथा दण्ड दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) उत्तर प्रदेश सरकार के कमचारियों के खिलाफ़ जुलाई से दिसम्बर, 1965 तक की अवधि में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा कोई जांच नही की गई। उसी अवधि के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने उत्तर प्रदेश राज्य में केन्द्रीय सरकार के कमचारियों के खिलाफ 83 जाचें कराई।

(ख) उन 25 मामलों में जिनमें जांच कार्य पूरा हो चुका है, 11 मामले नियमित विभागीय कार्यवाही के लिये सौंपे गए, 110 मामले सम्बन्धित अधिकारियों को उपयुक्त कार्यवाही के लिय भेजे गए, और एक मामला न्यायालय के सुपूर्द किया गया। शेष तीन मामले बन्द कर दिये गए।

शिलांग में भूचाल

3289. **श्री विश्वनाथ पांडये : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 दिसम्बर, 1965 को शिलांग में भूचाल आया था और कुछ नुकसान हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कुल कितना नुकसान हुआ ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० श० नास्कर) : (क) 6 दिसम्बर, 1966 के प्रातः काल बहुत सबेरे शिलांग में भूचाल का एक हल्का सा झटका महसूस किया गया। किन्तु कोई क्षति नही हुई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Political Sufferers in U. P.

3290. **Shri Vishwa Nath Pandey : Will** the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of assistance given to the political sufferers in Uttar Pradesh during 1965-66; and

(b) the monthly amount of assistance given to the aforesaid political sufferers and the number thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Rs. 12,400.

4—51 Lock Sabha/66

(b) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. L.T./5993/66.]**

उत्तर प्रदेश में पुरातत्वीय खुदाई

3291. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में पुरातत्वीय सर्वेक्षण के लिए 1964-65 और 1965-66 में कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी-कितनी; और

(ग) इसी प्रयोजन के लिए 1966-67 में उत्तर प्रदेश को कितनी राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अभी तक निर्णय नहीं हुआ है।

बोनस अधिनियम, 1965 का विदेशी विमान समवायों के कर्मचारियों पर लागू किया जाना

3292. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी विमान समवायों में काम करने वाले कर्मचारियों पर बोनस अधिनियम, 1965 के लागू किये जाने के सम्बन्ध में उनकी स्थिति पर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या विदेशी विमान समवायों ने बोनस अधिनियम के लागू किये जाने की संभावना के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं, जब तक कि छूट स्वतः उनके पक्ष में नहीं दी जाती ;

(ग) क्या विदेशी विमान समवायों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम से बाहर निकल जाना बेहतर माना है ; और

(घ) क्या वे अपने कर्मचारियों के वेतन आदि और अन्य सेवा-शर्तों के मामले में प्रदेश एवं उद्योग के आधार से निकलने को तैयार हैं और वे अपने मूल देशों में प्रचलित शर्तें अपने कर्मचारियों पर लागू करने के लिये तयार हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारत में काम करने वाले विदेशी विमान समवाय बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 की परिधि के बाहर नहीं हैं।

(ख) इन प्रतिष्ठानों को विधान के दायरे से बाहर रखने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, परन्तु यह स्वीकार नहीं किया गया। बोनस के भुगतान के लिए समय को बढाने और छूट देने के अधिकार राज्य सरकारों में विहित हैं, जोकि इन प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में उचित सरकारें हैं।

(ग) और (घ) : इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। वे अधिनियम की धारा 34(3) के उपबन्धों का लाभ उठा सकते हैं।

अणु शक्ति संस्थान, ट्राम्बे

3293. श्री स० चं० सामन्त : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा : श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अणु शक्ति संस्थान, ट्राम्बे में द्वि-प्रयोजनीय अणु अपक्षारीकरण तथा शक्ति संयत्र के विस्तृत डिजाइन तथा आर्थिक अध्ययन के बारे में काम आरम्भ किया गया है ;

(ख) क्या 1965 से आरम्भ होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय जल-विज्ञान दशाब्दि की अवधि में पृथ्वी के जल संशोधनों के अधिकतम प्रयोग के तरीके मालूम करने के लिए भारत विश्व-वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न देशों के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के बीच किस प्रकार का सहयोग स्थापित होगा ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : भारत, अन्तर्राष्ट्रीय जल-विज्ञान दशाब्दि कार्यक्रम में भाग ले रहा है। इस कार्यक्रम का कुल मिलाकर उद्देश्य है : जल स्त्रोतों और जलों का पारस्परिक संबंध के अध्ययन को तेज करना, ताकि जन हित में उनका यथोचित प्रबन्ध किया जा सके, जल-विज्ञान अनुसंधान तथा शिक्षा की आवश्यकता से सभी देशों को अवगत किया जा सके ताकि उनके द्वारा उनके स्त्रोतों के मूल्यांकन करने की उनकी क्षमता में वृद्धि की जा सके और उनका अधिकतम उपयोग किया जा सके। भाग लेने वाले विभिन्न देश वर्षा, वाष्पीकरण, नदी प्रवाह, भूमिगत जल, बाढ़, सूखा, जल व्यवस्था आदि पर मनुष्य के हस्तक्षेप का प्रभाव जैसे जल संबंधी विषयों पर संसार के सभी भागों से बुनियादी आंकड़े एकत्र करेंगे। यूनेस्कों ने एक समन्वय परिषद स्थापित की है, जिसका मुख्य कार्य भाग लेने वाले देशों मे वैज्ञानिक जल-विज्ञान संबंधी विभिन्न अनुसंधान कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करना है। भारत में एक राष्ट्रीय समिति स्थापित की गई है, जिसमें भारतीय कार्यक्रम बनाम अन्तर्राष्ट्रीय जल-विज्ञान दशाब्दि कार्यक्रम बनाने के लिए जल-विज्ञान विशेषज्ञ शामिल हैं। मनुष्य-मात्र के लाभार्थ जल का कुशल और सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से भाग लेने वाले विभिन्न देशों द्वारा एकत्र आंकड़ों का विनिमय किया जाएगा।

पंजाब में डाक व तार प्रशिक्षण केन्द्र

3294. **श्री दलजीत सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में डाक व तार सम्बन्धी स्थानीय प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कौनसा स्थान चुना गया ; और

(ग) इस केन्द्र के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) अम्बाला में एक दूरसंचार प्रशिक्षण केन्द्र है। फिलहाल पंजाब में डाक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई

भी प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इससे सम्बन्धित आवश्यकताओं की पूर्ति सहारनपुर स्थित प्रादेशिक केन्द्र द्वारा हो जाती है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

पंजाब में बन्दुक बनाने का कारखाना

3295. श्री दलजीत सिंह : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य में सरकारी क्षेत्र में बन्दूक बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिय केन्द्रीय सरकार से प्राथना की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृहकार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब में डाक सेवायें

3296. श्री दलजीत सिंह : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1965 के अन्त तक पंजाब में कितने देहातों में डाक सेवा की व्यवस्था थी ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभागमें राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : पंजाब राज्य के सभी गांवों में डाक-वितरण की व्यवस्था मौजूद है। दिसम्बर 1965 के अन्त तक पंजाब राज्य में डाक-वितरण कितनी कितनी बार होता था, इससे सम्बन्धित स्थिति नीचे दी गई है—

दैनिक	19,001
सप्ताह में तीन बार	7,026
सप्ताह में दो बार	3,638
सप्ताह में एक बार	1,128

दिसम्बर 1965 के अन्त में 21 प्रधान डाकघरों, 770 विभागीय उपडाकघरों, 96 अतिरिक्त विभागीय उपडाकघरों, 8 शाखा डाकघरों तथा 4,801 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों को डाक-सुविधाएं उपलब्ध थीं।

मंत्रियों द्वारा विदेशों के दौरे

3297. श्री बड़े :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 दिसम्बर, 1965 से 27 फरवरी, 1966 तक केन्द्रीय सरकार के मंत्रि-मंडल के मंत्रियों, राज्यमंत्रियों और उपमंत्रियों ने किन-किन देशों का दौरा किया ;

(ख) हर मामले में कितनी धनराशि व्यय हुई और उसमें कितनी विदेशी मुद्रा शामिल है ; और

(ग) ये दौरे किस उद्देश्य से किये गये और उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : उपलब्ध सूचना को बतानेवाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5994/66]**

पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन

3298. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 और 1965 में पूर्वी पाकिस्तान से कुल कितने विस्थापित व्यक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र में आये ;

(ख) पूर्वी पाकिस्तान से कितने ईसाई और बौद्ध भारत आये हैं ?

(ग) गैर-मुस्लिम सम्प्रदायों के इन विस्थापित व्यक्तियों के निष्क्रमण से पूर्वी पाकिस्तान में सब अल्पसंख्यकों में कहां तक असुरक्षा की भावना प्रकट होती है ; और

(घ) पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को जनवध तथा पाशविक अत्याचारों से बचाने के हेतु उनको वहां से भारत में आने की सुविधाएं देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 1964 और 1965 में पूर्वी पाकिस्तान से 8,01,509 व्यक्ति भारत आये हैं।

(ख)	साई	49,000
	बौद्ध लग-भग	20,000

(ग) विस्थापितों ने भारत आने का मुख्य कारण यह बताया है कि पूर्वी पाकिस्तान में उनके हृदय में सदैव असुरक्षा की भावना थी।

(घ) अब स्थिति कुछ सुधर गई है और प्रव्रजन की चाल कम हो गई है। ताशकन्द घोषणा को ध्यान में रखते हुये अब यह आशा की जाती है कि पाकिस्तान सरकार एसे हालात उत्पन्न करेगी जिनसे कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक अपने सामान्य काम-धन्धों को बिना किसी भय से कर सकें।

रूसी विश्वविद्यालयों द्वारा दिये जानेवाले इंजीनियरी डिप्लोमें

3299. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री विभति मिश्र :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न रूसी विश्वविद्यालयों द्वारा दिये जाने वाले इंजीनियरी प्रौद्योगिकी के पूर्ण डिप्लोमाओं को मान्यता देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये डिप्लोमा भारतीय विश्वविद्यालयों के इंजीनियरी प्रौद्योगिकी के बेचलर की डिग्रियों के बराबर माने जायेंगे ; और

(ग) क्या रूस द्वारा दी जाने वाली "कण्डिडटस आफ साइन्स" की डिग्रियों को भारत में उचित मान्यता दी जायगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) सोवियत संघ द्वारा प्रदान की जाने वाली "कैण्डिडेट्स आफ साइन्स" की डिग्री को उपयुक्त विषयों में विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की पीएच०डी० के बराबर मान्यता दी गई है।

Bihar University

3300. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bihar University has requested for the grant of financial assistance by the University Grants Commission ;

(b) if so, the extent thereof ; and

(c) the amount granted to them so far ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A total grant of Rs. 31,31,127·40 was asked for by the University during 1965-66. A grant of Rs. 13,04,158·64 has been sanctioned to the University so far.

मोटरगाड़ी परिवहन कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

3301. **श्री कोल्ला वेंकैया** :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री दे० जी० नायक :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री रामेश्वर टांटया :
श्री बसुमतारी :
श्री काशिनाथ पांडे :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मोटार-गाड़ी परिवहन कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड नियुक्त करने के बारे में राज्य सरकारों के उत्तर मिल गये ह, और क्या मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का निर्णय कर लिया गया है :

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) बोर्ड के निर्देशपद क्या हैं; और

(घ) यह अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) : अधिकांश राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। सड़क परिवहन उद्योग के लिए मजूरी बोर्ड शीघ्र ही स्थापित करने का विचार है।

(ग) बोर्ड के विचारार्थ विषयों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(घ) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में एक टैक्सी ड्राइवर द्वारा एक यात्री को लूटा जाना

3302. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि 2 जनवरी, 1966 की रात को एक टैक्सी ड्राइवर और उस के साथी ने पालम हवाई अड्डे से टैक्सी में आने वाले खारी बावली दिल्ली के जेठानन्द नामक एक यात्री से मोती बाग के निकट 800 रुपये लूट लिये ;

(ख) क्या टैक्सी ड्राइवर और उस के साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है ; और

(ग) टैक्सी ड्राइवरों के रूप में छद्मवेषी अपराधियों का पता लगाने और उनके लाइसेंस रद्द करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : जांच करने पर यह समाचार असत्य पाया गया ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में बेरोजगार तकनीकी व्यक्ति

3303. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1965 तक आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में कितने बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों के नाम दर्ज थे; और

(ख) उन में से कितने व्यक्तियों को दिसम्बर, 1965 के अन्त तक रोजगार दिलाया गया ।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 7,595 ।

(ख) इस श्रेणी के उम्मीदवारों में से 2845 को 1965 के दौरान नियुक्ति सहायता दी गई ।

राजस्थान में किराये की इमारतों में डाक घर

3304. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कितने डाकघर किराये की इमारतों में काम कर रहे हैं; और

(ख) 1965-66 में सरकार ने कितना किराया दिया ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) 482 ।

(ख) 2,25,783 रुपये 29 पैसे ।

मैसूर में डाक सेवायें

3305. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1966 के अन्त तक मैसूर राज्य में कितने देहातों में डाक सवाओं की व्यवस्था थी; और

(ख) उस राज्य में 1966–67 में कितने देहातों में डाक सेवाओं की व्यवस्था करने का विचार है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तथा (ख) : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) मैसूर राज्य के सभी गांवों में डाक वितरण की व्यवस्था मौजूद है। जनवरी, 1966 के अन्त तक मसूर राज्य में डाक वितरण कितनी कितनी बार होता था, इससे सम्बन्धित स्थिति नीचे दी गई है—

दैनिक	18,592
सप्ताह में तीन बार	4,677
सप्ताह में दो बार	1,856
एक पखवाड़े में तीन बार	238
सप्ताह में एक बार	971
एक सप्ताह से अधिक समय में एक बार	43

जनवरी, 1966 के अन्त में 30 प्रधान डाकघरों, 903 विभागीय उप डाकघरों, 105 अतिरिक्त विभागीय उपडाकघरों तथा 6,096 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में डाक-सुविधाएं उपलब्ध थीं ।

(ख) राज्य के सभी मौजूदा गांवों को पहले से ही डाक-सुविधाएं प्राप्त है।

कास्टिक सोडे का मूल्य

3306. श्री रामचंद्र उलाका
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कास्टिक सोडे के मूल्य बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) मूल्यों में वद्धि रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां। 15 नवम्बर, 1965 से कास्टिक सोडे के विभिन्न किस्मों के कारखाना मल्य (ex-factory price) 40 रुपये प्रति मीटरी टन बढ गये हैं ।

(ख) बिजली में कटौती के कारण उत्पादन मूल्य का बढ़ना, उत्पादन में कमी, फरनेस तेल पर दी गई छूट को वापिस लेना और मजदूरी में वृद्धि आदि।

(ग) निर्माताओं ने विश्वास दिलाया है कि वे सरकार से पूर्व-परामर्श किये बिना मूल्यों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करेंगे।

उड़ीसा में योग्यता छात्रवृत्तियां

3307. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 1965-66 में उड़ीसा सरकार को निर्धन छात्रों को अपनी विश्वविद्यालय की शिक्षा जारी रखने के हेतु योग्यता छात्रवृत्ति देने के लिये कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ख) राज्य सरकार ने उस राशि में से कितनी राशि खर्च की ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) 1,60,000 रुपये।

(ख) फरवरी, 1966 के अंत तक 1,43,000 रु० तथा शेष 17,000 रुपये भी सम्भवतः इसी वर्ष के दौरान खर्च होने की सम्भावना है, जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है।

उड़ीसा स्थित तकनीकी संस्थाओं के लिए छात्रवृत्तियां

3308. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में उड़ीसा स्थित प्रत्यक तकनीकी संस्था को योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियों के रूप में कितनी राशि दी गई; और

(ख) इस काम के लिये उस राज्य को 1966-67 में कितनी राशि देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये, संख्या एल० टी० 5995/66।]**

दिल्ली में तांबे के तार की चोरी

3309. श्री रामसेवक यादव :
श्री बागड़ी :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में तथा उसके आसपास तांबे के तार तथा पानी के मीटरों की चोरी की घटनायें बढ़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष में ऐसी चोरी की कितनी घटनायें हुई ; और

(ग) क्या चोरी करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : जी हां। 1965 के दौरान दिल्ली पुलिस को तांबे के तारों की चोरी के 241 मामलों और पानी के मीटरों के 205 मामलों की रिपोर्टें प्राप्त हुई जबकि 1964 में तांबे के तारों की चोरी के 97 और पानी के मीटरों की चोरी के 52 मामले सामने आये थे।

(ग) (i) 1965 के दौरान 20 व्यक्तियों को तांबे के तारों की चोरी के मामलों में पकड कर चालान किया गया। इनमें से तीन को सजा मिली, 6 बरी हो गए और शेष 11 के खिलाफ न्यायालय में मामले चल रहे है।

(ii) पानी के मीटरों की चोरी के मामलों के 13 व्यक्तियों को पकड़े गए जिनमें से 12 का चालान किया गया और 3 को छोड़ दिया गया। जिन 12 व्यक्तियों का चालान किया गया उनमें से 2 को सजा हुई, और 4 बरी हो गए। शेष 6 के खिलाफ न्यायालय में मामल चल रहे हैं।

दिल्ली में मथीलेटिड स्पिरिट की कमी

3310. **श्री बागड़ी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में मथीलेटिड स्पिरिट की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जनवरी, 1966 में स्पिरिट के दाम बढ़ गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस की मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पंजाब में सार्वजनिक टेलीफोन

3311. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सारे पंजाब में कुल कितने सावजनिक टलीफोन लगाये जाने थे; और

(ख) कितने सार्वजनिक टलीफोन लगाय जा चुक हैं तथा वे जिलावार कहां-कहां लगाये गये है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में के दौरान पंजाब में 93 दूरस्थ सार्वजनिक टेलीफोन-घर खोलने का प्रस्ताव था।

(ख) एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जा रहा है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5996/66।]**

Rates of Teleprinters

3312. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government have increased the rates of teleprinters ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs & Department of Communications (Shri Jagannath Rao) : (a) Yes.

(b) Due to increase in the cost of teleprinters and spares.

Library for Jawans

3313. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Bade :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Delhi Public Library has a proposa to open a library for Jawans ; and

(b) if so, when the aforesaid library is likely to be opened ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) & (b). In August, 1965 the Delhi Library Board decided to open Hospital Library Service for indoor patients of the Jawans and for this purpose the Military Hospital in Delhi Cantonment was selected to begin with. A few hundred books in Hindi, English, Urdu and Punjabi were supplied to the authorities for the use of the hospitalised Jawans. If this experiment proves successful, the service may be extended.

दिल्ली में दुकानों के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

3314. **श्री बागड़ी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुन सि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली व्यापार कर्मचारी संस्था (न्यू देहली ट्रेड एम्प्लाईज एसोसिएशन) ने राजधानी में दुकानों के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड बनाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकारी की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल में बिजली की कटौती

3315. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की कटौती कर देने से केरल में काजू उद्योग को नुकसान हुआ है; और

(ख) यदि बिजली की कमी के कारण इन कारखानों को बन्द करना पड़ा तो कितने श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) बिजली की कमी का इस उद्योग पर गम्भीर प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था—जैसे कि तल के इंजिन लगाना, तेल में भूनने के बजाय ड्रमों में भूनने का विधि अपनाना, आदि—कर दी गई है।

(ख) लगभग 73,670 श्रमिक।

केरल में पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी

3316. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान केरल राज्य में कितने पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) उनमें से ऐसे कितने व्यक्ति थे, जो भारतीय उद्भव के थे और व्यापार के लिये पाकिस्तान चले गये थे और वहां के बन गये थे तथा भारत वापस आ गये थे ; और

(ग) ताशकंद समझौते के पश्चात् उनमें से कितने व्यक्ति रिहा कर दिय गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) 52.

(ख) 50.

(ग) कोई नहीं। किन्तु गिरफ्तार किय गये 52 व्यक्तियों में से तीन स्त्रियों को दया के आधार पर ताशकन्द समझौते से पहले ही रिहा कर दिया गया था।

अन्दमान द्वीप-समूह में विभिन्न फर्मों के कार्यों का निष्पादन

3317. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री (मैरीन) विभाग, अन्दमान द्वीपसमूह, ने 1964–65 में कुल कितनी लागत के गैर-सरकारी कार्यों (सरकारी खाते के कार्यों के अतिरिक्त) का निष्पादन किया तथा कुल कितने मूल्य का सामान बेचा ;

(ख) इसी अवधि में मैसर्स आकूजी, जाडवेट एण्ड कम्पनी, जाडवेट ट्रेडिंग कम्पनी तथा अन्य सम्बद्ध फर्मों के कितने लागत के कार्य किये तथा कितने मूल्य का सामान बेचा; और

(ग) कितने मूल्य के बिलों का भुगतान कर दिया गया है और कितने मूल्य के बिल अभी भी बकाया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी): (क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

प्लास्टिक के शीशे

3318. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की अनुसंधान प्रयोगशालाओं में चश्मों के लिए प्लास्टिक के शीशे तैयार किये गये है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) शिक्षा मंत्रालय के अधीन किसी भी राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं में ऐसे शीशे तयार नहीं किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बड़ोच जिले में तेल और गैस

3319. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री जसवन्त मेहता :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ोच जिले के जंबासार तालुक में उवेर गांव में हाल ही में तेल और गैस होने का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तेल और गैस मिलने की संभावना है ; और

(ग) तेल और गैस को निकालने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जंबूसर क्षेत्र में एक कुंए का व्यधन करते समय तेल और गैस के चिन्ह पाय गये थे।

(ख) सम्भाव्यताओं का निर्णय करने से पहले कई कुंओं का व्यधन करना पड़ेगा।

(ग) इस समय यह नहो बताया जा सकता।

रेयन उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

3320. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेयन उद्योग के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) . इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन न ीं है ।

फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड को हुआ घाटा

3321. **डा० राम मनोहर लोहिया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, अल्वाय को बहुत घाटा हो रहा है ;

(ख) क्या इसका कारण फिजूलख ी है जैसे कारखाने द्वारा एक वातानकूलित कार रखना जिसका प्रयोग निदेशक करता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नही उटता ।

Fire in Barauni Oil Refinery

3322. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Omkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a big fire broke out at Barauni Oil Refinery on the 19th February, 1966 ;

(b) if so, the damage caused thereby ; and

(c) the causes of the fire ?

The Minister of Petroleum & Chemicals (Shri Alagesan) : (a) A fire in the coking unit of the Barauni Refinery broke out at 10.53 A.M. on the 20th February, 1966 and not on the 19th February,1966.

(b) The damage was confined to a few instruments, some pipelines and electrical equipment in the vicinity of the place where the fire broke out.

(c) The fire was caused due to mechanical failure of the compression joint of the instrumentation impulse pipeline.

Milk for School-Children

3323. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Omkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that CARE, a private institution of U.S.A., has sent milk and other articles for School children in India ;

(b) if so, the total quantity thereof and how it has been distributed in different States ; and

(c) the total number of children who have benefitted from it ?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) The total quantity of food commodities received from 1961-62 to 1965-66 is 44,13,34,608 lbs. These have been distributed as below :

	lbs.
1. Andhra Pradesh	6,38,03,508
2. Gujarat	46,50,235
3. Kerala	16,73,98,353
4. Madras	9,05,25,464
5. Madhya Pradesh	28,94,669
6. Maharashtra	47,93,180
7. Mysore	4,70,48,889
8. Orissa	1,11,39,513
9. Punjab	2,34,49,312
10. Rajasthan	2,34,63,637
11. Uttar Pradesh	11,66,898
12. West Bengal	10,00,950
TOTAL .	44,13,34,608

(c) 91,87,000 children in 12 States are covered by the programme at present.

Attack on a Police Convoy by Nagas

3324. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Omkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that armed Nagas attacked a police convoy of Ukhrul Sub-Division of Manipur on the 25th February, 1966 ; and

(b) if so, the number of persons killed and the value of the goods looted by them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) & (b). There was no such incident on the 25th February, 1966. However, on the 23rd February, 1966, three vehicles of a C.R.P. convoy carrying ammunition and rations were attacked and one of these was burnt by Naga hostiles at Tolloi Road in Ukhrul Sub-division of Manipur. There was no loss of life. The value of the articles looted is about rupees one lakh and twentytwo thousand.

दिल्ली में साक्षरता

3325. **श्री महेश्वर नायक :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में साक्षरता लाने की दिशा में हुई प्रगति के बारे में कोई मध्य-कालीन मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो 1961 की जनगणना की तुलना में अब स्थिति अच्छी है अथवा बुरी ;

(ख) क्या गांवों में शिक्षा के प्रति कुछ उदासीनता होने तथा गांवों में निरक्षरता के वातावरण में साक्षरता बनी न रहने के कारण ही निरक्षरता की यह स्थिति बनी हुई है; और

(ग) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र निरक्षरता के अभिशाप से किस निश्चित तारीख तक मुक्त हो जायगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

शेख अब्दुल्ला की रिहाई

3326. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य के 50 प्रमुख नागरिकों ने शेख अब्दुल्ला की रिहाई के लिये प्रधान मंत्री को एक अपील भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : मार्च, 1966 के आरम्भ में प्रधान मंत्री को काश्मीर के मुफ्ती मुहम्मद रशीदुद्दीन, मुफ्ती आजम तथा अन्य तीन व्यक्तियों से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसके साथ जम्मू व काश्मीर के कुछ नागरिकों की ओर से शेख अब्दुल्ला तथा जम्मू व काश्मीर में नजरबन्द अन्य लोगों की रिहाई की अपील संलग्न थी।

(ग) इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने के अलावा और कोई कार्यवाही नहीं की गई।

शेख अब्दुल्ला

3327. **श्री मुथिया :** **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री वारियर :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताशकंद घोषणा के पश्चात् शेख अब्दुल्ला के विचार बदल गये हैं ;

(ख) क्या उन्होंने यह कहा है कि यदि मुझे रिहा किया जाए, तो मैं भारत-पाकिस्तान मैत्री के लिए काम करने के लिए तैयार हूं; और

(ग) क्या श्रीनगर के भारत-पाकिस्तान मैत्री संगठन ने प्रधान मंत्री से शेख अब्दुल्ला को रिहा करने के बारे में अपील की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) श्री राधो नाथ वैष्णवी नामक एक व्यक्ति ने, जो अपने आपको काश्मीर के भारत-पाकिस्तान समझौता दल का अध्यक्ष बताता है, प्रधान मंत्री को लिखा है और एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें शेख अब्दुल्ला तथा अन्य लोगों की रिहाई के बारे में प्रार्थना की गई है और जो दल की कार्य समिति द्वारा पारित बताया जाता है।

तार द्वारा भेजे जाने वाले संदेश

3328. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि बहुत से तार मत्यु होने, दुर्घटना होने तथा किसी व्यक्ति के मंत्री अथवा उपमंत्री बनने पर दिये जाते है ;

(ख) क्या यह सच है कि बधाई तारों के बहुत से वाक्यांशों में मंत्रियों को बधाई देने अथवा किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बारे में संवेदना संदेश देने वाले कोई वाक्यांश नहीं होते; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन रिहायती संदेशों का संशोधन करने तथा उसके क्षेत्र को व्यापक बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव है ?

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : (क) मृत्यु तथा दुर्घटनाओं के संबंध में जी हां ; लेकिन मंत्री या उपमंत्री बनने पर केवल सीमित संख्या में ही तार भेजे जाते हैं।

(ख) मौजूदा बने हुए वाक्याशों के अन्तर्गत किसी विशेष नियुक्ति का उल्लेख नहीं किय जाता और वे सामान्य बधाई संदेश होते हैं।

बधाई-तार-सेवा किसी व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में लागू नहीं होती ;

(ग) जी नहीं।

औरंगाबाद में पैठन नामक स्थान पर प्राचीन कला-अवशेष का पाया जाना

3329. श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैठन (औरंगाबाद) में नन्दी सहित शिव की एक छोटी मति मिट्टी के बर्तन तथा श्रृंगार वस्तुएं पाई गई है जिनके बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि वे लगभग 2000 वर्ष पूर्व की बनी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : महाराष्ट्र राज्य के अभिलेखागार तथा पुरातत्व निदेशक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पैठन में कुछ मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और श्रृंगार सामग्री प्राप्त हुई है, जिसे सातवाहन युग का बताया गया है।

पश्चिम बंगाल में आन्दोलन

3330. डा० राम मनोहर लोहिया : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने पड़ौसी राज्यों से पुलिस के दस्तों की सहायता मांगी थी ;

5—51 L. S./66

(ख) यदि हां, तो क्या यह प्रार्थना करने से पहले केन्द्रीय सरकार से सलाह ली गई थी ; और

(ग) कानून के किस उपबन्ध के अधीन यह सहायता मांगी गई थी और पड़ौसी राज्यों द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को दी गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जब कभी विधि तथा व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति का सामना करने के लिये सहायता मांगी जाती है, केन्द्र तथा पड़ौसी राज्य अपने अपने साधनों के अनुरूप पुलिस की कुमक उपलब्ध कराते हैं।

(ग) पुलिस अधिनियम, 1888 (1888 का तीसरा) के उपबन्धों के अधीन।

सीमा पर बाढ़ लगाना

3331. श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा क्षेत्र में कांटेदार तार लगाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ताकि नागा विद्रोहियों का प्रवेश रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब पूरी हो जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार के शहरों में धर्म-परिवर्तन के कार्य

3332. श्री ह० च० सोय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में ईसाई धर्मप्रचारक संस्थाओं के धर्मपरिवर्तन सम्बन्धी कार्य हाल में बढ़ गये है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाओं को सरकार से गैर-ईसाई स्वेच्छिक संस्थाओं की तुलना में अधिक उदारतापूर्वक शिक्षा सम्बन्धी सहायता तथा अन्य सुविधायें मिलती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार के पास ऐसा विश्वास करने के कोई कारण नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला उत्पादन शुल्क (एक्साइज) अधिकारी के विरुद्ध जांच

3333. श्री गुलशन :

श्री बूटा सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष पुलिस संस्थान ने मार्च 1964 में दिल्ली प्रशासन के जिला-उत्पादन शुल्क अधिकारी के घर पर छापा मारा था ;

(ख) क्या उनके निवास-स्थान से अवैध शराब बरामद हुई ;

(ग) क्या उनके विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : विशेष पुलिस संस्थान ने 2-2-1964 को दिल्ली प्रशासन के जिला-उत्पादन शुल्क अधिकारी के घर की तलाशी ली और विदेशी शराब और बीयर बरामद की।

(ग) और (घ) : पंजाब उत्पादन शुल्क अधिनियम की धारा 61 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया और दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी करके उक्त अधिकारी पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्राप्त करली है। मामला न्यायालय के सिपुर्द किया गया जा रहा है।

बाल-साहित्य का विकास

3334. श्री कन्डप्पन :

श्री मुत्तु गौंडर :

श्री शिवशंकरन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल-साहित्य का विकास करने के लिये कोई कार्यक्रम बना रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए यदि विभिन्न राज्यों को कोई सहायता दी गई है तो किस रूप में ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) (क) : जी हां। भारत सरकार प्रतिवर्ष भारतीय भाषाओं में बाल-साहित्य की राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता का आयोजन करती है। साहित्य रचनालयों का आयोजन ग्रन्थकारों और लेखकों को बच्चों के लिये पुस्तके लिखने की तकनीक में प्रशिक्षण देने के लिये किया जाता है। स्कूलों के बच्चों के लिये पूरक पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने भी एक योजना आरम्भ की है।

(ख) बाल-साहित्य के विकास के लिये तकनीकी अथवा शिक्षा संबंधी परामर्श देने के अतिरिक्त राज्य सरकारों को पुरस्कार प्रतियोगिता तथा साहित्य रचनालयों के व्यय की पूर्ति करने के लिये सहायक अनुदान दिये जाते हैं।

गैर-सरकारी तेल समवायों द्वारा छंटनी

3335. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वारियर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी तेल समवायों ने यह सूचना दी है कि कोचीन में तेल शोधक कारखाना चालू हो जाने पर उन्हें अपने बहुत से कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ेगी ;

(ख) क्या छंटनी की इस धमकी के सम्बन्ध में सरकार को कर्मचारियों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों का रोजगार जारी रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) कोचीन शोधनशाला लि० और भारतीय तेल निगम लि० को इस मामले की सूचना दे दी गई है ।

मिजो विद्रोह के दौरान बन्दी बनाये गये व्यक्ति

3336. श्री बागड़ी :

श्री मधु लिमये :

श्री हेम बरुआ :

डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो विद्रोहियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही में व्यक्ति बन्दी बनाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : मिजो नेशनल फ्रंट के 221 वालिटियर बन्दी बनाये गए हैं ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में उद्योग

3337. श्री राम सहाय पाण्डेय :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सीमावर्ती प्रदेशों में जो बहुत से उद्योग नष्ट हो गये थे व अभी तक पुनः स्थापित नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन उद्योगों के मालिकों को पुराने पैमाने पर अपने उद्योगों को फिर से चलाने के लिये कोई सहायता अथवा प्रोत्साहन दिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) वे उद्योग जो हाल में हुये भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान नष्ट हो गये थे, पुनः चालू हो गये हैं और कम या अधिक सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां, उद्योगों के लिये सरकार द्वारा ऋण तथा अन्य सहायता की व्यवस्था कर दी गई है।

दण्डकारण्य क्षेत्र में शिक्षा

3338. डा० रानेस सेन :

डा० उ० मिश्र :

श्री फिरोडिया :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य में अब बसे हुए शरणार्थी लड़कों को शिक्षा देने के लिये प्राधिकारियों द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ख) इस कार्य के लिए अध्यापकों की भर्ती किस तरीके से की जाती है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) 204 प्राथमिक विद्यालय, 7 माध्यमिक विद्यालय और एक उच्च विद्यालय खोल दिये गय हैं। भर्ती किये गय विद्यार्थियों की संख्या 15,360 है। 23 प्राथमिक विद्यालय, दो माध्यमिक विद्यालय और एक उच्च विद्यालय निर्माणाधीन है। एक औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित कर दिया गया है। आदिवासी बच्चों को प्रशिक्षण के लिये अन्य औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में भी भजा जाता है।

पुस्तकें निःशुल्क दी जाती हैं और प्राथमिक और माध्यमिक श्रेणियों में शिक्षण शुल्क नही लिया जाता।

वे छात्र जो होस्टल्स में रहते हैं उन्ह छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं।

कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ विशेष व्यवस्था द्वारा कोडागांव में बी०ए० और बी० काम० की परीक्षायें ली जाती हैं।

(ख) अध्यापक वर्ग की भर्ती रोजगार कार्यालय की प्रवर समितियों द्वारा की जाती है जिसमें इन्टरव्यु और लिखित परीक्षण लिया जाता है।

दण्डकारण्य की बेंची जा सकने वाली फालतू उपज की बिक्री

3339. डा० रानेन सेन :

डा० उ० मिश्र :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बची जा सकने वाली फालतू उपज को दण्डकारण्य में बसे हुए शरणार्थियों द्वारा बेचने की क्या प्रक्रिया तथा व्यवस्था है और दण्डकारण्य के अधिकारियों ने उसके लिए क्या प्रबन्ध किये हैं ;

(ख) क्या तत्सम्बन्धी प्रणाली के बारे में वहां के अधिकारियों में कोई मतभेद हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) अदिवासियों को उनकी बेची जा सकने वाली फालतू उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये दण्डकारण्य परियोजना प्रशासन द्वारा बेची जा सकने वाली उपज के बारे में एक सेल स्थापित कर दिया गया है ताकि आदिवासियों को बाजार का ज्ञान हो जाये। मार्कीटिंग केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं। और परियोजना प्रशासन के आदिवासियों की सहायता से अधिवासी अपनी उपज को उचित मूल्य पर बेच पायेंगे।

एक बड़ी संख्या में अधिवासियों को बैल गाड़ी की खरीद के लिये ऋण दिया गया है जिससे उनको उपज परिवहन में सुविधा होगी। खण्डों से बाहर सब्जियां, फल और पोल्ट्री उपज बेचने के लिये अधिवासियों को परिवहन सुविधायें देने के बारे में भी शासन द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Rice Smuggling to China

3340. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that several businessmen in Assam were detained under D.I.R. during the Indo-Pak. conflict last year;

(b) whether the charge of smuggling rice to China was levelled against them;

(c) if so, the reasons for their being released; and

(d) the steps taken to stop smuggling of rice on the border ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and the Minister of Supplies in the Ministry of Defence (Shri Hathi) : (a) Yes Sir. Twentysix persons were detained under the Defence of India Rules.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) Vigilance measures have been tightened to prevent smuggling to Pakistan through border areas.

नजरबन्द लोगों को परिवार भत्ता दिया जाना

3342. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या गृह-कार्य मंत्री 2 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1397 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में 10 मार्च, 1966 तक कितने नजरबन्द वामपंथी साम्यवादियों को परिवार भत्ता दिया गया;

(ख) कितने नजरबन्द वामपंथी साम्यवादियों को 425 रुपये प्रतिमास परिवार भत्ता दिया गया ;

(ग) विभिन्न राज्यों में कितने नजरबन्द साम्यवादियों को 150 रुपये से अधिक परिवार भत्ता मिल रहा है; और

(घ) वर्ष 1966 में 10 मार्च तक परिवार भत्ते के लिये कितने आवेदन-पत्र नामंजूर किये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

खाद्य संबंधी आन्दोलन को दबाने के लिये सेना का प्रयोग किया जाना

3343. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 मार्च, 1966 तक देश में खाद्य संबंधी आन्दोलन करने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस की सहायता के लिये किन-किन स्थानों पर सेना बुलाई गई;

(ख) विभिन्न स्थानों पर पुलिस की सहायता के लिये कितने सैनिकों को बुलाया गया है ; और

(ग) सेना को कार्यवाही करने के लिये बुलाने के क्या कारण थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : आसनसोल, रानाघाट, शान्तिपुर, कृष्ण नगर, हुगली, हावड़ा और कलकत्ता में नागरिक अधिकारियों की विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने और सरकारी सम्पत्ति की निरकुशतापूण बरबादी से रक्षा के कार्य में, सहायता के लिये सेना को बुलाया गया। कुल मिलाकर पैदल सेना की चार बटालियनें इस काम पर लगाई गई।

उर्वरक कारखाना, दुर्गापुर

3344. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिये इटली की एक फर्म के साथ एक करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो करार की शर्तें तथा निबंधन क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Allotment of land to Refugees

3345. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Labour, Employment** and **Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that land allotted for cultivation to the Scheduled Castes people coming from West Pakistan, on the basis of the number of the members of their families at that time has become quite insufficient now as a result of addition to their family members consequent to which they find it difficult to make both ends meet; and

(b) whether Government now propose to allot them additional land for cultivation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) & (b). Originally allotments of evacuee agricultural lands in some States were made on the basis of family members. These allotments were made as a measure of rehabilitation and no distinction was drawn between a scheduled caste or a non-scheduled caste displaced person. After enactment of the Displaced Persons (C&R) Act, 1954 such allotments have been restricted to the displaced persons having verified agricultural land claims. There is no proposal to make any additional land allotment to the displaced persons on the ground of increase in the number of their family members.

Excavation in Shri Ganganagar

3346. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the result of excavation operations started at Kalibanga in District Shri Ganganagar in Bikaner Division of Rajasthan;

(b) the broad outlines of remains found in this excavation work so far and the expenditure incurred thereon;

(c) whether Government propose to carry on excavation operations in connection with the archaeological remains found in Rangmahal, Dabli and Chak 34 S.T.G.; and

(d) if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) Six seasons of work has revealed that the site was under occupation prior to the arrival of the Harappans. This in fact is the major contribution of the operation, for it has pushed back the beginnings of Indian proto-history by a couple of centuries. Besides, a full fleged settlement of the Indus Civilization was also brought to light.

(b) The ancient site consists of two mounds : the smaller one to the west and the larger one to the east. The pre-Harappan settlement, the remains of which were found only on the smaller mound was enclosed by a citywall, approximately four metre in width. The houses were built of mud-bricks. The inhabitants used a distinctive pottery, different alike in form and fabric from the Harappans. They knew the use of bronze but unlike the Harappans employed only short blades for their domestic use. This settlement came to an end as a result of a catastrophe (perhaps seismic), and the site was abandoned temporarily.

With the arrival of the Harappans on the site the pattern of settlement underwent a change. The abandoned mound was chosen as the site for a citadel while the city proper was laid out towards its east. The citadel complex consisted of two parts : the southern and the northern, each enclosed by a separate fortification wall. While the former contained several mud-brick platforms, each separates from the other, the latter comprised residential buildings, meant perhaps for the administrative or religious head. The fortification system of the southern hall was quite elaborate with bastions and stepped entrances. In the lower city, the excavation laid bare a part of the grid-plan of the town. North-south and east-west running thoroughfares with street crossings were duly located. The houses were built of mud-bricks, the use of baked bricks (of the same size) being confined to places where water was to be used like drains, floors, wells, etc. The expenditure incurred on the excavation work during the years 1961-62 to 1965-66 comes to Rs. 3,76,265.

(c) There is no such proposal for the present.

(d) Does not arise.

Hindi Telegrams

3347. **Shri Jagdev Singh Siddhanti** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of Posts and Telegraphs employees engaged on booking telegrams who are not fully acquainted with the rules for counting number of words in Hindi telegrams;

(b) whether, in some cases, senders of Hindi telegrams have been charged for more words than the numbers of words actually chargeable under the rules; and

(c) the steps being taken to make the telegram booking clerks well acquainted with these rules?

Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs & the Department of Communications (Shri Jaganath Rao) : (a) Nil. No official, not acquainted with the rules on the subject, is engaged for booking telegrams either in Devanagari or Roman script.

(b) Individual lapses, here and there, might have occurred.

(c) Apart from general practical training given to all telegraph office clerks before their actual employment on specific points, clerks employed for booking Devanagari telegrams are given a special course of training. Every booking clerk is also supplied with a copy of Telegraph Guide, Vol. I which contains detailed rules of booking Devanagari telegrams printed in a separate Chapter in Hindi.

महिला सम्पर्क एजेंट

3348. **श्री द्वी० चं० शर्मा :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को केन्द्रीय मंत्रालयों के कुछ विभागों में सम्पर्क एजेंट के रूप में महिलाओं के काम करने के बारे में पता लगा है, जिन के बारे में यह बताया गया है कि वे सरकारी अधिकारियों से अनुचित लाभ दिलाने में अपने मालिकों की सहायता करती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) कुछ ऐसी महिलाओं की ओर केन्द्रीय जांच ब्यूरो का ध्यान गया है जो कुछ विभागों में सरकारी कर्मचारियों से सम्पर्क स्थापित करती पाई गई ।

(ख) सम्बन्धित विभागों को उनके नामों के विषय में सूचित किया गया है ।

लायो कोयला खान में आग

3349. **श्री दशरथ देव :** क्या श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लायो कोयला खान की आग 27 फरवरी, 1966 से फैल रही थी; और

(ख) यदि हां, तो कोयला खान कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये क्या सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) लायो कोयला खान में, जहां काम नहीं हो रहा था, 28 फरवरी, 1966 को आग लग गई। जंगल की आग क्वैरी के मलवे में दाखिल हो गई और वहां से उस स्थान पर फैल गई जहां काम नहीं हो रहा था ।

(ख) चूंकि उस स्थान पर कोई श्रमिक नियुक्त नहीं हैं, इसलिए किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है ।

भ्रष्टाचार निरोधक कार्य का पुनर्विलोकन

3350. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्री फिरोडिया :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में अपनाये गये भ्रष्टाचार-निरोधक उपायों का उल्लेख करते हुए सतर्कता तथा भ्रष्टाचार-निरोधक कार्यो का पुनर्विलोकन हाल ही में प्रधान मंत्री को पेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो भ्रष्टाचार-निरोधक उपायों सम्बन्धी उक्त पुनर्विलोकन के परिणामों से क्या निष्कर्ष निकाला गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) पिछले दो वर्षो (1964 से 30-9-65 तक) के दौरान किये गए सतर्कता तथा भ्रष्टाचार-निरोधक कार्यों का एक पुनर्विलोकन केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा तैयार किया गया था । यह प्रतिवेदन प्रधान मंत्री द्वारा देख लिया गया है ।

(ख) कहा जा सकता है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा कुछ विभागों तथा सरकारी निकायों में किये गए संकेंद्रित अभियान के परिणाम-स्वरूप भ्रष्टाचार के स्थल पता चले हैं, बेईमान लोगों के खिलाफ़ कार्यवाही की गई है कार्य के निपटान की गति में तीव्रता आई और कुछ विभागों के काम में सुधार हुआ जिससे भ्रष्टाचार की कार्यवाहियों के अवसर कम करने में सहायता मिली ।

केरल में काजू कर्मचारियों की मजूरी

3351. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में क्विलोन के काजू कर्मचारी संघ ने न्यूनतम मजूरी बढ़ाये जाने तथा कुछ अन्य लाभ दिये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार न्यूनतम मजूरी में संशोधन के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है । अन्य मामलों की भी जांच की जा रही है ।

विश्वविद्यालयों के उपकुलपति

3352. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल से एक ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में किन किन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है;

(ग) उन बातों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या संविधान के अनुच्छेद 353 के अन्तर्गत कोई प्रशासनिक और वैज्ञानिक कार्यवाही करने अथवा कोई निदेश जारी करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां । भारत और श्रीलंका के अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड की ओर से उप-कुलपतियों ने ज्ञापन पेश किया था ।

(ख) ज्ञापन में मुख्य तौर पर विश्वविद्यालय स्वायत्तता का प्रश्न उठाया गया है और संक्षेप में इन बातों के लिये समर्थन चाहा है : (i) विभिन्न विश्वविद्यालय अधिनियमों तथा संशोधन विधेयकों में से कुछ ऐसे उपबन्धों को निकालना, जो अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के विचार में विश्वविद्यालय स्वायत्तता में कमी करते है ; और (ii) अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित "विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श अधिनियम" समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार विद्यमान विश्वविद्यालय अधिनियमों में संशोधन करना ।

(ग) और (घ) : ज्ञापन की जांच की जा रही है ।

प्राकृतिक गैस का उपयोग

3353. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के तेल क्षेत्रों से मिलने वाली प्राकृतिक पैट्रोलियम गैस का उपयोग करने के लिये किन किन उद्योगों को लाइसेंस दिये गये हैं और प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिये किन किन परियोजनाओं को लाइसेंस देने का विचार किया जा रहा है; और

(ख) गोहाटी तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली गैस को किस प्रकार प्रयोग में लाया जायेगा तथा क्या किसी ऐसी परियोजना को अन्तिम रूप दिया गया है, जिस के द्वारा इस का तरलीकरण कर के घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने के लिये इस का वितरण किया जा सके ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) आसाम की प्राकृतिक गैस पर आधारित उवरक, विद्युत तापीय और ऐक्रिलोनिट्राइल (acrylonitrile) सन्यन्त्रों की स्थापना के लिये लाइसेन्स दिये गये हैं । इस के इलावा प्राकृतिक गैस तिगरी ग्रिड और ई० भट्टों को सप्लाई की जा रही है । यूरिया प्लांट की स्थापना का एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

(ख) गोहाटी शोधनशाला से निकलने वाली गैस को तरल पैट्रोलियम गैस को तैयार करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में रूमानिया से एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो भारतीय तेल निगम (शोधनशालाएं प्रभाग) लिमिटेड के विचाराधीन है ।

केरल में न्यायपालिका सेवा में वरीयता के बारे में अपीलें

3354. **श्री मणियंगाडन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य की न्यायपालिका सेवा में वरीयता के बारे में इस समय कोई अपीलें विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है; और

(ग) ये अपीलें कितने समय से विचाराधीन है और इन अपीलों पर निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) केरल की न्यायपालिका सेवा में वरीयता पर राज्य पुनर्गठन के प्रभाव के बारे में कोई अपीलें भारत सरकार के पास विचाराधीन नही है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नही उठते ।

सब-डिविजनल अधिकारी, लुंगलेह

3355. श्री जसवंत मेहता :

श्रीमती रेणुका बडकटकी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा सेनाएं मिजो विद्रोहियों द्वारा अपहृत मिजों जिले में लुंगलेह के सब-डिविजनल अधिकारी का पता लगा सकी है; और

(ख) क्या इस अधिकारियों के ठौर ठिकाने के बारे में कोई जानकारी मिली है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : पता चला है कि लुंगलेह के सब डिवीजनल अधिकारी को सशस्त्र मिजो दलों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान ले जाया गया है। उनके ठौर ठिकाने का ठीक पता चलाने की कोशिश की जा रही है ।

पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये ऋण

3356. श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आये हुए मध्यम वर्ग के शरणार्थियों को दिये गये अंशदायी मकान-निर्माण ऋण को माफ कर दिये जाने के बारे में उद बस्तु कल्याण समिति सारदापल्लो, जिला हुगली (पश्चिमी बंगाल) से कोई अभ्यावेदन उन को प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उन्होंने इस पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) अंशदायी मकान-निर्माण ऋण के बारे में छूट प्रस्तावित नहीं की गई है ।

रा० ब० रामरूप विद्या मंदिर

3357. श्री ही० ना० मुकर्जी :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रा० ब० रामरूप विद्या मंदिर दिल्ली के काम-काज के बारे में कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं; और

(ग) उन्हें कार्यरूप देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां, शिक्षा निदेशालय द्वारा इस की जांच की जा रही है ।

(ख) जांच समिति अभी तक जांच कर रही है तथा उसकी उपपत्तियों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

शिविर से प्रव्रजकों का भेजा जाना

3358. श्री ही० बा० मुकर्जी : क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला दारंग (आसाम) में बरगुडी में बसाये गये पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लगभग 500 शरणार्थी परिवारों को उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ अन्य राज्यों में भेजा जा रहा है;

(ख) क्या उनको वर्तमान स्थान पर रहने देने के बारे में उन्हें कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग) : असम में कृषि परिवारों को बसाने की सीमित गुंजाईश और राज्य के साधनों पर निरंतर दबाव के कारण, असम राज्य सरकार ने राज्य में स्थित शिविरों के सभी शरणार्थियों को बसाने में असमर्थता प्रकट की है । तदनुसार यह निर्णय किया गया है कि असम के विभिन्न शिविरों से 3,000 परिवारों को माना आवाजाही केन्द्र रायपुर, मध्य प्रदेश में भेजा जाये और फिर उन्हें स्थायी पुनर्वास के लिये बाद में अन्य राज्यों में भेजा जायेगा । इस कार्यक्रम के आंशिक रूप में बारगुरी शिविर से 374 कृषि परिवारों को तब्दील करने की राज्य सरकार की प्रस्तावना है ।

बारगुरी शिविर के परिवारों से एक अभ्यावेदन मिला है । उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें असम में ही बसाया जाये । राज्य सरकार द्वारा इसकी जांच की जा रही है ।

भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग का शताब्दी समारोह

3359. श्री विश्राम प्रसाद : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग का शताब्दी समारोह दिसम्बर, 1961 में मनाया गया था, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने आरम्भ में कितनी राशि मंजूर की थी और वास्तव में उस पर कितना खर्च हुआ ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

		रुपये
(ख)	(1) सरकार द्वारा शुरू में मंजूर की गयी रक़म . .	2,65,307.50
	(2) खर्च की गयी रक़म	6,18,533.69

मिट्टी के तेल का वितरण

3360. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री महश्वर नायक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी राज्यों में मिट्टी के तेल की वितरण प्रणाली में हाल ही में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो पुरानी प्रणाली में क्या परिवर्तन किये गये हैं तथा संशोधित वितरण प्रणाली क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : मार्च 1966 से पूर्वीप्रदेश के राज्यों को शामिल करते हुए प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक का मिट्टी के तेल कंपनीका कोटा निश्चित कर दिया गया है। राज्य सरकारों को बताया गया है कि वे तेल कम्पनियों की सलाह से अलग अलग जिले के कोटे को निर्धारित करें। मार्च 1966 से पहले प्रत्येक क्षेत्र का प्रेषण कोटा था; जो अलग अलग राज्य की सीमाओं के अनुरूप नहीं था।

प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की योजना

3361. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिये कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) देश को कितने समय तक विदेशी विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के लिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने नई दिल्ली में 20 और 21 दिसम्बर, 1965 को अनुसंधान और उद्योग में घनिष्ठ संबंध नामक एक सम्मेलन आयोजित किया था। इसमें अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी संस्थाओं के वैज्ञानिकों, उद्योग तथा औद्योगिक विकास से संबंधित सरकारी विभागों तथा उपभोक्ता संगठनों के तकनीकी व्यक्तियों ने भाग लिया था। सम्मेलन के 15 कार्यकारी दलों द्वारा की गई सिफारिशों का संबंध विशिष्ट विषयों से है। इन सिफारिशों का संबंध अनुसंधान तथा विकास नीतियों और राष्ट्रीय अनुसंधान प्रायोजनाओं के रूप में आर्थिक क्षेत्रों और औद्योगिक महत्व से है। इन्हे विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों को भेज दिया गया है।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय तकनीकी प्रणाली (know-how) मंत्रणा व डिज़ाइन तथा इंजीनियरी सेवाओं के विकास के लिए कोशिशें की जा रही है। उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार ने डा० ए० रामस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक समिति हाल ही में निम्नलिखित कार्य के लिए नियुक्त की है :—

(क) हमारे आर्थिक विकास के मौजूदा स्तर पर विदेशों से तकनीकी जानकारी (know-how) के आयात को कैसे रोका जा सकता है, इसकी जांच करना,

(ख) उन सामान्य स्थितियों की जांच करना जिन से देशीय तकनीकी जानकारी (know-how) को वाणिज्यिक उपयोग के योग्य समझा जा सके, और

(ग) विदेशी सहयोग के मामले के सम्बन्ध में साधारण मार्गदर्शक लाइनों पर सुझाव की कैसे अनुमति दी जा सकती है।

Assistance to Sir Sunder Lal Hospital of Banaras Hindu University

3362. **Shri Balkrishna Singh :**
Shri Raghunath Singh :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Dr. Mahadeva Prasad :
Shri Bishwanath Roy :
Shri Brij Basi Lal :
Shri Panna Lal :
Shri Rajdeo Singh :
Shri Gahmari :
Shri K. M. Pande :
Shri Murli Manohar :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government and the State Government do not give any assistance to Sir Sunder Lal Hospital attached to the Medical College of the Banaras Hindu University;

(b) if so, whether in view of the importance of the Medical College and the hospital attached to it, the Government propose to bear the expenses of the Hospital; and

(c) if so the scheme in regard thereto?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (c). The Central Government and the Government of Uttar Pradesh both give grants to Sir Sunder Lal Hopsital attached to the Medical College of the Banaras Hindu University. The University has however represented that it needs further grants for development and maintenance of the hospital. The University's request is being considered in consultation with the State Government.

जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से सांस्कृतिक शिष्टमंडल

3363. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य से चार सदस्यों का एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का क्या परिणाम निकला ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) यह शिष्ट मंडल थोड़े ही समय के लिये यहां ठहराया था तथा इस ने कुछ चुने हुये खेल कूद संस्थाओं का दौरा किया था और इस क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा खिलाड़ियों के आदान-प्रदान के लिये कुछ मौखिक सुझाव दिये थे। जब इस शिष्ट मंडल का प्रतिवेदन प्राप्त होगा तो उस पर उचित ध्यान दिया जायेगा।

महानदी डेल्टा क्षेत्र में तेल का सर्वेक्षण

3364. **श्री गोकुलानन्द महन्ती :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में महानदी डल्टा क्षेत्र में तेल के सर्वेक्षण का काम अभी चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी, हां। आकर्षण एवं चुम्बकीय सर्वेक्षण कार्य हो रहा है।

(ख) यह बताना सम्भव नहीं है कि सर्वेक्षण कार्य कब पूरा होगा क्योंकि प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य के उत्तरोत्तर प्राप्त हुए परिणाम पर कुल अपेक्षित सर्वेक्षण निर्भर हैं।

उड़ीसा सरकार की पुलिस मकान-निर्माण योजना

3365. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार को 1966-67 में राज्य में पुलिस मकान-निर्माण योजना के अन्तर्गत कितनी राशि देने का विचार है; और

(ख) उस का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : राशि के संसद द्वारा स्वीकृत किये जाने के बाद सभी राज्य सरकारों की आवश्यकताओं पर विचार करते हुए निर्ण लिया जायेगा।

उड़ीसा में विज्ञान मन्दिर

3366. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में उड़ीसा राज्य में कुछ विज्ञान मन्दिर स्थापित करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा राज्य को इसी अवधि में कितनी केन्द्रीय सहायता देने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) विज्ञान मंदिरों का प्रशासनीय नियंत्रण, राज्य सरकारों को हस्तान्तरित कर दिया गया है, इस लिए अब यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे नये विज्ञान मंदिर स्थापित करे। 1966-67 के दौरान उड़ीसा राज्य में पहले से मौजूद तीन मंदिरों के अतिरिक्त, किसी विज्ञान मंदिर के स्थापित करने का कोई प्रस्ताव अभी तक हमें नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में पुरातत्वीय सर्वेक्षण

3367. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा राज्य में कोई सर्वेक्षण किया है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सर्वेक्षण के फलस्वरूप, विभिन्न प्रकार के स्थल अर्थात आरम्भिक पाषाण युग तथा ताम्र-पाषाणिक-युग के निर्धारित किए गए थे ।

उड़ीसा में बेरोजगार इंजीनियर

3368. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों से पास करने वाले उन इंजीनियरों की संख्या क्या है जिन्हें 1964 में रोजगार न मिल सका; और

(ख) उन्हें रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) उड़ीसा के विभिन्न इंजीनियरिंग कालिजों और पालीटेक्निक्स से सन् 1964 में 109 ने डिग्री और 401 व्यक्तियों ने डिप्लोमा प्राप्त किये । बेरोजगार रहने वाले, इंजीनियरों की संख्या, यदि है तो, उपलब्ध नहीं है ।

(ख) पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन चल रहीं विभिन्न विकास प्रायोजनाओं के फलस्वरूप योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए, जिनमें इंजीनियर भी शामिल है, नियोजन अवसर बढ़ेंगे ।

कालटैक्स (इंडिया) लिमिटेड में इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर

3369. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **श्रम, रोजगार** तथा **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कालटैक्स (इण्डिया) लिमिटेड ने इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस के परिणामस्वरूप उन्होंने बहुत से कर्मचारियों फालतू घोषित कर दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में प्राइवेट स्कूल

3370. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री 14 अप्रैल, 1960 के तारांकित प्रश्न संख्या 1498 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 8 अगस्त, 1960 के अतारांकित प्रश्न संख्या 404 के उत्तर में लोक सभा के पटल पर जिन 21 गैर सरकारी लोगों द्वारा चलाये जाने वाले राज सहायता प्राप्त स्कूलों के नाम रखे गये थे, उनके द्वारा अनधिकृत शुल्क वसूल किये जाने के कारण उनकी सहायक अनुदानों में प्रत्येक के मामले में कितनी राशि वसूल की गई है;

6—51 L. S./66

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली कि शिक्षा विभाग की पूर्व मंजूरी लिये बिना बहुतेरे गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा चलाये जानेवाले राज सहायता स्कूल दान, इमारत के लिए चन्दा और विकास शुल्क के रूप में अभी भी अनधिकृत शुल्क वसूल कर रहे हैं और इन में से कुछ स्कूल दिल्ली शिक्षा संहिता के उपबन्धों के प्रतिकूल जाकर सब स्कूलों में बैमोके अनधिकृत पुस्तकें लगाने, कर्मचारियों को नियत से कम वेतन देने और अध्यापकों को तंग करने जैसे अनेक अन्य अनियमितायें भी कर रहे हैं,

(ग) यदि हां, तो ऐसे स्कूलों के नाम क्या है और उन पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं, और

(घ) दिल्ली में गैर सरकारी लोगों द्वारा चलाने जाने वाले स्कूलों को सरकार कुल कितनी राशि का वार्षिक सहायक अनुदान देती है और यदि सरकार इन स्कूलों को पूर्णतया अपने हाथ में ले लेती है तो व्यय में कितनी वृद्धि होगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

केरल विश्वविद्यालय में रूसी भाषा अनुभाग

3371. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय में रूसी भाषा अनुभाग खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) केरल विश्वविद्यालय की सिनेट ने अपनी 19-3-66 को हुई बैठक में रूसी भाषा विभाग खोलने से संबंधित एक गैर-सरकारी प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है ।

(ख) इसके ब्यौरे अभी तैयार नहीं किए गए हैं ।

केरल में विश्वविद्यालय में चार वर्षीय इंजीनियरी पाठ्यक्रम को मान्यता

3372. श्री वारियर :

श्री वासुदेवन नायर :

श्री केप्पन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल विश्वविद्यालय ने अपने चार वर्षीय इंजीनियरी पाठ्यक्रम को मान्यता दिलाने के सम्बन्ध में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से प्रार्थना नहीं की; और

(ख) यदि हां, तो इस बड़ी चूक के परिणामस्वरूप उक्त पाठ्यक्रम के स्नातकों को क्या-क्या हानियां उठानी पड़ेंगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियां स्वतः मान्य हैं ।

कल्लारकुट्टी क्षेत्र में बसाये गए लोगों की बेदखली

3373. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री केप्पन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कल्लारकुट्टी क्षेत्र में बसाये गये लोगों की बेदखली के विरुद्ध एरनाकुलम से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा सम्भरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) कल्लारकुट्टी कोट्टायम जिले में है। सरकार को देवीकोलम हलके की कांग्रेस कमिटी तथा विल्लथोमल और कम्माथाडी पंचायतों के प्रधानों और मुन्नार के भूतपूर्व विधान सभा सदस्य श्री टी० मुरुगेसन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए।

(ख) केरल विधानांग पर संसदीय परामर्श समिति द्वारा नियुक्त उप समिति के प्रतिवेदन पर अंतिम निर्णय लिये जाने के बाद उचित कार्यवाही की जायगी।

शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण की सुविधायें

3374. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रो० सैयदीन की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने शिक्षकों के लिये प्रशिक्षण की सुविधाओं तथा उन से संबंधित अन्य मामलों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की है; और

(ग) उन के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा मंत्री (मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) समिति के निष्कर्षों और सिफारिशों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5997/66।]**

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, जिसने समिति की नियुक्ति की थी, अपनी सिफारिशों के साथ इस रिपोर्ट को सरकार के पास भेजे जाने के बाद ही, सरकार इस रिपोर्ट पर विचार करेगी।

लड़कियों की शिक्षा

3375. श्रीमती विमला देवी :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी योजना में प्राथमिक और मिडल स्कूलों में लड़कियों के दाखिले के मामलों में प्रगति धीमी रही है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) चौथी योजना में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (डा० श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) प्राथमिक और मिडिल स्तरों पर अनुमानित क्रमश: 85.5 लाख और 13.1 लाख की भर्ती के स्थान पर वास्तव में 72 लाख और 12.1 लाख भर्ती होने की आशा है ।

(ख) प्रमुख कारण हैं :—(1) साधनों की कमी (वित्तीय और मानव), (2) कुछ क्षेत्रों में रुढ़िवादिता, और (3) दुर्गम स्थानों में शिक्षा संस्थायें स्थापित करने में कठिनाइयां ।

(ग) सामान्य शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत की गई विभिन्न व्यवस्थाओं के अलावा, जिसमें से लड़कियों की शिक्षा लिए उचित हिस्सा मिलेगा, स्कूलों पर लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने की विशेष योजनाओं के लिए आयोजना के मसौदेमें 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है ।

Provident Fund Facilities in Delhi Schools

3376. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in some primary schools in Delhi and New Delhi provident fund facilities have not been extended to the teachers ;

(b) whether it is also a fact that there are some teachers in those schools who enjoy the said facilities ;

(c) if so, the reasons for this discriminatory treatment ; and

(d) the action taken in this regard ?

Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) to (d). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

सभा पटल पर रखें गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): श्री मु० क० चागला की ओर से मैं केरल राज्य विधान-मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत केरल विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1966 राष्ट्रपति का (1966 का अधिनियम, संख्या 3) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5986/66 ।]**

भारत रक्षा दूसरा संशोधन नियम

ग्रह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्या चरण शक्ल): श्री हाथी की ओर से मैं भारत रक्षा अधिनियम, 1962 की धारा 41 के अन्तर्गत भारत रक्षा (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 6 मार्च 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 364 में प्रकाशित हुए थे । सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5983/66 ।]**

सौंडा कोयला खान संख्या 4 में हुई घातक दुर्घटना के बारे में जांच का प्रतिवेदन

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां): मैं नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जिला हजारीबाग, बिहार की सौंडा कोयला खान संख्या 4 में 17 फरवरी,

1966 को हुई घातक दुर्घटना के बारे में जांच के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5988/66।]**

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

47 वां प्रतिवेदन

श्री मरारका (झुंझुनू) : मैं केरल सरकार सम्बन्धी विनियोग, 1962-63, 1963-64 वित्त लेखे, 1962-63 तथा 1963-64 और लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों, 1964 तथा 1965 के बारे में लोक-लेखा समिति का 47 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अनुदानों की मांगें---जारी

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय—जारी

अध्यक्ष महोदय : श्री सुब्बरायन अपना भाषण जारी रखें।

श्री सुब्बारामन (मदूर) : मैंने कल आवास सम्बन्धी समस्या के महत्व के बारे में कहा था। मैंने यह भी कहा था कि आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये काफी धनराशि की आवश्यकता होगी। गन्दी बस्तियों में रहने वालों की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। यदि उन सब के लिये व्यवस्था की जाये तो प्रति व्यक्ति को मकान दिये जाने पर 5,000 रुपये का व्यय होगा। अतः इतनी अधिक धनराशि वर्षों तक उपलब्ध नहीं हो सकती। परन्तु यह समस्या ऐसी है कि इतनी देरी करना भी उचित नहीं है। इसका विकल्प यह हो सकता है कि आवश्यकतानुसार भूमि अर्जित की जाये और उसमें अच्छी सड़कों, पानी, जल-निकास, खेल के मैदान तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाये। बाद में वह भूमि उन लोगों को बेच दी जाए जो गन्दी बस्तियों में रहते हैं तो किसी हद तक इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह समस्या मद्रास, कलकत्ता अथवा बम्बई में ही नहीं, अन्य स्थानों में भी फैल रही है। चूंकि लोगों को झोंपड़ी डालने के लिये स्थान नहीं मिलता, वे नदी अथवा तालाबों के किनारे और बंजर भूमि में बस जाते हैं। यदि इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही नहीं की जायगी तो बाद में इन स्थानों से उन लोगों को हटाना कठिन हो जायेगा अतः उनको हटाकर दूसरे स्थानों में बसाने के लिये भूमि की आवश्यकता होगी। यह समस्या ग्रामों में भी है। सरकार को चाहिय कि भूमि अर्जित करके उसका विकास करे चाहे 500 से 1000 करोड रुपये तक व्यय क्यों न आ जाये। इस कार्य को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा संभाला जाना चाहिय क्योंकि यदि उन लोगों को रहने के लिये अच्छ मकान नहीं मिलेंगे तो वे स्वस्थ जीवन व्यतीत नहीं कर पायेंगे। सरकार न गन्दी बस्तियों को साफ किये जाने के महत्व को अब किसी हद तक स्वीकार कर लिया है।

अभी तक 75 प्रतिशत सहायता दी जाती थी परन्तु अब बढ़ाकर $87\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी गई है। राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों को केवल $12\frac{1}{2}$ प्रति शत भार सहन करना पड़ेगा। राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों को इसका लाभ उठाना चाहिय। भूमि अर्जित करने में विलम्ब नहीं होना चाहिये।

[श्री सुब्बारामन]

ग्रामों में मकानों की समस्या की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे मकानों की व्यवस्था नहीं की गई तो वहां से लोग नगरों तथा कस्बों में आखिर बसने लगेंगे।

देहातों में मिलने वाली सामग्री का वहां पर मकान निर्माण के कार्य में प्रयोग किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में अनुसंधान किया जाना चाहिये ताकि देहातों में मिलने वाली सामग्री का वहां पर प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया जा सके। ईंटें बनाने तथा लकड़ी को उपचारित करने के तरीको में सुधार किया जा सकता है ताकि लकड़ी अधिक समय तक बनी रहे। ग्रामीण कारीगरों को प्रशिक्षण देने से नगरों से कारीगरों को नहीं लाना पड़ेगा।

मुझे रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि हिन्दुस्तान हाउसिंग फक्टरी ने पूर्व-विरचित पैनल पद्दती के अनुसार काफी संख्या में मकान निर्माण किये हैं। माननीय मंत्री को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिस से सदस्य इन मकानों को देख सकें और अपने निर्वाचन क्षत्र में लोगों को इस प्रकार से मकान बनाने की सलाह दे सकें। सामग्री महंगी होने के कारण मकान बनाने की लागत भी बढ़ गई है। यदि दर्वाजों तथा खिडकियों की चौकटें सरदल तथा दीवारों और फर्षों के लिये पटियां आदि का निर्माण करने के लिये प्रत्येक राज्य में हिन्दुस्तान हाउसिंग फक्टरी जसे कारखाने स्थापित किये जायें तो इससे किसी हद तक मकान बनाने की लागत कम की जा सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ पुस्तिकायें प्रकाशित की गई हैं। भवन-निर्माण के बारे में कुछ 'साहित्य उपलब्ध किया जाना चाहिये जिस से कि जन साधारण भी सरकार के अनुभव से लाभ उठा सकें।

राष्ट्रीय भवन-निर्माण निगम को, जो सभी सरकारी भवनों का निर्माण करता है, आरम्भ के वर्षों में 9 प्रतिशत की हानि होती रही है और अब 6 प्रतिशत की हानि हो रही है। इस मामले की तुरन्त जांच की जानी चाहिये। हानि के स्थान में लाभ होना चाहिये। भविष्य में हमारा निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम बहुत विस्तृत होगा। चौथी योजना के अन्तर्गत 22,000 करोड़ रुपये की लागत में से 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पर व्यय किया जायेगा। अतः यदि अधिक नहीं 5 से 10 प्रतिशत की बचत ही सरकार कर सके तो काफी लाभ होगा।

लगभग प्रत्येक सरकारी भवन में, विशेषकर शिक्षा सम्बन्धी भवन में एक सभाभवन (आडिटोरियम) बनाने की प्रथा हो गई है। हर भवन में एक 'आडिटोरियम' बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका मास में एक बार ही प्रयोग होता है, इस के विकल्प में कोई अस्थायी व्यवस्था की जा सकती है अथवा दो या तीन संस्थाओं के बीच एक आडीटोरियम बनाया जा सकता है।

सरकार को चाहिये कि वह गैर-सरकारी उद्यमों को आवास कार्य में अधिक धन लगाने का प्रोत्साहन दे। सरकार भी काफी धन लगा रही है परन्तु वह पर्याप्त नहीं है। लोगों की इच्छा है कि वे अपने मकान बनायें। इसके लिये यदि उचित मूल्य पर निर्माण स्थली उपलब्ध कराई जाये तो अधिक लोग मकान बनायेंगे।

औद्योगिक आवास के लिये सरकार सहायता तथा ऋण दे रही है परन्तु भूमि का मूल्य बढ़ जाने के कारण, उचित मूल्य पर भूमि नहीं मिल रही है। अतः औद्योगिक आवास के लिये भूमि खरीदने के लिये भी ऋण दिया जाना चाहिये।

विठ्ठल भाई हाउस मुख्यतया संसद सदस्यों के लिये बनाया गया था परन्तु उस भवन के 1/5 भाग में भी संसद सदस्य नहीं रह रहे ह । माननीय मंत्री कृपया सदस्यों के फ्लेटों की हालत पर भी ध्यान दें ।

दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां स्थापित करने से पूर्व मूर्तियों के चुनाव के बारे में सभी राज्यों के नेताओं तथा मंत्रिमन्डलीय स्तर के मंत्रियों से बात चीत की जानी चाहिये ।

अशोक होटल काफी लाभ कमा रहा है परन्तु होटल जनपथ को कम लाभ हो रहा है हालांकि अशोक होटल काफी महंगा है । रंजीत तथा लोदी होटलों के कार्य के बारे में प्रतिवेदन में कुछ नहीं कहा गया है । सरकार को चाहिये कि अभी और होटल न बनाये ।

Shri Gulshan (Bhatinda) : Large multistoreyed buildings have been constructed in public and private sectors in Delhi, Calcutta and Bombay. This speaks of the prosperity of the country. Government has been counstructing big hotels at an enormous expenditure but the income from these hotels has not been commensurate with the money invested. The number of persons who hired rooms in the Ashoka Hotel was 402 persons in 1963-64; 403 persons in 1964-65 and 350 persons in 1965-66. This is not satisfactory becuase the income is not in keeping with the cost of building and running such a big hotel.

While Government has been spending huge amounts of money on construction of big hotels and hostels, each family of shanty dwellers has been allotted only 25 square yards of land. It is a shameful proposition to build structures on 25 square yards of land for people cannot be expected to live a family life and maintain privacy in structures. The land acquired for big buildings should be allotted to shanty dwellers. Each shanty dwellers should be given at least a 100 square yards of land. Government should give more attention to the shanty-dwellers. I have seen that Government inspectors and other employees threaten these poor people that their shanties would be demolished. Those who grease the palms of these inspectors are spared but others have to suffer at their hands as their shanties are demolished.

Government had prepared a scheme for slum-clearance in 1965 but the progress has been very unsatisfactory. So far sanction has been given for construction of 93,227 houses at a cost of rupees 3511·17. Greater attention should be paid to the necessity of the large number of poor people.

Government has told that there is a scheme for granting loans to the low-income groups and middle class people, but when these poor people approach the authorities for loans, they have to face a number of difficulties. The officials demand money from these people. The whole procedure for granting loan for house-building is very complex and should be simplified. All corrupt practices should be stamped out. Government should pay house-tax etc. during the period the constructed house remains mortgaged with the Government.

Provision has been made for construction of houses or plantation workers. Something should be done for the agricultural worker also.

The allotment of houses to Government officials in Delhi is not being done on a sound basis. Frequently, those who are not on the list get a house out of turn. Scheduled Castes employees are being neglected in the matter of as allotment of houses. I, therefore, want that justice should not be overlooked in the matter of allotment of accommodation to Government employees.

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में निम्न आय वर्ग के लोगों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आवास योजनाओं को क्रियान्वित किये जाने की गति बढ़ाये जाने के लिये चिन्ता व्यक्त की है। हम भी उतने ही चिन्तित हैं। मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि भारत में आवास की समस्या कितनी बड़ी है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

भोजन के बाद मनुष्य को मकान की आवश्यकता होती है। अतः आवास की समस्या बड़ी महत्वपूर्ण है।

आज भारत के सामने आवास की बड़ी समस्या है। जनसंख्या में वृद्धि तथा नगरों के विस्तार के कारण आवास सम्बन्धी समस्या और भी जटिल हो गई है। 1901 में जनसंख्या 23.8 करोड़ थी, 1951 में 36.1 करोड थी और 1961 में 43.9 करोड़ थी। 1961 में 6.6 करोड़ मकानों की कमी थी। तीसरी योजना में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्रों में 42 लाख मकानों की व्यवस्था की गई थी। इन दौरान परिवारों की संख्या में 1 करोड़ 5 लाख की वृद्धि हुई है। अतः 63 लाख मकानों की और अधिक कमी हो गई। अप्रैल 1966 में करीब 7 करोड़ 41 लाख मकानों की कमी हो जायेगी क्योंकि टूट-फूट के कारण अनेक मकान रहने योग्य नहीं रहेंगे। इसमें नगरीय क्षेत्रों में 1.14 करोड़ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 6.27 करोड़ मकान होंगे।

इसके अतिरिक्त अत्याधिक भीड़-भाड़ तथा गन्दी बस्तियों की समस्या है जो विशेषतया बड़े नगरों में और भी जटिल है। भारत में 76.5 प्रतिशत मकान एक से दो कमरों के हैं जब कि कनेडा में कुल मकानों के 4.6 प्रतिशत एक से दो कमरे के हैं; अमरीका में 6.40 प्रतिशत; नीदरलैंड में 5.4 प्रतिशत, नारवे में 13 प्रतिशत; ब्रिटेन तथा वेल्स में 4.1 प्रतिशत; आस्ट्रेलिया में 4.5 प्रतिशत और न्यूज़ीलेंड में 5.1 प्रतिशत है। एशिया के कई देशों में भी भारत की तुलना में हालत अच्छी है। लंका, कोरिया तथा मलेशिया में एक से दो कमरों के मकान कुल मकानों के क्रमशः 68.7 प्रतिशत, 66.7 प्रतिशत तथा 64.5 प्रतिशत है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में नये भवनों के निर्माण की काफ़ी गुंजाइश है। 1952-1961 के दौरान देश में पक्के मकानों के निर्माण की दर प्रति 1,000 व्यक्ति के लिये 0.95 मकान के हिसाब से रही है। अन्य देशों में स्थिति अच्छी है। संयुक्त राष्ट्र ने विकसित देशों में आवास की समस्या के सम्बन्ध में कुछ सिफ़ारिशें की हैं और कहा है कि अगले 25 वर्षों में प्रति वर्ष प्रति 1,000 लोगों के लिये 10 अथवा अधिक निवास-स्थानों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

दुर्भाग्यवश कृषि, सिंचाई तथा प्रतिरक्षा सम्बन्धी गंभीर आवश्यकताओं के कारण आवास में विनियोजन इतना नहीं हुआ है जितना कि समस्या की गंभीरता को देखते हुये होना चाहिये था। पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान आवास में उत्तरोत्तर कम विनियोजन करने की प्रवृत्ति रही है।

समस्या इतनी गंभीर है, फिर भी मंत्रालय ने अपने सीमित संसाधनों से ही बहुत अच्छा कार्य करने की कोशिश की है। परन्तु जनसंख्या बढ जाने के कारण अपेक्षित मकानों की संख्या तथा उपलब्ध मकानों की संख्या में अन्तर बढ़ना जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र में आवास की दो श्रेणियां ह। एक तो सरकारी अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के लिये मकानों की व्यवस्था करना और दूसरे सामाजिक गृह-निर्माण का कार्यक्रम जो

जनता के विशेष अथवा सामान्य वर्ग के लिये हो। कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के कार्य केन्द्रीय मंत्रालय तथा राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

निम्न आय वर्गों के लिये आवास सम्बन्धी निर्माण योजनाओं की व्यवस्था आवास तथा नगरीय निवास मंत्रालय का आवास विभाग करता है। ये योजनायें निम्न हैं :

(एक) औद्योगिक मजदूरों के लिये उपदान-प्राप्त आवास योजना ;

(दो) निम्न आय वर्ग के लिये आवास योजना (जिसमें गरीब वर्गों के लिये उपदान-प्राप्त किराये की आवास योजना भी शामिल है) ;

(तीन) गन्दी बस्ती को साफ करने/सुधार करने की योजना ;

(चार) ग्रामीण क्षेत्रों में आवास परियोजना की योजना ;

(पांच) बागान के मजदूरों के लिये गृह-निर्माण की योजना ;

(छः) मध्यम आय वर्ग के लिये आवास योजना ; तथा

(सात) राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिये किराये पर दिये जाने वाले मकानों के निर्माण की योजना।

उन में से पहली चार योजनाओं के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा सहायता की व्यवस्था की जाती है। इस मंत्रालय द्वारा चालू की गई आवास योजनाओं में दो साधनों द्वारा धन लगाया जा सकता है अर्थात् सरकारी कोष तथा जीवन बीमा निगम द्वारा दिये गये ऋणों से लगाया जाता है। उक्त योजनाओं के लिये पहली योजना में वित्तीय परिव्यय 38.5 करोड रुपये, दूसरी योजना में 101.1 करोड़ रुपये तथा तीसरी योजना में 182 करोड़ रुपये किया गया था। चौथी योजना में सामाजिक गृह-निर्माण कार्य के लिये अस्थाई रूप में 490 करोड़ रुपय नियत किए गए हैं (सरकारी कोष से 207 करोड़ रुपये तथा जीवन बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधियों से 283 करोड़ रुपये)।

दुर्भाग्यवश चीन और पाकिस्तान द्वारा 1962 तथा 1965 में क्रमशः युद्ध के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में आवास सम्बन्धी लक्ष्य प्राप्त नही किये जा सके। तृतीय योजना के अन्त तक लगभग 4,46,000 मकानों के बन जाने की आशा है जबकि लक्ष्य 7,63,000 मकानों के निर्माण किये जाने का है।

आवास की समस्या भूमि की समस्या से सम्बन्धित है। नगरीय भूमि की बहुत मांग है। भूमि का मूल्य भी असाधारण रूप से बढ़ गया है। नगरीय भूमि की बचत करने के लिये बड़े नगरों में दो तल अथवा बहुतल वाले भवनों के निर्माण पर अधिक बल दिया जा रहा है। भारत सरकार ने भूमि अर्जन तथा विकास की एक योजना बनाई है जिसके अनुसार राज्य सरकारों को बड़े और विकासशील नगरों में भूमि के अर्जन और विकास के लिये अल्पकालिक ऋण की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकारों ने भी निम्न 5 सिद्धान्तों के आधार पर भूमि के सम्बन्ध में योजना बनाई है :—(एक) भूमि का सार्वजनिक अधिग्रहण करके तथा भूमि के मूल्य को बांधने के लिये अधिसूचना जारी करने आदि के दूसरे उचित उपायों द्वारा नगरीय भूमि के मूल्य पर नियंत्रण करना ; (दो) पट्टे के आधार पर भूमि का आवंटन करना ताकि भूमि के मालिकों की अनर्जित आय में समाज का भाग हो सके ; (तीन) नगरीय क्षेत्रों में पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के हस्तान्तरण पर पूंजी कर लगाया जाना ताकि भूमि के मूल्य में सट्टेबाजी न हो ; (चार) विकसित नगरीय प्लाटों पर कर लगाया जाना और यदि निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य न हो तो उसे अधिग्रहण करने की शक्ति ; (पांच) नगरीय क्षेत्रों में मकानों के लिये प्लाट का अधिकतम क्षेत्र निर्धारित करना।

राज्य सरकारों ने निम्न आय वर्ग के लोगों के आवास के लिये सार्वजनिक प्रयोजन के रूप में भूमि अर्जन के लिये उपयुक्त विधियां बनाई हैं।

[श्री भगवती]

जैसा कि पहले कहा गया है आवास के क्षेत्र में कम प्रगति संकट की स्थिति के कारण तथा राज्य सरकारों द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता न देने के कारण हुई है। इस पृष्ठभूमि में मैं माननीय सदस्यों द्वारा कुछ मसलों के उठाये जाने के बारे में कुछ कहूंगा।

कहा गया है कि आवास के लिये आवंटित राशि का व्यय नहीं किया गया है। जहां तक केन्द्रीय सरकार तथा इस मंत्रालय का सम्बन्ध है, हम सारी राशि व्यय कर सकते थे। संघ राज्य क्षेत्रों ने पूरी राशि व्यय की है। केवल राज्यों की सरकारें ही योजना में निश्चित लक्ष्य पूरे नहीं कर सकी है। उन्होंने आवास के लिये राशि सिंचाई जैसे अन्य प्रयोजनों में लगाई है।

मैं श्री यलमंदा रेड्डी से सहमत हूं कि ग्रामों में मकान बनाने की योजना में कार्य की प्रगति बढ़ाई जाये। देहातों में मकान बनाने के बारे में हमारी योजना की मूल धारणा यह है कि ग्रामवासियों को सहायता दे कर उनको स्वयं गृह-निर्माण करने को प्रोत्साहन दिया जाए, देहातों में मकान बनाने सम्बन्धी कार्यक्रम को देहाती क्षेत्रों के आर्थिक विकास के साथ एकीकरण किया जाना चाहिये। तृतीय योजना में 5,000 चुने हुए ग्रामों पर भी यह योजना लागू कर दी गई है। इनमें से 24,000 ग्रामों में यह योजना कार्यान्वित कर दी गई है।

लगभग 58,000 मकानों को बनाने के बारे में मंजूरी दे दी गई है और इन में से 28,000 मकान बनकर तैयार हो गये है। देहाती क्षेत्रों में मकानों की समस्या को देखते हुए यह प्रगति संतोषजनक नहीं है। हम राज्य सरकारों से अनुरोध कर रहे है कि इस योजना पर अधिक ध्यान दिया जाये। पिछले तीन वर्षों में हमने योजना के उपबन्धों को उदार कर दिया है। चौथी योजना में इस काम के लिये 15 करोड रूपये रखने का विचार है। इस बारे में इस में वृद्धि की जा सकती है। यदि योजना आयोग और वित्त मंत्रालय मंजूरी दे दें।

गन्दी बस्तियों को हटाने के काम में ठीक प्रकार से प्रगति नहीं हुई है। इस में मुख्य कठिनाई वहां के लोगों के पुनर्वास के लिये भूमि अर्जित करना है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे केन्द्रीय अधिनियम की भांति एक कानून बनाये और इस बारे में आगे कार्य करें। उनसे यह भी कहा गया है कि स्थानीय निकायों को इस ओर अधिक ध्यान देने को कहें। केन्द्रीय सरकार से भी हाल ही में निर्णय किया है कि राज्यों को गन्दी बस्तियां हटाने के काम के लिये अधिक वित्तीय सहायता दी जाये। हमें आशा है कि चौथी योजना में इस काम में काफ़ी प्रगति होगी।

यह सुझाव दिया गया है कि बागानों के मालिकों को अपने कर्मचारियों के लिये आवास व्यवस्था करनी चाहिये। इस बारे में पहले ही विधान बना हुआ है। उसके अन्तर्गत मालिकों को अपने श्रमिकों के लिये आवास की व्यवस्था करनी होती है। 1956 में केन्द्रीय सरकार ने भी श्रमिकों के आवास के लिये बागान मालिकों को वित्तीय सहायता देने की योजना बनायी थी। परन्तु फिर भी इस बारे में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। इस लिये यह निर्णय किया गया है कि अप्रैल 1966 से श्रमिक आवास योजना को और उदार कर दिया कर जाये। अब सरकार 75 प्रतिशत का व्यय उठाये गी। इसमें 50 प्रतिशत ऋण के रूप में और 25 प्रतिशत सहायता के रूप में होगा।

आवास निर्माण के लिये बीमा निगम तथा सरकारी धन से ऋण दिया जाता है। इस पर ब्याज दर वर्तमान बैंक दर से सम्बन्धित रहता है। मकानों के लिये भूमि तथा अपेक्षित सामग्री उपलब्ध होनी मुख्य बातें है। इस बारे में सरकार प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रयत्न कर रही है। राज्य सरकारों को भूमि अर्जन के लिये धन दिया जा रहा है और ऋण की आसान किस्तों में अदायगी की व्यवस्था की जा रही है।

आवास निर्माण पर लागत को कम करने के लिये अनुसंधान के काम को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नेशनल बिल्डींग आर्गेनाइज़ेशन इस बारे में समन्वय कार्य कर रही है। इस बारे में पोलैंड की सहायता से फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही हैं। योजना आयोग को आवास कार्यों के लिये अधिक धन मंजूर करना चाहिये।

Shri Onkarlal Berwa (Kotah) : There is nothing new in this year's report of this Ministry. The reports of the last three or four years are more or less the same. There has not been any significant progress during this period.

Most of the Jhuggi dwellers have not allotted any plots and those who have been given are not happy because they have given plots on isolated sites. Their places of work are at a very for off places.

There has not been any improvement in the matter of quarters for Government employees in the capital. There are about 61,000 Government employees still without accommodation. If you are not able to provide them accommodation at least you try to check the rising rents.

The quarters allotted to class IV staff are not worth living in. They have only one room which is inadequate. There should be at least two rooms in each quarter. The engineers of C.P.W.D. who have completed 8 to 10 years of service should be confirmed. It is a sad state of affairs that they are still temporary.

It is not good that higher officers are allotted accommodation near offices while staff belonging to lower cadre are allotted accommodation at far off distant. Government should construct more houses for low-income group. This category was more in need of help. The high officers could afford to pay higher rents.

It is a pity that girls living in Working Girl's Hostel had to resort to agitation. They should not be compelled to pay the arrears of the rest of last two years all at once. It would be a great burden. Originally a new hostel was planned for them but it has been converted into Ranjit Hotel. These girls should be provided all facilities.

The charges of Government Hotels were very high. Middle class people could not afford to pay these charges. It is a matter of shame that a number of people died of cold in Delhi in night shelters, provided by the Government. Government should provide better facilities to the poor people. Many commercial markets have been built in colonies of Delhi. It is surprising that the occupants of shops have not been given the ownership right. Apart from that in some colonies quarters and shops are lying vacant for years together. They have not been allotted. Government should arrange for water and electric connections there and allot those shops etc. immediately and earn profit. The foodstuff provided in M.P. canteen is bad in quality.

In so many incidents of Government buildings the system of contract is there. This system is largely responsible for corruption when such cases of corruption are brought to the notice of the officers concerned, they did not take any action, on the contrary they made efforts to hush up the matter. The M.P.'s flats are also not properly looked after. There are about 5 thousand workers in Rajasthan who are living in huts, Government should do something for them. They are living in Dharamsalas.

Shri D. S. Patil (Yeotmal) : I should not speak on the working of this Ministry, I should dwell move on the policy. In the report about it has been stated that the Ministry have prepared certain social accommodation schemes for the lower income groups. But it is very strange to note that the definition of such groups has brought under its purview these classes whose annual income is less than Rs. 6,000 per year. This only means that the bulk of the masses who are really poor and deserves this sort of help are not touched. We talk of socialism and of socialistic pattern of society. But I can say that the programme of the Ministry as it is, is far from being a socialistic programme. We must know that our masses are people who are very poor and cannot afford to same anything out of their earnings. Their income is very low. Government should pay proper attention to the population of the rural areas. The Jhuggi-Jhoupries schemes should also be extended to the villages as people there also live in shanties.

Scheme have been formulated for the housing of various categories of workers and something is being done in this direction. But I am very sorry to state that nothing has been done for these unfortunate agricultural workers. Unfortunately these people belong to the scheduled castes. They are being totally ignored. This is also very sad that decisions taken at the Housing Ministers conference have also adversely effected the village housing scheme. The result has been that the village housing funds have been diverted to the drainage improvement. I want to urge upon the Govt. that the scheme for Rural Housing should be properly implemented.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Whatever has been done by this Ministry is really unparalleled in the History. Shri Khanna has really done a huge task of rehabilitation of crores of people. I hope he will be able to solve the problems of the refugees. But I want to draw his attention to this fact that the housing problem in the rural areas is very serious and acute. Government should attend to this aspect of this problem and should ensure that a part of funds allocated for Housing should also be spent for building houses in the rural areas. I would also like to urge that efforts should be made to provide residential accommodation for Government employees. There are 70,000 people who are living in inhuman conditions.

Let me also draw the attention of the Government towards this fact that people in Jhuggies and Jhorpries are living in a very bad plight. The steps should be taken to rehabilitate the people living here. More I may state that proper attention is not paid to the M.P. quarters. These M.P. quarters are small in size and the accommodation is very small. Sometimes M.Ps. received number of guests and it is not possible to give them proper facilities. I would request the Minister that he should kindly consider to give more commodious accommodation to the members of the Parliament. Proper arrangement of milk and water should also be done for the M.P.

श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) : मैं मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। मांगों का समर्थन करते हुए आवास समस्या के सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। का हमारी नीति यह है कि शहरों को बढाया जाय। जैसे की हम देख रहे हैं कि दिल्ली लगातार बढ रही है। दिल्ली की जन संख्या इतनी बढ गयी है कि स्थान की कमी के कारण हमें अपने कुछ सरकारी दफ्तरों को दिल्ली से बाहर ग्वालियर जैसे स्थानों पर भेज देना चाहिए। ऐसा करके हम दिल्ली की भीड़ भाड़ को कम कर सकने में समर्थ्य हो सकेंगे।

दिल्ली के अतिरिक्त बम्बई और कलकत्ता में भी जन संख्या बडी तेजी से बढ रही है। वहां से भी कुछ दफ्तरों को अन्य स्थानों पर भेज दिया जाना चाहिए। जिससे वहां पर भी बढ़ती हुई जन संख्या का बोझ कुछ कम किया जा सके।

दिल्ली में जिन विदेशियों की मूर्तियां अभी तक लगी हुई हैं उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। इन मूर्तियों को संग्रहालयों में रखा जाना चाहिए। उनके स्थान पर राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां स्थापित की जानी चाहिए।

दिल्ली में आवास की बहुत कमी है केवल एक हिन्दुस्थान हाउसिंग फैक्टरी अच्छा कार्य कर रही है। पूर्व-निर्मित मकानों से मकानों की कमी को कम किया जा सकता है। जहां तक सम्भव हो हमें इस कारखाने का विस्तार करना चाहिए। राज्य सरकारों को भी किसी प्रकार के कारखाने बनाने के बारे में विचार करना चाहिए। प्रिंटिंग विभाग और स्टेशनरी विभाग में काफी गड़बड़ी चल रही है। उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है और हमें उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। दिल्ली में हम व्यापारिक आधार पर तीन होटल चला रहे हैं। ये होटल अच्छा लाभ दे रहे हैं। जब हम दिल्ली में स्वयं ही लाभ पर होटल चला रहे हैं तो पर्यटक होटल चलाने के लिए हमें हिल्टन एण्ड कम्पनी या किसी दूसरी कम्पनी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न पर्यटक केन्द्रों में इनको सरकार द्वारा ही चलाया जाना चाहिए।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : यह काम मैं नहीं कर रहा, यह तो परिवहन मंत्रालय का काम है।

श्री मा० ल० जाधव : मेरे विचार में ऐसे काम सरकार द्वारा किये जाने चाहिए और जिन पर्यटक कोठियों अथवा इमारतों को केन्द्रीय सरकार अच्छी प्रकार अपने प्रबन्ध में नहीं ले सकती, उन्हें सम्बन्ध राज्य सरकार को दे देना चाहिए।

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): People used to dream that after the inpendence their lot will improve. They will get at least good houses to live. But in actual practice the principle of socialism has no existence. Certain individuals are making huge profits in the business of land. I would like to urge upon the Minister that there should be change in the policy of the Government. The policy should be that all the land which is meant for housing should be amended by the government and that should be distributed according to a certain policy.

The Government should pay attention to the housing in the rural areas, as has been stated by the previous speakers. Priority should be given to the houses for poor people there. Adequate money should be given to the people for construction of houses. For this purpose small amounts will not help. Funds meant for this purpose should not be used for other purposes. Government should give priority to the poor people in the matter of construction of Houses in the cities also. We find today that everywhere the poor are being badly ignored.

I also urge that the steps should be taken to solve the problems of jhuggies and jhouparies. There is a great scope for improvement in the Directorate of Estates. The unnecessary delays should remedied. The engineers who are officiating as executive engineers have been reverted to the post of assistant engineers. They have not been confirmed in spite of the fact that they have put in 6 to 12 years of service. I would like to urge that their cases should be sympathetically considered.

I may also state that the decentralisation of the stationery department will create a great difficulty for 1341 people. My submission is that a committee should

[Shri Kashi Ram Gupta]

be appointed to go into the matter of decentralisation and the decision should be taken in the light of the findings of the committee.

We should also pay attention to the demand of the engineers working in the area bordering Nepal. They want to shift their headquarters from Ranchi. Accommodation in the M.P. quarters should be provided for the stay of their guests. Some provision for servants should also be there. This is a very important matter and proper attention should be paid to this side.

Shri Balmiki (Khurja) : I support the demands of Ministry of Works, Housing and Urban Development. We have full faith in the policies of the Ministry. But for some times we are feeling that something is lacking. The problem of housing of the people at large have not been solved. Everywhere there is great disappointment in this direction. I feel that proper attention have not been paid to this problem. It is a matter of great regret that there is the concentration of land and property in the hands of the few. This is altogether against the policy of socialism which we are advocating.

Let me urge that there should be more funds for the purpose of housing. I feel that if the problem of housing is not solved, there is going to be a great want of discontentment amongst the people. It will be good and profitable if we decide to give barren land to the members of the scheduled castes. Scavengers were facing great hardships in setting houses. Their housing problem should be looked into. These people have gone out of work due to the demolition of certain hostels. They should be provided with suitable jobs.

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग चाहे वह केन्द्र का हो अथवा राज्यों का भ्रष्टाचार के लिये कुख्यात है। मंत्री महोदय को अपने इस विभाग से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहिये।

हाल ही में नार्थ एवेन्यू में कुछ फ्लैट बनाये गये हैं। उन की दशा बहुत ही असंतोषजनक है। कांग्रेस के संसद सदस्यों ने हो जो उन फ्लैटों में रह रहे है, मुझे बताया है कि दीवारों में दरारें पड़ गई हैं और बाथ रूम से पानी बैडरूम में आ जाता है। मोजायक फ्लोरिंग की दशा बहुत खराब है। यदि संसद सदस्यों के लिये बनाये गये मकानों की यह दशा है तो अन्य मकानों की जो यहां से दूर बनाये गये है, क्या दशा होगी, इस का अनुमान लगाना बहुत सरल है। इस मामले की जांच की जानी चाहिये और सम्बन्धित अधिकारी को, यदि उसने अपना कर्तव्य उचित रूप से नही निभाया है, सजा दी जानी चाहिये।

आपातकाल के नाम पर संसद सदस्यों के फ्लैटों पर सफेदी बन्द कर दी गई है। आपात काल के नाम पर इन मामूली कार्यों को समाप्त किया जा रहा है, जब कि उन का मंत्रालय लाखों रुपये अनावश्यक चीजों पर बर्बाद कर रहा है। यदि मितव्ययता करनी ही है, तो उन मामलों में नहीं की जानी चाहिये जिस का लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े।

मैं सभा का ध्यान वर्किंग गर्ल्स होस्टल की दयनीय स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। कल और आज के समाचार पत्रों में छपा है कि उस भवन की हालत जिस में वर्किंग गर्ल्स रहती हैं, बहुत खराब है। उस भवन को गिराने तथा उस के स्थान पर वर्किंग गर्ल्स के लिये एक नया भवन बनाने का प्रस्ताव था। परन्तु वर्किंग गर्ल्स के लिये निर्मित नये भवन को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। कर्जन रोड पर स्थित वर्किंग गर्ल्स होस्टल की वर्तमान दशा बहुत खतरनाक है। मंत्री महोदय को भवन तथा उस में रहने वालों की दशा की ओर ध्यान देना चाहिये।

केरल में कोरट्टी के स्थान पर 'फार्म प्रिंटिंग प्रेस' स्थापित करने का निर्णय किया गया था। इस के भवनों तथा अन्य चीजों के लिये बहुत बड़ी मात्रा में धन लगाया गया है, परन्तु यह दुःख की बात है कि मशीनों को प्राप्त करने के लिये अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गये। केरल में बेरोजगारी बहुत अधिक है और इस प्रेस के चालू हो जाने पर 600 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस प्रेस के लिये अपेक्षित मशीनें प्राप्त करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये जिस से प्रेस में शीघ्र ही पूरा उत्पादन आरम्भ हो सके और लगभग 600 व्यक्तियों को रोजगार मिल सके।

मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में पृष्ठ 41 पर बहुतसी आवास योजनाओं जैसे—राजसहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना, निम्न आय वर्ग आवास योजना, मध्यम आय वर्ग आवास योजना तथा भूमि अर्जन तथा विकास योजना आदि की सूची दी गई है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि विभिन्न आवास योजनाओं को शीघ्रता से क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। आवास योजनाओं के लिये राज्यों को और विशेषतया केरल राज्य को अधिक धन दिया जाना चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इन योजनाओं को राज्य क्रियान्वित करे और इस धन का उपयोग अन्य प्रयोजनों के लिये न किया जाय।

यह हर्ष की बात है कि विभिन्न आवास योजनाओं के अन्तर्गत सैनिकों के लिये प्लाट आदि सुरक्षित करने का उपबन्ध किया गया है। मेरा सुझाव है कि राज्य आवास बोर्डों में सैनिक, नाविक तथा वैमानिक बोर्ड का एक सदस्य शामिल किया जाना चाहिये जिस से यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवास योजनाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों के लिये किये गये उपबन्धों को क्रियान्वित किया जाता है।

Shri Chuni Lal (Ambala) : This Ministry has done appreciable service during emergency and whatever task has been entrusted to it has been done with full efficiency.

This Ministry has done a very good thing by constructing many office buildings at Ramakrishnapuram. This has been welcomed by all Government servants. Generally subordinate Government servants are allotted quarters far away from offices and much of their time is wasted in coming to offices and going to their residences. By constructing offices near their quarters they have been saved from lot of inconveniences. They are all grateful to the hon. Minister and the Ministry for this good work.

The Ministry has got constructed many buildings. A building for housing for M. Ps.' Club has been constructed and now they are going to construct a swimming pool. But there is shortage of accommodation for M. Ps. guests. It would be better if proper arrangements are made for M. Ps. guests.

I would like to draw the attention of the hon. Minister that the Delhi Development Authority had acquired land at a very cheap rate say at the rate of Rs. 3.00 per square yard, but they are selling it at the rate of Rs. 80 to 90 per square yard. The result is that the low income group and the middle income group of people are unable to purchase land. The Delhi Development Authority is selling land by lottery system also, but mostly they are selling it by auction, because they know that by selling it by auction they will get higher prices. The rate of land by lottery is Rs. 40.00 per square yard, while by selling it by auction they are getting Rs. 80 to 90 per square yard. This is a clear example of profiteering. This should not be done. Land should be allotted to those who do not own any house at cheap rates.

[Shri Chuni Lal]

The Delhi Development Authority had allotted land to Cooperative Societies. There are nearly three hundred Housing Co-operative Societies, out of which land has been allotted to nearby two hundred societies. It should be enquired and ensured that the Cooperative Societies to whom land has been allotted consist of those persons who do not own any house. There is every likelihood that those persons who are already houseowner may form a Co-operative Society in order to get land. There may also be such persons who might have been favoured by allotting land by the official of D.D.A. or the Ministry, because they may happen to be their relatives and friends and the societies might have been formed for getting this favour. So these things should be thoroughly gone into and land should be allotted to the members of those societies only who do not own any house.

I would like to suggest that the sale of land by auction should be stopped forthwith and land should be given only to the low income group and middle income group people at reasonable rates.

A number of houses have been constructed for Government servants. But there is still acute shortage of houses for Government servants. There are a large number of employees to whom houses have not been allotted. We require one lakh more houses to provide accommodation to every Government servants. The hon. Minister has stated that it would not be possible to construct more houses due to paucity of funds. Accommodation is of paramount importance just like food. So I suggest that more funds should be made available for construction of houses for Government servants.

Land has been given at many places, but not even one colony has been constructed by now. I would like to know the reasons for it. Moreover though residential plots have been sold either by lottery or by draw, the plots for shops have not so far been sold either by lottery or by drawn. I think the reason behind it is that the D.D.A. is of the opinion that after the construction of colonies they would be able to sell the plots for the construction of market at the rate of Rs. 200 to 300 per square yard. If that is done then only the rich would be able to get shops. So I suggest that these market plots should be sold by draws to those shopkeepers only who are running their shops in huts.

Regarding slum clearance I would like to suggest that those who are affected by the slum clearance should not be given accommodation far away from the city. Because they are generally poor people and their means of livelihood are available in the city only. When they go at a place far away from the city, they have no means of livelihood. Government should construct multi-storeyed buildings at the places from where slums had been cleared and those persons should be given accommodation there at cheap rent.

Many hon. Members have stated that no progress has been made in the matter of village housing scheme. I have no doubt that this scheme can be implemented if proper funds are made available for this purpose. The hon. Minister has got a wide experience and is quite competent to implement the scheme. He has done remarkable work in Rehabilitation Ministry. Moreover he has got a soft corner for the Harijans. During the past also he has taken such steps by which Harijans have been benefited. In the present circumstances I suggest that in case it is not possible for Government to provide necessary funds to Harijans for construction of houses, they should be allotted the plots of land so that they may construct their own Kachhaya houses.

The Government servants should not be allotted residences in next below class, because by this system the higher officers get accommodation in the next below class, whereas the lower class employees entitled for allotment in that class are deprived of their allotment.

Government accommodation should not be given to those employees who own their own houses.

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने चर्चा में भाग ले कर उपयोगी सुझाव दिये हैं, जिन से हमें लाभ होगा। मैं प्रत्येक सुझाव कि जांच करूंगा, उस पर कार्यवाही करूंगा तथा उसके बारे में सरकार द्वारा किये गये निर्णय से सम्बन्धित सदस्य को सूचित करूंगा। कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी यही प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

जो सुझाव दिये गये हैं अथवा जो आलोचना की गई है वह मुख्यत: सामाजिक आवास योजना, मंत्रालय के निर्माण कार्यक्रम, जिनमें सरकारी कर्मचारियों तथा निम्न श्रेणी के लोगों के लिये मकानों के निर्माण का विशेष उल्लेख है, और दिल्ली विकास प्राधिकार के कार्यकारण के बारे में हैं। दिल्ली विकास अधिकार पर आरोप लगाया गया है कि यह बहुत अधिक मुनाफा कमा रहा है।

जहां तक सामाजिक आवास योजना का संबंध है, मेरे सहयोगी ने इस का सविस्तर उल्लेख किया है तथा उन्होने बताया है कि यह कार्यक्रम किस प्रकार चल रहा है। हमने निस्संकोच यह स्वीकार किया है कि इस दशा में संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है और निर्माण तथा आवास मंत्रालय के लिये अधिक धन राशि नियत करने की बजाय आयव्ययक में धन राशि की कटौती की गई है। मंत्रालय की वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 45 से ज्ञात होता है कि वर्ष 1965-66 में 22.25 रुपय की धनराशि नियत की गई थी, जब कि इस वर्ष यह धनराशि घटा कर 16 करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे स्पष्ट है कि इस वर्ष लगभग $6\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये की कटौती की गई है। जीवन बोमा निगम से हम प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपये प्राप्त करते रहे हैं तथा इसे राज्य सरकारों को देते रहे हैं। कुछ ऐसी योजनायें है जिनका वित्तीय पोषण जीवन बीमा निगम से उपलब्ध धनराशि द्वारा किया जाता है। परन्तु मझे ऐसे संकेत प्राप्त हुये है कि वर्ष 1966-67 में जीवन बीमा निगम द्वारा दी जाने वाली धनराशि में भी 3 करोड रुपये की कटौती की जा रही है। इस प्रकार सामाजिक आवास योजना के लिये नियत धनराशि में 10 करोड रुपये से भी अधिक की कमी की जा रही है। यह कोई इतनी प्रसन्नता की बात नहीं है। जब तक धनराशि उपलब्ध नहीं की जायेगी तब तक आवास के मामले में हम कुछ अधिक नहीं कर पायेंगे।

यह दुर्भाग्य की बात है कि जब से मैंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, तब से इस मंत्रालय के लिये पर्याप्त धनराशि का उपबन्ध नहीं किया गया है। बहुत से माननीय सदस्यों ने पुनर्वास मंत्रालय में मेरे कार्य की सराहना की है। परन्तु वहां स्थिति बिलकूल भिन्न थी। हमें धनराशि उपलब्ध थी तथा हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सके है। यदि हमारे पास धनराशि हो, तो अब भी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जिन योजनाओं में भारत सरकार द्वारा धन व्यय करना था, उनमें हम शत प्रतिशत सफल रहे हैं। परन्तु राज्य योजनाओं के अन्तर्गत आवास के लिये नियत की गई राशि के लिये प्राथमिकतायें स्थापित करना राज्य सरकारों का काम है। यदि वे आवास के लिये नियत धनराशि को सिंचाई एवं बिजली के लिये खर्च करते हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।

मैंने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि आवास के लिये प्रत्येक राज्य में एक अलग मंत्री होना चाहिये, तभी इस दशा में प्रगति हो सकती है। मैं माननीय सदस्यों के इस सुझाव से सहमत हूं कि प्रभावी कार्य तभी किया जा सकता है, जब आवास के लिये अलग मंत्री हो। इस से कोई लाभ नहीं होता कि मेरे मंत्रालय के कार्य का एक भाग स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और दूसरा गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा। दिल्ली से सम्बन्धित विभिन्न मामल भिन्न भिन्न मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन हैं। इसका परिणाम

7—51 LS/66

[श्री मेहेरचंद खन्ना]

यह होता है कि हम कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जहां तक स्वास्थ्य मंत्रालय का संबंध है नगरीय विकास का कार्य मेरे मंत्रालय के अधीन आ गया है तथा सब नाजुल भूमि मेरे नियंत्रण में है। परन्तु गृह-कार्य मंत्रालय ने उन जमीनों को अभी तक मेरे मंत्रालय को नहीं सौंपा है। मेरा यह कहने का अर्थ यह नहीं है कि मैं अपने किसी सहयोगी पर आरोप लगा रहा हूं, बल्कि भारत सरकार का एक मंत्री होने के नाते में अपना उत्तरदायित्व समझता हूं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि जब तक आपस में संबंधित सभी कार्य किसी एक मंत्री को नहीं सौंपे जाते, तब तक कोई लाभकारी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इन सभी मामलों पर एक मंत्रालय का नियंत्रण होना चाहिये। केवल तभी हम अपने उद्देश्य पूर्ण कर सकेंगे।

अब मैं सरकारी कर्मचारियों के लिये मकानों तथा कार्यालयों के भवनों के निर्माण के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा नागपुर में सरकारी कर्मचारियों के लिय 1,50,000 मकानों की आवश्यकता है। हम 40,000 अथवा 42,000 से अधिक मकानों की व्यवस्था नहीं कर सके है। यह ऐसी स्थिति ब्रिटिश राज्य के समय से चली आ रही है तथा अभी तक इस में सुधार नहीं किया जा सका है। अभी कम से कम एक लाख सरकारी कर्मचारियों को मकानों की आवश्यकता है। मैं इस बात से पूर्णत: अवगत हूं कि मकानों की बड़ी भारी कठिनाई है। दिल्ली जैसे नगर में मकान मिलना दुर्लभ है। मुझे याद है कि दिल्ली की हालात से सुपरिचित एक व्यक्ति ने कहा था कि दिल्ली में पत्नी प्राप्त करना कठिन नहीं है और थोड़ा प्रयत्न करने से नौकरी भी मिल सकती है परन्तु दिल्ली में मकान नहीं मिल सकता। औसत सरकारी कर्मचारियों में से जिन्हें निम्न श्रेणी के कर्मचारी कहा जा सकता है और जिनका वेतन 399 रुपये तक है; और जो टाइप I, टाइप II, तथा टाइप III के हक्कदार हैं, क्योंकि 110 रुपये से नीचे वेतन पाने वाले को टाइप I, 110 से 249 रुपये तक वेतन पाने वाले को टाइप II और 250 से 399 रुपये तक वेतन पाने वाले को टाइप III मकान दिया जाता है, 37 प्रतिशत कर्मचारियों को मकान दिये जा सके हैं। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि यदि धन उपलब्ध किया जाये, तो इस स्थिति में सुधार हो सकता है। आय व्ययक से आप को ज्ञात होगा कि आवास के संबंध में 100 प्रतिशत कटौती की गई है। सामाजिक आवास के अन्तर्गत भी 10 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। इसी प्रकार अन्य मदों में भी कटौती की गई है। अत: स्थिति में सुधार तभी होगा, जब इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध की जायगी।

सभी सरकारी कार्यालयों का विस्तार हुआ है; कार्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है और यह मानना पड़ेगा कि पिछले चार वर्ष में मेरे द्वारा किये गये भरसक प्रयत्नों के बावजूद दिल्ली से कोई कार्यालय बाहर नहीं गया और न ही किसी कार्यालय के स्थानातरण की कोई संभावना है। यहां कार्यालयों के लिये स्थान की बहुत कमी हैं और हमें 5 लाख वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता है, परन्तु किसी कार्यालय को दिल्ली से बाहर जाने की संभावना नहीं है।

मुझ पर एक आरोप यह लगाया जा रहा है कि उन इमारतों को अभी तक नहीं गिराया गया है, जिनका मियाद समाप्त हो चुकी है तथा उन्हें काम में लाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में वर्किंग गर्ल्स होस्टल का भी उल्लेख किया गया था। फिलहाल मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। वास्तव में इन में से कुछ हटमैंट्स गत विश्व युद्ध के दौरान छ: से आठ वर्ष के लिये बनाई गई थी, परन्तु अब वर्ष 1966 में भी उन्हें काम में लाया जा रहा है। उनकी मरम्मत कराई जा रही है, हालांकि यह आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है और न ही इससे उनका जीवन बढ़ता है। उनकी जीवनावधि समाप्त हो चुकी हैं। गत विश्व युद्ध के दौरान हमने बहुत सी सम्पतियों का अर्जन किया था। उच्चतम न्यायालय ने अब निर्णय किया है कि हमें उन जगहों को छोड़ देना चाहिये क्योंकि अब वे हालात नहीं है जो विश्व युद्ध के दौरान थे। हमने अभी तक उन जगहों को छोड़ा नहीं है। हालांकि मुझ पर यह आरोप लगाया गया है कि हम अपनी जमीनों तथा मकानों के लिये अधिक किराया ले रहे है, परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि जो मकान हमने 15 अथवा 20 वर्ष पूर्व पट्टे पर लिये थे उनका किराया नहीं बढ़ाया गया है। जैसा कि

आप जानते है दिल्ली में एक वर्ग फुटका किराया लगभग 1.5 रुपये होता है। यह न्यूनतम किराया है। इसका अर्थ यह हुआ कि एक वर्ष का किराया 18 रुपये होता है और इसी प्रकार से दो अथवा तीन वर्ष में हमें 36 अथवा 54 रुपये केवल किराये के रूप में प्राप्त हो सकते हैं। 40 रुपये प्रति वर्ग फुट की लागत से हम 80 वर्ष की मयाद वाली बहुमंजली इमारत बना सकते हैं। मैं यह अनुभव करता हूं कि यदि केवल वही धन हमें प्राप्त हो जाये जिसे हमें गैर-सरकारी लोगों को कुछ समय के लिये किराये के रूप में देना पड़ता है, तो हम कार्यालयों के लिये सरकारी भवन बना सकते है तथा यह आलोचना कि कार्यालयों को दिल्ली से बाहर नहीं भेजा जा रहा है समाप्त की जा सकती है। परन्तु मैं इस सम्बन्ध में लाचार हूं।

सरकारी कर्मचारियों में जो रोष है उसका कारण सरकारी आवास न मिलना है। यदि किसी कर्मचारी को 200 अथवा 250 रुपये वेतन मिलता हो और उसे अपने बालबच्चों का पालन पोषण करने के अतिरिक्त यदि 150 अथवा 200 रुपये मकान के किराये का देना पड़े तो यह स्वाभाविक है कि वह अनुचित उपाय अपनायेगा और यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह देवदूत है। जब भी धन उपलब्ध हुआ है, हमारे मंत्रालय ने गृहनिर्माण का कार्य किया है। गत तीन अथवा चार वर्षों में 7500 मकान बनाये गये है और 7000 और मकानों का निर्माण किया जा रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि लगभग 14000 मकान बनाये जायेंगे। परन्तु पिछले एक वर्ष से एक भी पैसा नहीं मिल रहा है, इस लिये आगे निर्माण संभव नहीं है।

इस मंत्रालय का कार्यभार संभालते ही मैंने सात वर्षीय कार्यक्रम बनाया था। तीन अथवा चार वर्षों तक उस कार्यक्रम के अनुसार काम होता रहा परन्तु पिछले वर्ष मुझे बताया गया कि इस बात का निर्णय कि मेरे मंत्रालय को धन उपलब्ध होगा अथवा नहीं, जुलाई में किया जायेगा। अब स्थिति यह कि काम चल रहा है, इस काम को कराने के लिये क विभाग भी है, परन्तु धन उपलब्ध नहीं है और पिछले वर्ष का जो धन बकाया था उसे भी खर्च किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में तो यह ही अच्छा है कि इस मंत्रालय को तोड़ा जाये और मंत्री को हटाया जाय क्योंकि हमें पैसा उपलब्ध नहीं है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि मेरे मंत्रालय की यह आलोचना तो की गई है कि हमने यह कार्य नहीं किया, वह कार्य नहीं किया, परन्तु जब तक धन उपलब्ध न हो हम कोई बड़ा निर्माण कार्य नहीं कर सकते। मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि धन उपलब्ध हुआ तो निम्न आय वर्ग के लोगों के लिये मकान बनाये जायेंगे, ताकि उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों के लिये। अब मैं झुग्गी झोंपड़ी योजना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

The Government can rightly be proud of Jhuggi Jhuonpri scheme. The land in Delhi is limited. At present the covered area of a jhuggy is three or four yards. We have decided for the present to give 25 yards. The number of families which came to Delhi after 1960 is sixty thousand. Those persons who came from Rajasthan before 1960 would be provided with land on lease. We are providing periphery camps for those people who stay in Delhi for 6 to 8 months and then go back. We have got two types of schemes. There will be 25,000 plots of 25 yards each. The Government have not changed their policy. There should be no fear of scrapping of this scheme. We will definitely solve this problem.

मैं उन सदस्यों को, जिनकी दिल्ली विकास प्राधिकार तथा टाउन एंड कंटरी प्लानिंग के काम में रुचि है, विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिये आमन्त्रण देता हूं। सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जायेगा। आवश्यकता हुई तो दिल्ली विकास प्राधिकार अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है ताकि उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके। यह कहा जा सकता है कि हम नोलामी में भूमि अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं परन्तु यदि यह भूमि अलाट की जाये तो मेरे विरुद्ध यह आरोप लगाया जायेगा कि मैं बहुत ही आपत्तिजनक कार्य कर रहा हूं। मैं इस सदन तथा दूसरे सदन के सदस्यों को, जिनमें दिल्ली के सदस्य भी शामिल हैं, बातचीत के लिये आमंत्रित करता हूं। वे अपने सुझाव दे सकते हैं। यदि वे सुझाव उचित तथा युक्तियुक्त हुये तो उसके लिये यदि हमें दिल्ली विकास

[श्री मेहरचंद खन्ना]

प्राधिकार अधिनियम में संशोधन भी करना पड़े तो हम उसके लिये तैयार हैं । कई अनधिकृत बस्तियां बन रही हैं । यदि हम उनके संबंध में तुरन्त ही कोई कार्यवाही नहीं करेंगे तो राजधानी की हालत बिगड़ जायेगी ।

एक सदस्य ने सुझाव दिया है कि दिल्ली में हाउसिंग फैक्टरियां काफी संख्या में होनी चाहिये । वर्तमान हाउसिंग फैक्टरी बहुत अच्छा कार्य कर रही है । उसको लाभ हुआ है और उसने कई मकान बनाये हैं । नई हाउसिंग फैक्टरियां बनाने के लिये विदेशी मुद्रा की गम्भीर कठिनाई के कारण नये संयंत्रों का आयात करना सम्भव नहीं है ।

मालूम नहीं होटलों के निर्माण के मामले में क्यों आपत्ति की जा रही है । एक सदस्य ने कहा है कि हमने जनपथ होटल के अतिरिक्त लोदी तथा रंजीत होटल बनाये हैं । एक अन्य सदस्य ने यह कहा है कि हम होटलों का स्वयं निर्माण न करके विदेशों से हिल्टन को यहां, होटल खोलने के लिये कह रहे हैं । हम दिल्ली में कई श्रेणियों के होटलों के निर्माण के प्रयत्न कर रहे हैं ताकि सभी श्रेणियों के लोगों के लिये व्यवस्था हो सके । अशोक होटल को प्रति वर्ष 40 लाख रुपये का लाभ हो रहा है । हम कर्मचारियों को बहुत अच्छा बोनस दे रहे हैं और वे इससे बिल्कुल संतुष्ट हैं । जनपथ होटल को भी लाभ हो रहा है । इस होटल से उतना लाभ नहीं हो सकता क्योंकि दोनों होटल विभिन्न प्रकार के हैं । ये होटल स्थानीय लोगों तथा विदेशियों के लिये आवास की व्यवस्था करते हैं । उनसे विदेशी मुद्रा कमाई जा रही है ।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई
SHT. RENU CHAKRAVARTTY *in the Chair*]

वर्किंग गर्ल्स होस्टल के बाहर एक महिला, कुमारी वर्मा, के सत्याग्रह अथवा अनशन के बारे में उसे ठीक प्रकार से सलाह नहीं मिली है । उसकी एलाटमेंट पहले 10 जनवरी, 1964 को रद्द कर दी गई थी और उसे 21 अक्तूबर, 1964 को होस्टल से निकाल दिया गया था क्योंकि न तो उसने किराया दिया था और न ही प्रत्याभूति पत्र दाखिल किया था । उसको निकालने का आदेश बाद में रद्द कर दिया गया था । उसके नाम दो महीने का किराया शेष होने के कारण उसका एलाटमेंट 10 जनवरी, 1966 को पुनः रद्द कर दिया गया था । उसने सीधा अथवा वेतन में से किराया देने से इंकार कर दिया था । उसने 10 मार्च, 1966 को सम्पत्ति निदेशालय को सूचना दी कि यदि $21\frac{1}{4}$ रुपये मासिक किराया कम न किया गया तो वह सत्याग्रह करेगी । इस राशि में कमरे का किराया और बिजली, पानी, फर्नीचर, मेहतर तथा सफाई का खर्च शामिल है । किराया और कम करना संभव नहीं है । हम पर उस महिला का जिम्मेदारी नहीं है । उसे यह आग्रह करने का अधिकार नहीं है कि वह होस्टल में भी रहेगी और किराया आदि भी नहीं देगी । मैंने चार महिलाओं की होस्टल की सामान्य स्थिति के बारे में अपने विचार तथा सुझाव देने के लिये कहा है । वे महिलायें श्रीमती वायलेट अल्वा, श्रीमती रघुरमैया, श्रीमती मनमोहनी सहगल तथा श्रीमती जान मथाई । हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वहां रहने वाली महिलाओं को यथासंभव सभी सुविधायें प्राप्त हों ।

सदस्यों को दिये जाने वाले आवास स्थान के बारे में जो विचार व्यक्त किये गये हैं, मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं । यदि इस सभा के विरोधी तथा कांग्रेस दल के सदस्य मिल कर निर्णय करें कि उनको किस प्रकार का आवास स्थान दिया जाये तो यह समस्या हल हो सकती है । यदि माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कि नार्थ एवेन्यू तथा साऊथ एवेन्यू में बने आवास स्थान ठीक नहीं हैं तो उन्हें मिलाकर इस बारे में निर्णय करना चाहिये । नौकरों के लिये पर्याप्त क्वार्टर न होने के विषय पर विचार किया जायेगा । नौकरों के लिये क्वार्टरों को अलाटमेंट सम्बन्धित सदन समिति के अध्यक्ष द्वारा की जाती है । जहां तक संसद-सदस्यों के आवास का सम्बन्ध है, मुझे आशा है कि वित्त मंत्रालय धन देने से इंकार नहीं करेगा । मैंने नौकरों के लिये क्वाटरों के समूचे प्रश्न की जांच की है । यदि कोई सदस्य गैरेज अथवा नौकरों के लिये क्वार्टर की मांग करता है तो मैं उसकी जांच करूंगा ।

यह सत्य है कि दो वर्ष पहले यह निर्णय किया गया था कि जिन सरकारी कर्मचारियों के पास अपने मकान हैं, उन्हें सरकारी क्वार्टर नहीं दिये जायेंगे परन्तु एक मामले में मंत्रिमंडल ने यह निर्णय किया था कि उन सरकारी कर्मचारियों को इस निर्णय से पहले मकान मिले हुए हैं उनसे एक आधार पर किराया लिया जायेगा परन्तु भविष्य में किसी सरकारी कर्मचारी को, जिसका दिल्ली में अपना मकान है, मकान अलाट नहीं किया जायेगा जब तक कि वह बाजार दर पर किराया देने के लिये तैयार न हो। प्रतिरक्षा सेवाओं के नियमों के अनुसार यदि किसी के पास अपना मकान हो तो भी वह सरकारी क्वार्टर लेने और उसके लिये एक विशेष दर पर किराया देने के अधिकारी हैं। इस लिये यह प्रश्न पैदा हुआ कि यदि उनसे एक निश्चित दर पर किराया लिया जाना है तो अन्य विभागों में काम कर रहे अधिकारियों से पृथक दर पर किराया लेना उचित नहीं है। इस प्रश्न पर विधि मंत्रालय ने भी विचार किया है और अब मंत्रिमंडल को यह मामला भेजा गया है। मेरे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सामान्य पूल है। प्रतिरक्षा सेवाओं तथा डाक तथा तार विभाग का अपना पूल है। यदि कोई निर्णय किया जाना है तो वह भारत सरकार के सभी कर्मचारियों पर लागू होना चाहिये। उनके बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये।

I am only concerned with the accommodation for Government servants and Government offices. To relieve congestion in north and south blocks various office buildings have been built. It is being done under a directive from the late Prime Minister, Shri Jawahar Lal Nehru.

The question of recruitment and confirmation in the Ministry or C. P. W. D. depends on the volume of work. The question of confirmation comes up before the departmental Promotion Committee. It also goes before the U.P.S.C. The cases of Engineers were examined by the D.P.C.C. 28 persons were not confirmed. The matter was taken in a court of law but it was dismissed. Confirmation is not done alone on the period during which a person officiates in a post. Other things have to be taken into consideration. Out of 66 or 70 recommendations made by Govinda Reddy Committee, all except four or five were accepted.

सभापति महोदय : अब मैं निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव संख्या 7 से 15 तथा 107 से 112 सभा में मतदान के लिये रखती हूं।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।
[All the cut motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई। *[The following Demands in respect of Ministry of Works, Housing and Urban Development were put and adopted.*

मांग संख्या	मांग का नाम	राशि
		रुपये
94	निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय . .	3,78,000
95	लोक निर्माण-कार्य . . .	5,91,37,000
96	लिखन-सामग्री और छपाई	1,96,50,000
97	निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	26,37,000
141	सरकारी निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय .	1,70,08,000
142	दिल्ली पूंजी परिव्यय	2,30,22,000
143	निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय .	13,42,000

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

वर्ष 1966-67 के लिये पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	मांग का नाम	राशि
		रुपये
81	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	3,36,000
82	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,24,88,000
136	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	3,47,68,000

श्री के० दे० मालवीय (बस्ती) : सभापति महोदय, मुझे आशा है कि हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री द्वारा तेल संबंधी जो नीति अपनाई गई थी, सरकार उसको पूरे जोर शोर से क्रियान्वित करेगी। कभी कभी कठिन परिस्थितियों के कारण तथा किसी ओर से दबाव के कारण उस नीति में कुछ परिवर्तन आने की शंका पैदा हो जाती है और नीति में यह विचलन बड़ा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह तेल उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों संबंधी नीति की क्रियान्विति की ओर पूरा ध्यान दें।

सरकार के हाल के अनुमान के अनुसार तथा विशेषज्ञों की राय के अनुसार तेल की अधिक मात्रा समुद्र के अन्दर है न कि तट से भूमि की ओर। समुद्र की अन्दर की ओर तेल की खोज के लिये हम इतने तैयार नहीं है जितने कि भूमि पर खोज करने के लिये। यदि हम इस कार्य को करना चाहें तो यह कोई कठिन नहीं है। इसके लिये हमें इस्पात का एक ढांचा तैयार करना पड़ेगा जिस पर कि छिद्रण कार्य किया जा सके। इस ढांचे को बनाना कठिन नहीं है। इस पर लगभग 1 से 3 करोड़ रु० तक अधिक से अधिक खर्च आ सकता है। इसके उपकरण हमें विदेशों से प्राप्त हो सकते हैं। हमें इस कार्य को शीघ्र आरम्भ करना चाहिये क्योंकि हमें समुद्र के अन्दर तेल की भारी मात्रा मिल सकती है। हमें इसके लिये विदेशी सहयोग नहीं लेना चाहिये क्योंकि इससे हमें अधिक हानि होगी।

सरकार की उर्वरक संबंधी नीति को अनावश्यक रूप से पेचीदा बनाया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार अपनी इस नीति पर गंभीरता से विचार करेगी और इसमें जहां तक संभव हो संशोधन करेगी। मैं तो चाहता हूं कि इसको पूरी तरह से बदला जाये। इसकी दो बातों पर मुझे आपत्ति है। एक तो यह कि यदि यहां पर उर्वरक संयंत्रों के निर्माण के लिये विदेशों का सहयोग लिया जाता है तो हमें उर्वरक जैसी महत्वपूर्ण वस्तु के मूल्य निर्धारण के अधिकार को कभी भी विदेशियों को नहीं देना चाहिये।

श्री कपूर सिंह : सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजायी जा रही है.......अब गणपूर्ति है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री के० दे० मालवीय : सिंदरी, नीवेली, अल्वाय सरकारी क्षेत्र के सभी उर्वरक कारखाने पुरानी ढंग की अर्थव्यवस्था और तकनीक पर आधारित हैं। इसलिये उनके मूल्य बहुत ऊंचे हैं। सरकार की नियंत्रण की नीति से ही सरकारी क्षेत्र के इन उर्वरक कारखानों को बचाया जा सकता है। सरकार की इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि देश की कुल क्षमता का दो-तिहाई सरकार क्षेत्र में होगा। मैं नहीं समझता कि पांच या छः वर्षों में हम नाइट्रोजन का उत्पादन 475,000 टन से बढ़ा कर 34 लाख टन कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारा सरकारी क्षेत्र 50 प्रतिशत उत्पादन भी नहीं कर पायेगा। सरकार को मूल्यों और वितरण पर नियंत्रण करना होगा। सरकार का यह प्रस्ताव बड़ा अजीब सा है कि सरकार इन लोगों से 30 प्रतिशत उर्वरक खरीदेगी और यदि आवश्यक हुआ तो, गैर-सरकारी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा के लिये, आयात भी करेगी। संसार में उर्वरक का उत्पादन इतना बढ़ गया है कि इसके मूल्यों में भारी कमी आने की संभावना है। मूल्यों में इस कमी का लाभ इन्हीं लोगों को होगा और हम इन सहयोगियों के रहम पर होंगे। वे कहेंगे कि यदि सिंद्री के उर्वरक का मूल्य 10 है और हमारे उर्वरक का मूल्य 5 या 6 है, तो इतना बड़ा अंतर नहीं होगा ; हम केवल यही कर सकते हैं कि मूल्य को 10 से घटा कर 9.5 या 9.6 कर दें। संसार की मण्डियों में जो मूल्य हैं उनके बराबर वे मूल्यों को नहीं लायेंगे। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने मूल्य निर्धारित करने का यह काम उन लोगों को क्यों दे दिया है।

मैं चाहता हूं कि उर्वरक का उत्पादन देश में ही हो। यदि आप एक सामाजिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं ; यदि आप लोकतन्त्रात्मक तरीकों पर देश की राजकोषीय नीतियों पर नियन्त्रण करना चाहते हैं तो वितरण और मूल्य निर्धारण का यह कार्य उनको नहीं दिया जा सकता।

हम यह कर सकते हैं कि जब वे उत्पादन आरम्भ करें तो उन्हें निम्नतम मूल्य की गारंटी दें। मुझे शंका है कि हम इतने थोड़े समय में इतना उत्पादन कर सकते हैं। मूल्य निर्धारण और वितरण के साथ उनका कोई संबंध नहीं होना चाहिये। छः या आठ वर्षों के बाद जब उत्पादन वाणिज्यिक स्तर पर होने लगे तो उनके विनियोजन पर हम उन्हें न्यूनतम मुनाफे की गारंटी दे सकते हैं। बारह वर्षों के बाद हमें उन सब संयंत्रों को अपने हाथ में लेने का अधिकार होना चाहिये।

श्री प० ह० भील (दोहद) : पेट्रोलियम और रसायन उद्योग का महत्व अन्य देशों की तरह इस देश में भी बहुत बढ़ गया है। हमारे देश में उर्वरकों की बहुत कमी है और कृषि उत्पादन की दृष्टि से यह बहुत ही आवश्यक है। यह ठीक है कि सरकार ने उर्वरक उत्पादन के लिए बहुत कुछ किया है, फिर भी स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। उर्वरक के तीन बड़े कारखानों के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च किये गये हैं। जितनी पूंजी लगाई गई है उत्पादन उस अनुपात से नहीं हो रहा। इसका कारण यह है कि हमारे अधिकारी अभी भी नौकरशाही मनोवृत्ति को ही लिये हुए हैं। वहीं लोग उन परियोजनाओं को चलाते हैं। उनमें व्यवहारिक अनुभव का अभाव है। इस काम पर ऐसे लोगों को लगाया जाना चाहिए जिनको इस दिशा में व्यवहारिक अनुभव है।

हमने तेल शोधन कारखानों को कई स्थानों पर लगाया है। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में तेल शोधक क्षमता बढ़े तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु उसे गैर-सरकारी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी आवश्यकताओं को गैर-सरकारी क्षेत्र ही पूरा करते रहे हैं। यदि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में मुकाबला हो जाय तो इसका आम जनता को काफी लाभ होगा। सरकार के इस निर्णय से कि तेल का आयात केवल इंडियन आयल कम्पनी ही करेगी और यह भी कि आयात केवल पुर्वी यूरोप के देशों से ही होगा, मिट्टी के तेल पर बहुत प्रभाव डाला है। उसकी कमी हो गई है। हम रुपये के भुगतान वाले देशों से आयात करने पर अधिक जोर दे रहे हैं। यह बार बार कहा गया है कि रुपये के भुगतान से देश की अथ व्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव होगा। इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

[श्री प० ह० भील]

इंडियन आयल कारपोरेशन तथा इंडियन तेल शोधक कारखानों में अपव्यय के बारे में कुछ शिकायतें हैं। प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति के प्रतिवेदनों में भी इस ओर ध्यान दिलाया है। प्राक्कलन समिति के 38 वें प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि इस बात के बावजूद कि मिट्टी के तेल तथा डीजल तेल की कमी है और इसके लिए काफी विदेशी मुद्रा की अपेक्षा है। परन्तु हमारे पास मोटर स्पिरट फालतू है। और यह जो असन्तुलित स्थिति है इसका उपचार करने के लिए कोई प्रभावशाली कार्य इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा कुछ नहीं किया गया है।

अपव्यय रोकने के लिए, बार बार यह सुझाव दिया गया है कि प्राकृतिक गैस आयोग और इंडियन रिफाइनरीज और इंडियन आयल कारपोरेशन को मिला कर एक कर दिया जाये। खेद की बात है कि इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मेरा यह भी निवेदन है कि यदि चालू योजना में रासायनिक उर्वरक के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर दी जाय। इस मामले में गैर-सरकारी उद्यम के मालिकों को प्रोत्साहन दिया जाय तो पांच वर्षों के बाद देश को 400 करोड़ रुपये की बचत होनी आरम्भ हो जायेगी। अतः इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव सं०	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
				रुपये
81	1	श्री यश पाल सिंह	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का खोज संबंधी कार्य।	100
81	2	,,	रसायनों के मूल्य कम करने की वांछनीयता	100
81	3	,,	सरकार की उर्वरक नीति में परिवर्तन की आवश्यकता।	100
81	4	,,	मिट्टी के तेल का अभाव तथा ऊंचा दाम।	100
81	5	श्री वासुदेवन नायर	कोचीन रिफाइनरीज़ के विस्तार की आवश्यकता	100
81	6	,,	कोचीन में एक पैट्रो-कैमिकल काम्पलेक्स चालू करने की आवश्यकता।	100
81	7	,,	अत्यावश्यक औषधियां तैयार करने का काम तेज करने की आवश्यकता।	100
81	8	,,	सरकार की उर्वरक नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता।	100
81	9	,,	मिट्टी के तेल का अभाव, अधिक दाम और दोषयुक्त वितरण।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशी
1	2	3	4	5
				रुपये
81	10	श्री वासुदेवन नायर	तीसरी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त न करना।	100
81	11	,,	पैट्रोलियम-उत्पादों के मूल्य में और कटौती न करना।	100
81	12	,,	गैर-सरकारी तेल कम्पनियों में काम कर रहे कर्मचारियों की बड़ी संख्या में होने वाली छंटनी की आशंका।	100
81	13	,,	फर्टिलाइजर ऐण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटड, अल्वाय का वस्तुतः बन्द होना।	100
81	14	श्री अ० ब० राघवन	प्रतिजैविक पदार्थों के निर्माण में टेपीओका के प्रयोग की सम्भावना।	100
81	15	,,	प्रतिजैविक पदार्थों के निर्माण में कच्चे माल का आयात घटाने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता।	100
81	16	,,	इण्डियन ड्रग्स ऐण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड के उत्पादों के विपणन के लिए अपने एजेण्ट नियुक्त करने की आवश्यकता।	100
81	17	,,	इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड में अनुसन्धान सुविधाओं का अभाव।	100
81	18	,,	केरल में एक फोटो केमिकल संयंत्र स्थापित करने की सम्भावना का पता लगाने की आवश्यकता।	100
81	19	,,	भेषजों के दाम घटाने की आवश्यकता .	100
81	20	,,	केरल का मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाने की आवश्यकता।	100
81	21	,,	केरल में हल्के डीजल तेल का अभाव .	100
81	22	,,	भारतीय तेल निगम द्वारा मिट्टी के तेल का टिनों में वितरण आरम्भ करने की आवश्यकता।	100
81	23	,,	केरल में गैर-सरकारी तेल कम्पनियों द्वारा टीन की चादरों बेचना रोकने की आवश्यकता।	100
81	24	,,	भारतीय तेल निगम के उत्पादों के वितरण में सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।	100
81	25	,,	रसायन संयंत्रों के लिये स्थानों का ठीक चयन करने की आवश्यकता।	100

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : यह विवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमरीकी समवायों से उर्वरकों के बारे में जो करार हुआ है उससे कुछ आधारभूत बातें सामने आई हैं। केवल यह राजनीतिक प्रश्न ही नहीं है उसका आर्थिक प्रभाव भी है। शायद उस मामले में सरकार कुछ चिन्तित हो रही है। सरकार की नीति इस मामले में बहुत ही अजीब है। उर्वरक ऐसी चीज है जिसकी कृषि उत्पादन के लिए बड़ी आवश्यकता है। मैं भी तो कृषक हूं। यदि इस दिशा में कोई परिमाप निश्चित न किये गये तो अपेक्षित प्रभाव नहीं पैदा किया जा सकेगा।

उदाहरणार्थ मैंने अपने एक छोटे से बगीचे में सब्जी प्रतियोगिता में भाग लेने की भावना से प्रेरित हो कर कुछ सब्जियां यथा बैंगन आदि उगानी चाहीं और इस कार्य के लिये मैंने उद्यान विज्ञान विभाग तथा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के विशेषज्ञ से सलाह ली और उनके निर्देशन के अनुसार रसायनिक उर्वरक डाले और पौदे तो खूब हरे-भरे तथा लुभावने उगे किन्तु उनमें फल मुश्किल से ही कोई लगा, इसी प्रकार अन्य सब्जियों के बारे में भी मुझे वही अनुभव प्राप्त हुआ। अतः मैं इस नतीजे पर पहुंची कि भूमि के लिये उर्वरकों की मात्रा निर्धारित करने से पूर्व उसका विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

[श्रीमती रेणुका राय पीठासीन हुई
SMT. RENUKA RAY *in the Chair*]

प्रश्न उर्वरक के उत्पादन का नहीं अपितु उत्पादन के उद्देश्य का है। कभी-कभी रसायनिक उर्वरक डालने के फलस्वरूप पौदे मर भी जाते हैं। कृषि उपज बढ़ाने में उर्वरक का महत्वपूर्ण योगदान होता है किन्तु जब तक हमारे देश में शिक्षा तथा जानकारी की एक विशेष भावना जागृत नहीं की जाती तब तक खेतों में केवल उर्वरक डालने मात्र से ही उसके आशानुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। समझौता करने से पूर्व मंत्री महोदय को देश में उपलब्ध भूमि की स्थिति का विश्लेषण करवाना चाहिये था और यह देखना चाहिये था कि देश में भूमि की जांच का काम पहले पूरा हो जाये और देश की क्षमता के अनुकूल उर्वरकों के वितरण के लिये उचित व्यवस्था की जाये।

देश के सभी भागों के लिये सिंचाई तथा अन्य कृषि सम्बन्धी सुविधाओं की समान रूप से व्यवस्था नहीं की गई है। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में 11,000, नलकूप, बिहार में 5,000, उड़ीसा में 3,000 से भी कम और मद्रास में 1,35,000 नलकूप हैं। पानी का इस प्रकार असमान वितरण से उर्वरकों का अधिक अच्छा उपयोग नहीं हो सकेगा। इसलिये, मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगी कि उर्वरक सम्बन्धी समझौते का पालन करने से पूर्व वह देश में उपलब्ध आन्तरिक संसाधनों का प्रयोग करे जिससे उर्वरक आदि का बेहतर उपयोग हो सके।

बरौनी तेल शोधक कारखाने के बारे में मैंने सुना है कि उर्वरकों के उत्पादन के लिये अपेक्षित कच्चा माल वहां काफी बड़ी मात्रा में बेकार पड़ा हुआ है और उक्त कारखाने के काफी उत्पाद जल गये हैं। बरौनी में उर्वरक कारखाना तथा पेट्रो-रसायनिक उद्योग स्थापित करने की बात चल रही थी किन्तु ऐसा लगता है कि यह कार्यक्रम खटाई में पड़ गया है। बरौनी कारखाने के उत्पादों का प्रयोग न तो पेट्रो-रसायनिक उद्योगों में और न ही उर्वरकों के उत्पादन में किया जा सकता है, इसलिये मंत्री महोदय को इस बात की जांच करनी चाहिये कि आखिर इतना अधिक अपव्यय क्यों किया जा रहा है।

जहां तक सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध का सम्बन्ध है, उसका एक भिन्न आधार पर पुनर्गठन किया जाना जरूरी है। अब हमने यह बात महसूस कर ली है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों

में उत्पादन कम होने के कारण सरकारी क्षेत्र से स्वतः विश्वास उठने लगा है। सरकारी क्षेत्र के प्रति लोगों का विश्वास कम होने का एक कारण उसका कुप्रबन्ध है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व सरकारी क्षेत्र का प्रशासन जिस प्रशासन द्वारा किया जाता था अब उस प्रशासन द्वारा प्रबन्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके लिये अब कल्पनाशील तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसी कारण देश में 85 प्रतिशत तेल का उत्पादन होने के बावजूद भी देश भर में तेल की अत्यधिक कमी है। मैं समझती हूं कि मिट्टी के तेल के वितरण के लिये उपयुक्त तथा सक्रिय प्रबन्ध की व्यवस्था नहीं है। अतः इस बात पर सर्वोच्च स्तर पर विचार किया जाना चाहिये और सरकार को इस बात का पता लगाने का प्रयत्न करना चाहिये कि अपने देश में उत्पादित मिट्टी के तेल का वितरण किस सर्वोत्तम ढंग से किया जा सकता है, जहां तक बरौनी तथा सरकारी क्षेत्र में अन्य कारखानों में उत्पादन का सम्बन्ध है, मैं समझती हूं कि उनमें पूरी क्षमता से काम नहीं होने लगा है। जब हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, तो उनका उपयोग किया जाना चाहिये अन्यथा यह निष्ठुरता की बात है। मैं समझती हूं कि इस सम्बन्ध में बनाई गई योजना भी कुछ दोषपूर्ण रही है।

Shri Mohan Swarup (Pilibhit): Madam Chairman, oil today plays a vital role in the world politics. A country which has not adequate quantity of oil cannot strengthen its defence preparedness. It is, therefore, absolutely necessary or us to pay more attention towards oil.

Huge amounts are spent on the exploration of oil. So, before exploration work is undertaken necessary steps should be taken to see that we have not an infructuous venture involving a huge wastage. The demand for oil in the country has sufficiently increased and therefore, the exploration work should be completed speedily.

At present there are as many as 4-5 oil refineries working in the country and three more refineries are going to be established. Steps should be taken to expand the existing oil refineries and to establish the proposed refineries as early as possible so that they may also go into production.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Madam Chairman, there is no quorum in the House.

सभापति महोदय : घंटी बजायी जा रही है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Still there is no quorum in the House.

सभापती महोदय : गणपूर्ति न होने के कारण सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 7 अप्रैल, 1966/17 चैत्र, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 7, 1966/ Chaitra 17, 1888 (Saka).

भा०स०मु०ना०—वि० 5—51 लोकसभा/66—24-8-67—600